खण्ड-330, अंक-5
सोमवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1900
(27 मार्च, 1978 ई0)

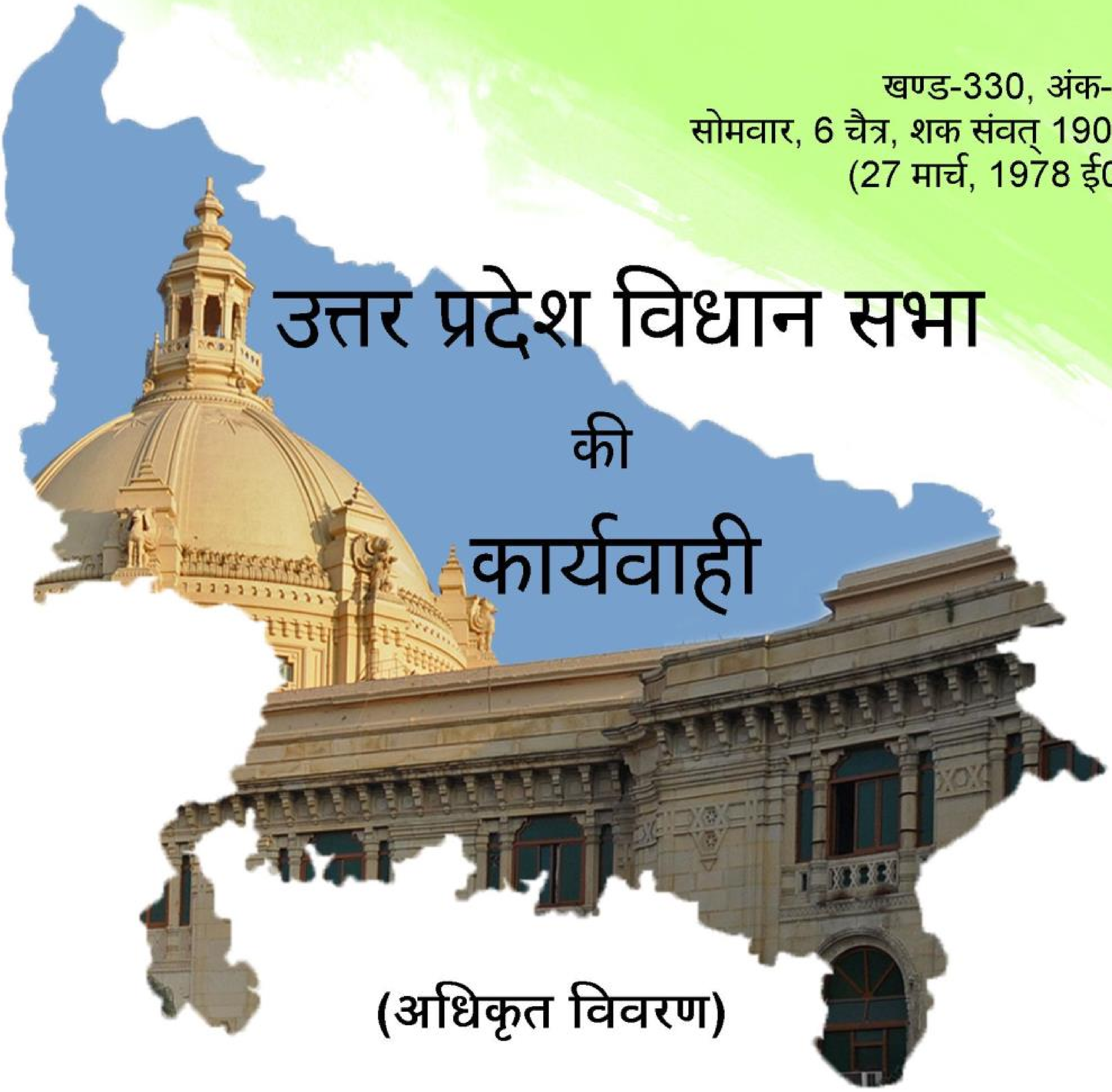

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	453
प्रश्नोत्तर	457
विश्व-विख्यात हाकी खिलाड़ी, कुंवर दिग्विजय सिंह 'बाबू' के निधन पर शोकोद्गार	498
प्रश्नों के अंतरिम उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	500
कुंवर दिग्विजय सिंह 'बाबू' की मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	500
प्रदेश के सूखा एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी गयी सहायता तथा बीज वितरण में धांधली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	501
अलीगढ़ के गांधी पार्क में 'जेसीज' द्वारा साइकिल चलाने के प्रदर्शन के समापन के अवसर पर घटित घटना को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	502
वाराणसी में हुए दंगे की न्यायिक जांच की घोषणा के बावजूद जांच सम्बन्धी कार्यवाही में विलम्ब के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	503
हसनपुर, मुरादाबाद में कालागढ़ से निकाले गये फीडर चैनल से किसानों की भूमि की बरबादी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	503
देवरिया जनपद में सिंचाई की अव्यवस्था के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	504
श्री राजकिशोर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचना	504
श्री नरेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना ..	505
विविध विषय	505
दिनांक 22 मार्च, 1978 को दर्शक दीर्घा में नारे लगाने संबंधी घटना के सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट तथा पकड़े गये व्यक्तियों की रिहाई ..	506
श्री राज किशोर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री व जिलाधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	506
सदन को गलत सूचना देने तथा विधायकों पर गलत आरोप लगाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री व जिलाधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	507
भारत के गृह मंत्री, चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	512
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया)	515
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	516
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	558
नत्थियां	559

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 27 मार्च 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—344

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री

गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, एडवोकट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुखी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर

बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानसिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री

राधे श्याम शर्मा,
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री

राधे व्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामनरेश यादव, श्री
रामपति,श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम विहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री

स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिचरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरीराम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

नोट:—गन्ना विकास मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती, सदन में उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्त

सोमवार, 27 मार्च, 1978

रअल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आनन्द आश्रम नामक चलचित्र को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने सम्बन्धी आवेदन-पत्र ।

**1—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या सरकार ने "आनन्द आश्रम" नामक चल-चित्र को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया है? अगर हां, तो क्यों?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

जी नहीं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 'आनन्द आश्रम' नाम का जो चित्र है उसके वितरक या निर्माता की तरफ से मनोरंजन-कर से मुक्ति देने के संबंध में कोई आवेदन-पत्र आपके पास आए थे? यदि आए हैं तो उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इस चित्र को मनोरंजन-कर से छूट देने के लिए एक आवेदन-पत्र आया था जो अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आवेदन-पत्र उनको कब मिला था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, यह आवेदन-पत्र लगभग 3 महीने पहले मिला था, इसके सम्बन्ध में चित्र के पूर्व-प्रदर्शन की एक प्रक्रिया होती है, वह हो गई है और उसके सदस्यों ने उस पर अपनी संस्तुति दे दी है और अब मंत्रि-मण्डल उस पर अपना निर्णय लेगा कि उसको छूट दी जाय या नहीं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह 'आनन्द-आश्रम' नामक चित्र क्या दिखाया जा रहा है ? यदि हां, तो इन 3 महीनों से अब तक उस पर निर्णय न लेने का क्या कारण है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

यह चित्र उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित हो रहा है। यह कोई जरूरी नहीं है कि चित्र के प्रदर्शन के पूर्व ही उसको छूट दी जाय, उसके बाद भी दी जा सकती है । जब वह समय दे देते हैं कि अमुक दिन वह पूर्व प्रदर्शन के लिए तैयार है, तो उस दिन उसका समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है । इसमें जान पड़ता है कि उन्होंने पूर्व प्रदर्शन कराने में देरी की होगी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इन्टरटेनमेंट टैक्स से जो छूट दी जाती है उस पर निर्णय लेने के लिए क्या कोई कमेटी है? क्योंकि यह देखा जाता है कि बहुत सी फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दे दी जाती है तो क्या इस प्रक्रिया में सुधार लाकर सरकार कोई ठोस नीति अपनाएगी, जिससे मनोरंजन कर की हानि न होने पाये ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, शासन की सामान्य नीति मनोरंजन-कर से छूट न देने की है, लेकिन कोई फिल्म विशेष साफ-सुथरी हो, सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण है कलात्मक दृष्टि से अच्छी हो और उसके लिए वितरक न मिलता हो तो ऐसी फिल्मों को छूट दी जा सकती है । या फिर फिल्म बहुत अधिक प्रगतिशील हो, समयोपयोगी चित्र हो, जिसको जनता तक पहुंचाने के लिए निर्माता ने अच्छे ढंग से प्रयास किया हो और शासन उसे समझता हो, तो उसे छूट दी जाती है ।

श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

जब मनोरंजन कर की चोरी हो रही है, तो क्या शासन के सामने ऐसी कोई नीति है कि फिल्म का सरकार द्वारा स्वयं वितरण किया जाय और सब दूसरे सम्बधित काम अपने हाथ में ले लिये जायं जिससे यह क्षति न हो ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि बहुत से फिल्म निर्माता राजनैतिक दबाव देकर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके मनोरंजन कर में छूट प्राप्त कर लेते हैं, इससे प्रदेशीय कोष को आर्थिक हानि होती है । तो किसी भी फिल्म को मनोरंजन कर से छूट न दी जाय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे उत्पन्न नहीं होता ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

निर्माता ने इन्टरटेनमेन्ट टैक्स से छूट प्राप्त करने के लिए तीन महीने पहले जो आवेदन-पत्र दिया था, उसमें क्या बुनियादी आधार थे, जिन पर वह छूट चाहते थे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

प्राय: यह देखा गया है कि जितने प्रार्थना-पत्र शासन के समक्ष आये हैं, उनमें प्रत्येक फिल्म निर्माता या वितरक उसके कथानक, गीत और इश्तहार को शासन के समक्ष भेज देता है और

साधारणतया सभी लोग छूट की मांग करते रहते हैं। प्रत्येक में कहा जाता है कि फिल्म समाज के लिए बड़ी उपयोगी है । किन्तु हम कोई निर्णय तभी लेते हैं, जब उसके पूर्व प्रदर्शन के बाद सचिव या अन्य उच्चाधिकारियों की उस पर संस्तुति प्राप्त हो जाती है ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मैंने पिछली रात्रि ही उक्त आनन्द आश्रम फिल्म देखी है, मेरी ऐसी मान्यता है कि सामजिक परिवर्तन और जाति-तोड़ो की दृष्टि से उससे अच्छी कोई फिल्म नहीं हो सकती है, तो माननीय मंत्री जी ने अपनी जो कसौटी बना रखी है, उस पर वह फिल्म खरी उतरती है या नहीं, उस सम्बन्ध में वह कोई आख्या अपने विभाग से मांग रहे हैं या नहीं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जिन उच्चाधिकारियों ने इसे देखा उनकी टिप्पणी शासन को प्राप्त हो गयी है और अब मंत्रि-मण्डल उस पर शीघ्र ही अपना निर्णय लेने वाला है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 'आनन्द आश्रम' नामक फिल्म को मनोरंजन कर की मुक्ति के सम्बन्ध में जो प्रार्थना-पत्र आया है, उसे अभी तक अस्वीकृत नहीं किया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण अभी तक अस्वीकृत नहीं किया गया है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया है कि उसे स्वीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसका पूर्व प्रदर्शन हो चुका है और अधिकारियों की टिप्पणी आ चुकी है । अब मामला मंत्रिपरिषद् के विचाराधीन है । मंत्रि-परिषद् विचार कर लेगा तब उसे अस्वीकार भी किया जा सकता और स्वीकार भी किया जा सकता है ।

प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर जिला परिषदों का चुनाव

**2--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार ने जिला परिषदों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर कराने का निश्चय कर लिया है ? यदि हां, तो इस चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी और ये चुनाव कब तक सम्पन्न हो जायेंगे ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)--

जी हां ।

यह चुनाव इस वर्ष के अन्त तक होंगे ।

ग्राम सभाओं का चुनाव

**3--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थिति)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभाओं के चुनाव कब सम्पन्न होने जा रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

ग्राम सभाओं के चुनाव इस वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही सम्पन्न करा दिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न

कार्यालय, जिला कृषि अधिकारी हरदोई के कर्मचारियों की सिक्योरिटी मनी

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के कार्यालय में वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 में किन-किन कर्मचारियों की तथा कितनी-कितनी सिक्योरिटी मनी उनके वेतन से काटी गई, और क्या वहां के कर्मचारियों द्वारा इस बात की कई शिकायतें फरवरी, से अगस्त, 1971 में प्राप्त हुई हैं कि काटी गई सिक्योरिटी मनी कहीं पर जमा नहीं की गई है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री राजेंद्र सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने 4-11-1977 को दिया था और 24-11-1977 को विभाग को भेजा गया । 4 महीने से ऊपर हो गये हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि कितने दिनों के अन्दर ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिये और हमारे इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री महोदय कितने दिनों में देगें क्या इसके लिये भी कोई पंचवर्षीय योजना बनानी पड़ेगी ? 4 महीने से अधिक हो गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका उत्तर निश्चित रूप से कब तक आ जायेगा ?

श्री राजेंद्र सिंह—

अगले सप्ताह में ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

कौन सी तारीख को ?

श्री अध्यक्ष—

जब इनका नम्बर आयेगा ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था का कोई असर नहीं पड़ता है प्रश्नों के उत्तर समय से नहीं आते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कहा अगले सप्ताह में, यह प्रश्न स्थगित किया गया ।

*2–3—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री श्री नारायण, श्री नेतराम सिंह, कुंवर तेजभान सिंह, श्री शिव लाल मित्तल, श्री रामफेर कोरी तथा श्री दशरथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*4—श्री राम आसरे वर्मा—

[1ले बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की गोरखपुर शाखा के प्रबन्धक एवं फ़ील्ड आफ़िसर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, गोरखपुर के शाखा प्रबन्धक एवं क्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की सूचना जिले के करीब एक दर्जन विधायकों ने जुलाई, 1977 में उन्हें दी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

सर्वश्री जगदीश प्रसाद, नागेन्द्र नाथ सिंह, दुक्खी प्रसाद, शारदा प्रसाद जायसवाल एवं जनार्दन प्रसाद ओझा, विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक शिकायती पत्र दिनांक 9-7-77 अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को प्राप्त हुआ । शिकायती-पत्र में बैंक की गोरखपुर शाखा के शाखा प्रबन्धक एवं फील्ड आफीसर के विरुद्ध आरोप लगाते हुए उनके स्थानान्तरण की मांग की गयी थी । उक्त शिकायती-पत्र की जांच बैंक के अधिकारी द्वारा एवं सहकारी समिति निबन्धक के माध्यम से उप निबन्धक गोरखपुर से करायी गयी । जांच के आधार पर उक्त दोनों कर्मचारियों को गोरखपुर शाखा से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है, तथा उनके विरुद्ध बैंक द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आरोप-पत्र क्या था और जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उनके आरोप थे कि दबाव डालकर दूसरे इंजिन की आपूर्ति किया जाना, फर्जी इंतखाब करके ऋण का भुगतान करना और इंजिन की अग्रिम आपूर्ति किया जाना, इस प्रकार के आरोप थे । इनमें ऋण भुगतान और इंजिन की अग्रिम आपूर्ति किया जाना, ये मुख्य आरोप थे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए जो जांच हुई, वह अपर्याप्त है । विभागीय अधिकारियों ने उस पर परदा डालने की कोशिश की है । शिकायती-पत्र में यह भी कहा गया था कि जब इस मामले में शिकायत की जांच हो, तो उसकी सूचना हम को भी दी जाय। तो क्या वे संबंधित व्यक्तियों को निलंबित करके, उनके विरुद्ध सार्वजनिक जांच कराने की आवश्यकता महसूस करते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

ये बैंक के कर्मचारी हैं हमारे विभाग से उनको कहा जा रहा है कि जो आरोप सिद्ध हुए हैं, उन पर पूछताछ करने के बाद और उत्तर मिलने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या आरोप-पत्र में, उनके खिलाफ किसी कार्यवाही करने की डिमांड की गयी थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

स्थानान्तरण के साथ-साथ मुख्य मांग यह थी कि दबाव डालकर दूसरे इंजिन की आपूर्ति की जा रही है और फर्जी इन्तखाब दिखाकर प्रार्थना-पत्र तैयार किये जा रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या उनकी मांग यह थी कि उनके विरुद्ध ऐक्शन लिया जाय या तबादला कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी आप यह बता दें कि उनकी मांग क्या थी ? यह तो उनकी शिकायत हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उनकी यह मांग थी कि उनके विरुद्ध जांच की जाय और तुरन्त स्थानान्तरण किया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

जो आरोप थे, उनको तो आपने पढ़ दिया । इन आरोपों में से कौन-कौन से आरोप सिद्ध हुए ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

यही आरोप थे, जो जांच के द्वारा सिद्ध हुआ एक था कि दबाव डालकर दूसरे इंजिन की आपूर्ति किया जाना, फर्जी इन्तखाब दिखाकर अनुदान का अग्रिम दिया जाना ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी के खिलाफ गम्भीर आरोप-पत्र दाखिल किया था, जब जांच हुई तो उस अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया और फिर रोक दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

स्थानान्तरण कर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पहले स्थानान्तरण कर दिया गया और फिर रोक दिया गया ?

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मेरा कहना यह है कि उस अधिकारी के खिलाफ जिसके विरुद्ध गम्भीर आरोप थे, और जांच के बाद प्रकाश में भी आये, तो उसका स्थानान्तरण किया गया और फिर रोक दिया गया और फिर कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों किया गया कि पहले ट्रांसफर किया गया फिर रोक दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं पहले तो जांच चल रही थी, वह आरोप सिद्ध नहीं हुए थे और जब सिद्ध हुए तो तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया गया और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच में आरोप उसके खिलाफ कब सिद्ध हुआ है और उसको निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

हमारी तरफ से उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। अब उनकी जो जांच रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मैं नीति सम्बन्धी प्रश्न पूंछना चाहता हूं कि क्या जांच के दौरान उन विधायक से भी सम्पर्क किया गया, जिन्होंने शिकायत की थी ? यदि नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जो कोई आदरणीय सदन का सदस्य शिकायत करे, तो उस माननीय सदस्य से भी सम्पर्क किया करें ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

हां, करेंगे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप पर उसका तबादला किया गया, फिर तबादला रोक दिया गया और फिर तबादला किया गया और अब मंत्री महोदय ने बताया कि आरोप साबित हो गये हैं, तब उस अधिकारी के खिलाफ वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर दे दिया है कि विभाग को लिखा गया है कि कार्यवाही की जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब वह 4 पंपिंग सेट मशीनें जांच करने पर, मंत्री जी के क्षेत्र में लगी नहीं पायी गयीं और उनके विरुद्ध कार्यवाही फिर नये सिरे से चालू की गयी। उनको तुरन्त हटाने का आदेश दिया फिर भी विभागीय अधिकारियों की बदमाशी से मैं जान-बूझ कर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि विभागीय अधिकारियों की बदमाशी से उनका ट्रांसफर रोक दिया गया और जब मंत्री जी का दूसरा आदेश गया, तब उनको मात्र हटाया गया और सस्पेंशन की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी सदन के सामने पूरी कार्यवाही रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

हां, करेंगे।

*6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[4 थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*7—श्री रणजीत सिंह—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

देहरादून जिले के विकास खण्ड डोईवाला तथा सहसपुर के पुनर्गठन की मांग

*8—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादन)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या जनपद देहरादून के विकास खंड डोईवाला तथा सहसपुर के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुनर्गठन की कार्यवही कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं ।

श्री रणजीत सिंह—

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 35 हजार की जनसंख्या पर एक विकास खंड के गठन की सरकारी नीति है । फिर जबकि विकास खंड डोईवाला तथा सहसपुर, दोनों विकास खंडों की जन-संख्या प्रत्येक में लगभग 1.15 लाख है तब क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उक्त विकास खंडों का पुनर्गठन किन कारणों से नहीं किया जा रहा है ? क्या माननीय मंत्री जी यथाशीघ्र उक्त दोनों विकास खंडों के पुनर्गठन का आश्वासन देंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, वह कम है, इसलिए वह हो नहीं सकता । क्योंकि वित्त विभाग ने आपत्ति की है कि नये विकास खंड नहीं खोले जा सकते ।

श्री रणजीत सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जब सरकारी नीति 35 हजार की आबादी पर एक विकास खंड पुनर्गठन करने की है, तब क्या दिक्कत है कि डोईवाला और सहसपुर, जिनकी आबादी 1 लाख, 15 हजार है, उनका पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर दिया कि वित्त विभाग की आपत्ति के अनुसार नहीं कर रहे हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या यह बात सही नहीं है कि ग्राम्य विकास खंडों के पुनर्गठन के सबंध में नियम है कि अगर वहां के अगल-बगल के विकास खंड प्रस्ताव करें, जिला परिषद् प्रस्ताव करे तो सरकार विचार करती हैं । इस संदर्भ में डोईवाला और सहसपुर विकास खंडों ने प्रस्ताव शासन को भेजा हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

इस बारे में सूचना एकत्र करके दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

विकास खंडों का गठन किस आधार पर होता है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जन-संख्या के आधार पर ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपनी नीतियों के आधार के विपरीत गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लाक को क्यों तोड़ने के आदेश दिये हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

इसके बारे में जानकारी एकत्र करके दी जायगी ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

कुछ जगह नयी तहसीलें निर्मित हुई है । क्या उन जगह पर इन ब्लाकों का फिर से पुनर्गठन होगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता ।

श्री गुलाब सेहरा—

जब सरकार ने यह नीति बनायी है कि 35 हजार की जनसंख्या पर, एक ब्लाक बनाया जायगा, तो क्या नीति बनाते समय वित्त की व्यवस्था नहीं की जाती ?

श्री जमुना प्रसाद—

की जाती है, लेकिन वित्तीय साधनों की वजह से कभी दिक्कत भी पड़ जाती है ।

श्री अध्यक्ष—

फिर आप इस नीति को ही क्यों नहीं बदल देते ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मै जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में विकास खंडों के गठन के सम्बन्ध में जनसंख्या का अलग-अलग क्या आधार है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, इसका उत्तर अगले सत्र में दे सकूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप समय चाहते हैं ?

श्री देवबहादुर सिंह—

जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र समितियों का पुनर्गठन किया जाता है यह बताया गया। तो क्या जन संख्या के आधार पर सारे ब्लाकों के पुनर्गठन की कोई योजना विचाराधीन है और उसके लिये अलग से कोई व्यवस्था वित्तीय साधनों को जुटाने की की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

जन-संख्या का आधार माननीय मंत्री जी ने बतलाया । हर 10 वर्ष बाद जन-संख्या की गणना होती है । तो जिस तरह से विधान सभा के क्षेत्रों का पुनर्गठन करने के लिये आयोग गठित किया जाता है, उसी तरह इन क्षेत्र समितियों के गठन के लिये भी कोई आयोग उसी तरह माननीय मंत्री जी गठित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि वह जन-संख्या के आधार पर अपनी संस्तुति सरकार को दे सके ?

श्री जमुना प्रसाद—

इस पर विचार किया जा सकता है ।

राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी संस्थान, लखनऊ के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स को एम0 एस-सी0 की डिग्री में परिवर्तित किये जाने की मांग

*9—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी संस्थान, लखनऊ के 15–मासी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स को 2–वर्षीय एम0 एस-सी0 डिग्री में परिवर्तित तथा पुराने छात्रों को एसोसिएटशिप प्रदान करने आदि का विषय शासन के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि उक्त संस्थान के प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स ने सन् 1977 में कृषि मन्त्री को कोई ज्ञापन भी दिया था ? यदि हां, तो उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी संस्थान, लखनऊ में 15 मासीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की 2 वर्षीय एम0 एस-सी0 डिग्री में परिवर्तित करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में वर्तमान समय में फल संरक्षण का संकाय (Faculty) नहीं है। पुराने छात्रों को एसोशियेटशिप प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है। दिनांक 8–4–1977 को इस संस्थान के एक भूतपूर्व छात्र श्री के0 पी0 एस0 गौतम ने एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में उनकी मांगों पर विचार किया गया, किन्तु उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकरी है कि सेन्ट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर में भी 15 मासीय कोर्स चलाया जाता था, जिसे दो वर्ष में परिवर्तित कर एम0 एस-सी0 डिग्री के समकक्ष डिग्री दी जा रही है और उसकी डिग्री को पूना, बड़ौदा आदि विश्वविद्यालय मान्यता दे चुके हैं ? यदि यह मैसूर और बड़ौदा आदि में सम्भव है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों सम्भव नहीं है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हम कानपुर विश्वविद्यालय में यह कोशिश कर रहे हैं कि यह संकाय (फैकल्टी) कानपुर विश्वविद्यालय में खोल दी जाय। लेकिन जब तक वहां पर संकाय नहीं खुलता, तब तक यह संभव नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे, कि राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा-बन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा इसको चलाये जाने में यदि कोई कठिनाई है, तो क्या उसे चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध करने पर विचार किया जायगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

पहले कानपुर विश्वविद्यालय में फैकल्टी खुल जायगी, तब इसको इससे अटैच कर दिया जायगा, क्योंकि पहले फैकल्टी खुलना जरूरी है। जब तक किसी विश्वविद्यालय में फैकल्टी नहीं है, तब तक दो साल का कोर्स करना संभव नहीं है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, इस उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण की व्यापकता और उसकी मांग को देखते हुए, जो वर्षों से एक डिप्लोमा कोर्स चल रहा है, उसको यथाशीघ्र डिग्री कोर्स में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैसूर में बहुत कम छात्रों का प्रवेश हो पाता है और जनता की मांग निरंतर फल संरक्षण की ओर बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं कि कानपुर विश्वविद्यालय में इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर एक फैकल्टी कायम की जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि पर्वतीय क्षत्र में फल उत्पादन काफी संख्या में हो रहा है, कुमायूं विश्वविद्यालय में इस संस्थान को खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

विचार किया जा सकता है।

श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा-बन्दी संस्थान, लखनऊ, जिसके लिये भूमि प्राप्त हो चुकी है,उसको तैयार करने की कब तक व्यवस्था की जायगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जब वित्तीय साधन उपलब्ध हो जायेंगे, करा दिया जायगा, श्रीमन्।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह फैकल्टी कानपुर में कब तक खुल जाने की आशा है, ताकि विद्यार्थियों को अपने प्रवेश के लिये मैसूर, पूना, बड़ौदा आदि स्थानों पर न जाना पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए कानपुर विश्वविद्यालय में इस फैकल्टी को जल्द से जल्द खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य का सुझाव मान्य है और उस दिशा में सम्भव प्रयास शीघ्र किया जायगा।

पशुपालन विभाग के अधिकारी की भूटान सरकार के अन्तर्गत प्रति नियुक्ति और अधिकारी का स्नातकोत्तर वेतन

*10—श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग के उन अधिकारियों, जिन्हें 1973 में प्रतिनियुक्ति पर भूटान भेजा गया था, के समुचित शासनादेश जारी हो गए हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

पशुधन उप मन्त्री (श्री मुख्तार अनीस)—

जी हां, संबंधित शासनादेश की एक प्रति संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 559 पर)

*11—श्री रमाशंकर कौशिक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उन सभी पशुपालन विभाग के अधिकारियों को वेतन अभिनवीकरण समिति 1965 की संस्तुति के आधार पर स्नातकोत्तर वेतन दिया जा रहा है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने व्यय पर स्नातकोत्तर (एम0एस0) उपाधि प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो सरकार स्नातकोत्तर वेतन में अनुरूपता कब तक करेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

संयुक्त राज्य अमेरिका स्नातकोत्तर (एम0एस0) उपाधि प्राप्त एक अधिकारी को स्नातकोत्तर वेतन स्वीकृत किया गया है।

श्री रमाशंकर कौशिक—

क्या मन्त्री महोदय को जानकारी है कि शासनादेश 28 दिसम्बर को जारी हो चुका है लेकिन उस पर कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, जो शासनादेश हो गया है, उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मेरा निवेदन है कि अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री मुख्तार अनीस—

उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है। आदेश जा चुके हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिये कितने अधिकारी गये थे ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, स्नातकोत्तर वेतन दिये जाने से संबंधित निम्नलिखित चार अधिकारियों के मामले निदेशक द्वारा शासन को भेजे गये थे:—

1—श्री सी0 बी0 सिंह, उप निदेशक, ग्राम संग्रह योजना। 2—आर0 पी0 माथुर, रोग नियंत्रण अधिकारी, कुक्कुट। 3—डा0 एस0 एन0 सक्सेना, रिसर्च आफिसर। 4—डा0 भोपाल सिंह, रिसर्च आफिसर। परीक्षणोपरांत केवल एक अधिकारी वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पाये गये। अतः उन्हें स्नातकोत्तर वेतन स्वीकृत किया गया। इनका नाम डा0 आर0 पी0 माथुर है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि अमेरिका में स्नातकोत्तर उपाधि पाने वालों को स्नातकोत्तर भत्ता दिये जाने की संस्तुति की है, तो क्या अपने प्रदेश में उन छात्रों या अधिकारियों को जिन्होंने यह उपाधि ग्रहण की है, उनको भी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, यह मांग कई बार उठाई जा चुकी है और शासन के सामने यह मांग विचाराधीन है। इस पर विचार किया जा रहा है।

भूमि विकास बैंक, वाराणसी तथा ज्ञानपुर द्वारा लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण

*12—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक, वाराणसी तथा ज्ञानपुर ने लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों को पंपिंग सेट (विद्युत् तथा डीजल) लगाने हेतु ऋण देना तीन माह से बन्द कर दिया है जिसमें बड़ागांव ब्लाक, वाराणसी तथा अन्य कई ब्लाक प्रभावित हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 72 विकास खंडों में भू-गर्भ जल की स्थिति असंतोषजनक होने के कारण भूमि विकास बैंक द्वारा दिनांक 22–7–77 से, प्रभावित विकास खंडों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण बन्द कर दिया गया था जिसमें वाराणसी के 8 विकास खंड भी सम्मिलित थे। भू-गर्भ जल की स्थिति के पुन: परीक्षण पर दिनांक 5–10–77 से प्रदेश के 9 विकास खंडों को छोड़कर लघु सिंचाई साधनों हेतु भूमि विकास बैंक द्वारा पूर्व की भांति ऋण वितरण आरम्भ कर दिया गया है। वाराणसी जनपद के सभी विकास खंडों में ऋण वितरण का कार्य 5–10–77 से पुन: प्रारम्भ हो गया है।

श्री ऊदल—

ठीक है, समस्या हल हो गयी है।

बहराइच-इलाहाबाद मार्ग पर रात्रि बस सेवा

*13—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच से इलाहाबाद के लिए रात्रि बस सेवा चालू करने हेतु सरकारी आदेश के बावजूद भी गोरखपुर रीजन के अधिकारीगण बस सेवा चालू नहीं कर रहें हैं? यदि हां, तो शासन उक्त बस सेवा को शीघ्र चालू कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है और शासनादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है?

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)—

दिनांक 2–1–78 से बहराइच-इलाहाबाद रात्रि सेवा का संचालन आरम्भ कर दिया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उक्त बस सेवा चालू करने का पहला आदेश किस तारीख को पारित किया गया और क्या यह सही है कि विधान सभा में सवाल हो जाने के बाद उक्त बस सेवा चालू हुई। यदि हां, तो क्या सरकार अधिकारियों के इस रवैये पर अंकुश लगाने हेतु, और स्पष्ट शासनादेश की अवहेलना के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री आबिद अली—

माननीय श्री श्रीराम द्विवेदी जी की एक चिट्ठी 21 सितम्बर की है, जिसमें उन्होंने कहा है। मगर यह जो सर्विस है, यह दो रीजनों के बीच की है। तो इसमें लिखा पढ़ी में कुछ टाइम लग जाता है। इसी वजह से विलम्ब हुआ। बहरहाल यह नहीं है कि जिस समय सवाल हुआ, तब यह हुआ। कार्यवाही में कुछ टाइम लग जाता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सवाल है कि पहला आदेश इस बस सेवा को चालू करने का कब हुआ और यह सेवा कब चालू हुई। इसमें जो विलम्ब हुआ, शासनादेश के बावजूद, तो कौन से अधिकारी दोषी हैं और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है?

श्री आबिद अली—

मान्यवर, मैंने 21–9–77 को लिखकर भेजा था। उसके बाद वहां पर दो रीजन की बात थी। लिखा-पढ़ी होने में कुछ समय लगा। इसलिये विलम्ब हुआ। लेकिन कम्प्लायन्स हो गयी है और उसके बाद 2–1–78 से रात्रि सेवा चालू हो गयी है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इलाहाबाद रीजन से गोरखपुर रीजन की सर्विस है। गोरखपुर से आदेश लेने की इसमें जरूरत नहीं थी। तो इलाहाबाद रीजन से कब आदेश दे दिया कि बस चला सकते हैं ?

श्री आबिद अली--

मेरे पास तारीख नहीं है, इसलिये इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रूटों पर प्राइवेट बसों को एलाऊ किया गया है इस द्वन्द में अधिकारी आपके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और आपके आदशों का पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

यह पृथक् प्रश्न है। यह बिल्कुल नया प्रश्न है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब गोरखपुर रीजन की बसों को चलाने का आदेश हुआ, तो इलाहाबाद रीजन के किस अधिकारी ने कौन सी बात कही, जिस पर इसको रोकने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री आबिद अली--

रोकने की बात नहीं है, लेकिन आर्डर होने के बाद कुछ टाइम ज्यादा लगा क्योंकि दो रीजन की बात थी, इसलिये समय ज्यादा लगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को बस चालू करने के लिये आपने आदेश दिया था और किस तारीख से बस चालू हुई क्योंकि आप कहते हैं कि कुछ समय लग गया ? दूसरे बस्ती में दौरे के समय इलाहाबाद से और गोरखपुर से बसें चलाने का आपने आदेश दिया था, लेकिन वह अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ, तो वह बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

बस्ती का प्रश्न नहीं है। इसका इससे संबंध नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया कि कितना समय लगा और आदेश का पालन कब किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

मान्यवर, मंत्री जी के आदेश के पालन में ढाई-तीन महीने लग गये। तो क्या विभाग से पूछा गया कि इतने विलम्ब से उनके आदेश का पालन क्यों किया गया ?

श्री आबिद अली--

मैंने पूछा था, तो यही बताया गया कि चूंकि दो रीजन की बात थी इसलिये समय लग गया है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, प्रश्न से और माननीय मंत्री जी के उत्तर से साफ है कि आदेश देने के बाद काफी विलम्ब हुआ। तो क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि देरी, इस कारण हुई कि प्राइवेट बसों के आपरेटर्स की अधिकारियों से सांठ-गांठ थी ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका सुझाव है।

श्री मैनेजर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो उत्तर मंत्री जी से आते हैं, उनसे अधिकारियों की मनमानी करने की छूट बढ़ी है, इसलिये आप सारी पत्रावली देखें कि कब मंत्री जी ने आदेश दिया, कब लिखा पढ़ी की गयी और कब वहां से स्वीकृति मिली ? गोरखपुर और इलाहाबाद रीजन की पत्रावलियों को आप देखे। यदि विलम्ब किया गया हो, तो उनको आप सजा दें।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दिया कि नवम्बर में आदेश दिया और यह मान लिया कि आदेश के परिपालन में देरी हुई। इस सम्बन्ध में उचित होगा माननीय मंत्री जी जिन अधिकारियों ने देरी की, उनसे जवाब मांगें।

पर्वतीय क्षेत्रों में होटल भवन बनाये जाने संबंधी कथित घोषणा

*14--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्यटन मन्त्री बतलाने की कृपा करेगें कि पर्वतीय क्षेत्रों में व्यवसाय तथा अन्य योजनाओं के लिये एक हजार होटल भवन बनाने की सरकार की ओर से गत वर्ष घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि उस सम्बन्ध मे अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है ?

श्री आबिद अली--

जी नहीं।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसकी मुझे निश्चित जानकारी है कि पिछले बजट में भी था और पिछली सरकार ने एक हजार पर्यटक भवन बनाने की घोषणा की थी। माननीय मंत्री जी उत्तर 'न' लिख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं की मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गलत बयानी हाउस में क्यों की और दूसरी बात यह है कि क्या कोई उनकी योजना है और वह कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री आबिद अली--

इसमें दो जुर्ज हैं। एक तो यह है कि हिल डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से कुछ बैड्स बनाये जाते हैं, टूरिस्ट बंगले बनाये जाते हैं और कुछ प्राइवेट लाज बनायी जाती है। गुजिश्ता

साल में एक हजार का प्रावीजन था। इस साल भी आप देखेंगे कि छः सौ साढ़े छैः सौ बेड्स का प्रावीजन अगले साल के बजट में है। यह एक हजार होटल भवन बनने की बात थी। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने मार्च सन् 76 में अपने पहाड़ी दौरे के दरमियान यह कहा था कि पहाड़ी इलाकों में 10 हजार काटेज के निर्माण की जरूरत है। इस पर अमल करने के लिए 20 अप्रैल, 76 को भूतपूर्व राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी। उसने सर्वे किया और कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में, पर्यटकों के लिए 10 हजार 340 बैड्स की जरूरत है, जो मुख्तलिफ जगहों पर बनाये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो खास-खास जगह हैं, उनमें 1 हजार बैड्स की जरूरत है। किस तरह से अमल किया जाय इसके लिए एक इम्पावरिंग कमेटी बनायी गयी। उसकी दो बैठकें हुई। एक बैठक 11 अगस्त, 77 को और दूसरी बैठक 21 नवम्बर, 77 को हुई और उसने यह कहा कि इतना तो नहीं हो पायेगा। पहले फेज में एक हजार टूरिस्ट काटेज बननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गढ़वाल में मंडल पर्यटक काटेज 300, कुमायूं मंडल में 400, गढ़वाल मंडल में 200 उन्होंने यह भी कहा कि इस काम में प्राइवेट संस्थाओं को प्रिफरेन्स दी जाय, दूसरे नम्बर पर नगर महापालिका, तीसरे पर गांव सभा, चौथे पर जिला परिषद्, पांचवें पर मंडी समिति और फिर मंडलीय विकास निगम को कंसीडर किया जाय। यह काम किस तरह से किया जाय, यह बात कमिश्नर को सुपुर्द की गयी। उनसे दरख्वास्त मांगने के लिये कहा गया, उन्होंने दरख्वास्त मांगी, 2,095 दरखास्तें आयीं। फाइनेन्स का जब मामला आया, तो कमिश्नर और बैंक के बीच बात हो रही है कि किस तरह से फाइनेन्स करवाया जाय और किस तरह से लोनिंग हो।

श्री अध्यक्ष—

आपने उत्तर दिया "जी नहीं।" 'जी नहीं' क्यों लिखा। प्रश्न यह था कि 1 हजार भवन बनाने की घोषणा की गयी। आपने अनुपूरक उत्तर में बतलाया कि इसकी योजना थी। तो मूल प्रश्न का उत्तर आपने नहीं में क्यों दिया ?

श्री आबिद अली—

मान्यवर, यह जो प्राइवेट भवन बनाने की बात है, उसके मुतल्लिक है। उसमें जो चीज है, जो लब्ज है, उसकी तहत में यह चीज है, मान्यवर। एक हजार होटल भवन की बात है। बनाने की बात नहीं है। प्राइवेट में इसमें यह भी है कि मकान का इक्सटेंशन कर लें। इसलिये वह योजना बिल्कुल अलग है। इसलिये, मान्यवर, जो वर्डिंग है, उस लिहाज से यह हुआ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट निवेदन था जिसके बारे में आपने, मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया कि उन्होंने अनुपूरक में उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जानबूझकर हाउस को गुमराह करके गलत उत्तर दिया। मान्यवर, पिछले बजट में इसका प्राविधान है। किस तरह से करेंगे, बैंक से करें या कैसे करेंगे, वह अलग बात है। लेकिन मान्यवर, पिछले बजट में होने के बाद भी मंत्री महोदय ने जानबूझ कर यह किया। तो एक बात तो यह है कि माननीय मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया। दूसरी बात है, मान्यवर, अब वह क्या करना चाहते हैं ? उनकी भी कोई योजना होगी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं और यदि करना चाहते हैं, तो कब तक करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आरोप तो सही नहीं है कि जानबूझ करके भ्रमित किया। जो उत्तर इनको भेजा गया, उसी आधार पर उत्तर दिया । हां, जो दूसरी बात है कि आगे क्या योजना है, उसका उत्तर माननीय परिवहन मंत्री जी देने की कृपा करें ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, मैंने जो चीज निवेदन किया, उसमें जो प्राइवेट है, उसमें यही है कि एक हजार बैड्स बनाने की बात है । उसमें पर्यटक काटेजेज गढ़वाल मंडल में 300 और कुमायूं मंडल में 100 बनेंगे । उसके बाद निजी हाउसेज सुधार योजना में गढ़वाल में 400 और कुमायूं मंडल में 200 होंगे । इसके लिये कमिश्नर द्वारा दरख्वास्तें मांगी गयी हैं । 2095 दरख्वास्तें आ गयी हैं । पैसा कहां से आये, उसके बारे में कमिश्नर और बैंकों से बात हो रही है ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)--

ये काटेजेज चाहे सरकारी क्षेत्र में बने या प्राइवेट में बने, मेरी जानकारी में है कि कार्य-भार अधिक होने की वजह से डायरेक्टर टूरिज्म इस काम को नहीं कर पा रहे हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल के लिये अलग से डायरेक्टर, टूरिज्म बनाने पर विचार क्या हो सकता है ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। इस वास्ते कि हिल डेवलपमेंट बोर्ड है, जो इस काम को देखता है । अलग से बनाने की आवश्यकता है नहीं, मान्यवर ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो टूरिज्म डिपार्टमेंट को डाक बंगले दिये गये हैं, क्या दूसरे डिपार्टमेंट की परमीशन के बिना ये कर दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे संबंधित नहीं है ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मूल प्रश्न है कि एक हजार भवन बनाने की व्यवस्था बजट में उल्लिखित है, तो क्या यह एक हजार भवनों की व्यवस्था बजट में है या एक हजार बैड्स की ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर दे चुके हैं एक हजार बैड्स की ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को कुछ भी नहीं मालूम है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से या गढवाल मंडल विकास निगम या कुमायूं मंडल विकास निगम की ओर से कोई होटल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो वह कितने की है और उसमें क्या हो रहा है?

श्री आबिद अली--

इसके लिये, मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है।

फैजाबाद जिले के विकास खंड भीटी तथा कटेहरी की जीपें

*15—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के भीटी तथा कटेहरी विकास खण्डों में विभागीय जीपें कितने दिनों से नहीं हैं ? सरकार द्वारा इन दुर्गम परिवहन विहीन एवं पिछड़े हुए विकास खण्डों को कब तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी यह नवम्बर में प्रश्न भेजा गया था और सिर्फ इसमें इतना है कि विकास खंड में जीप हैं कि नहीं। इसकी सूचना इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में जो, सूचना थी उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे सप्लीमेंट्री के लिए और सूचना चाहिए थी इसलिये मैंने और सूचना मांगी है। मैं समझता हूं कि हफ्ते दो हफ्ते में सूचना आ जायगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इन ब्लाकों की जीपें सन् 62 से पहले गायब कर दी गयी थीं और नेशनल हाई वे फैजाबाद में रख दी गयी थीं और सरकार को रिपोर्ट भेज दी गयी थी कि सन् 62 की लड़ाई में उक्त जीपें रक्षा मंत्रालय को भेज दी गयी हैं। विभागीय अधिकारियों की, जीपों को हड़पने की साजिश थी इसलिए जांच करने में देरी हुई है और स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

ग्राम्य विकास मंत्री जी, क्या यह सूचना सही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैंने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है ताकि जो और प्रश्न होंगे उनका भी उत्तर आ जायगा। हफ्ते दो हफ्ते में यह सूचना आ जायगी।

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न स्थगित किया जाता है।

*16—श्री रवीन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*17—श्री रवीन्द्र सिंह—

[20-3-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*18—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[20-3-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*19—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 4 थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

देवरिया जिले के देवरिया-कोटवा, देवरिया-कसया-रामकोला-छपिया मार्ग की निरस्त की गई बस सेवा

*20—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के नौरंगिया विकास खंड के मुख्यालय, कोटवा बाजार तक देवरिया से चलने वाली बस किन कारणों से बन्द कर दी गई है? इसके लिए प्रश्नकर्ता के जून, 1977 से सितम्बर, 1977 तक कितने आवेदन-पत्र माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री आबिद अली—

देवरिया कोटवा मार्ग पर दिनांक 29–7–74 से एक बस सेवा प्रयोगात्मक रूप से अस्थायी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर संचालित की गयी थी जो कि दिनांक 4–3–77 तक चलती रही परन्तु उपरोक्त अवधि में उक्त बस सेवा की आय सन्तोषजनक नहीं पायी गयी इसलिये दिनांक 5–3–77 से इसे बन्द कर देना पड़ा। जहां तक प्राप्त आवेदन-पत्रों का प्रश्न है, इस विषय में माननीय विधायक का एक पत्र दिनांक 11–10–77 को प्राप्त हुआ था परन्तु उक्त बस सेवा का संचालन प्रयोगात्मक रूप से चलाये जाने पर आय असन्तोषजनक पाये जाने के कारण पुनः चलाना संभव नहीं हो सका।

*21—श्री श्रीनारायण—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला केन्द्र से कसया, टेकुआ-टार, रामकोला होकर छपिया जाने वाली बस किन कारणों से बन्द कर दी गई है? क्या सरकार इस बस को पुनः चलाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

श्री आबिद अली—

देवरिया, कसया, रामकोला, छपिया मार्ग की बस सेवा निरन्तर 24–10–63 से 23–3–73 तक परमिट के आधार पर चलती रही परन्तु उपरोक्त अवधि में उक्त बस की आय बहुत ही कम रही जिसके कारण उक्त सेवा को 24–3–73 से बन्द कर देना पड़ा। चूंकि उक्त मार्ग पर पुनः बस सेवा का चलाया जाना लाभप्रद नहीं होगा अतएव इसके संचालन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, कोटवा नौरंगिया विकास क्षेत्र का मुख्यालय है, देवरिया से 80 किलोमीटर है। रास्ते में सामान छीन लिया जाता है। बसें बन्द कर दी गयी हैं। हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि देवरिया से कोटवा बस सर्विस की औसतन आमदनी कितनी रही है?

श्री आबिद अली—

मान्यवर, अक्तूबर में 1.29 पैसे, नवम्बर में 1.17 पैसे, दिसम्बर में 1.80 पैसा, पर किलोमीटर आमदनी हुई। सन् 76 में जनवरी में 1.21 पैसा, फरवरी में 1.49 पैसा, मार्च में 1.28 पैसा पर किलोमीटर आमदनी हुई। इसका लोड फैक्टर, सितम्बर

में 33 प्रतिशत, अक्तूबर में 42 प्रतिशत, नवम्बर में 35 प्रतिशत, दिसम्बर में 68 प्रतिशत, जनवरी में 43 प्रतिशत, फरवरी में 52 प्रतिशत, मार्च में 47 प्रतिशत रहा। इस तरीके से कुछ लोड फैक्टर भी कम रहा और इनकम भी कम रही। रोडवेज कामर्शियल सेवा है इसलिये उसने मजबूरी जाहिर की है।

श्री श्रीनारायण—

अध्यक्ष जी, कोटवा से देवरिया और कोटवा से नौरंगिया प्राइवेट बस चलती हैं। प्राइवेट बसों के कन्डक्टर टिकट नहीं देते हैं। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जनता का काम आराम से हो सकेगा इसके खातिर बस चलाने का प्रयास करेगी ?

श्री आबिद अली—

देवरिया से पड़रौना तक नेशनलाइज्ड रूट है और उस पर तीस बसें चलती हैं। पडरौना से कोटवा तक 22 बसें चलती हैं, जो प्राइवेट रूट है। अब यह थोड़ा सा 4, 5 किलोमीटर का रूट रह जाता है। मैं आर0 टी0 ओ0 से कहूंगा कि अगर कोई प्राइवेट बस वाला तैयार हो, तो उसको वहां इजाजत दे दी जाय।

श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यह बस रूट अगर बदल दिया जाय, तो लोगों को ज्यादा सुविधा होगी और बस जल्दी पहुंच जायेगी, यानी देवरिया से रामकोला होकर सिगहर कोटवा तक बस चला सकते हैं ?

श्री आबिद अली—

इसकी आमदनी तथा लोड फैक्टर भी बतला दूं.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इसका मार्ग बदल दिया जाय, तो बस देवरिया जल्दी पहुंच जायगी, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री आबिद अली—

मैंने बताया कि देवरिया से पडरौना तक का नेशनलाइज्ड रूट है और दर्मियान में कुछ शार्ट रूट नान-नेशनलाइज्ड है। नान-नेशनलाइज्ड रूट पर प्राइवेट बसें चल रही हैं जिससे रोडवेज की बसें चलाना उचित नहीं होगा।

श्री श्रीनारायण—

क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि प्राइवेट बस वाले आर0 टी0 ओ0 तथा कंडक्टर्स को पैसा खिला देते हैं, जिससे रोडवेज की बस चलाने के लिये सिफारिश नहीं की जाती है ? क्या सरकार इस बात पर पुनः विचार करेगी कि जनता की सुख-सुविधा हेतु देवरिया से टेकेआटार होकर रामकोला–सिहगर–कोटवा तक बस चलाने का प्रयास करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य की शिकायत की जांच करा ली जाय।

श्री आबिद अली—

मैं इसे देख लूंगा।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

यदि बस चलाने में वहां निगम को घाटा है तो क्या सरकार प्राइवेट बस आपरेटर्स को परमिट देगी ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया ।)

मूंगफली विकास बोर्ड के गठन की मांग

*22—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा कोई इस आशय का पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 1977 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला जिसमें कि मूंगफली के विकास के लिए प्रदेश में मूंगफली विकास बोर्ड के गठन पर शासन विचार करे ? यदि हां, तो इस विषय में शासन की नीति क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8–11–1977 प्राप्त हुआ है, जिसमें मूंगफली के विकास के लिये प्रदेश में मूंगफली विकास बोर्ड के गठन पर विचार करने हेतु सुझाव दिया गया है ।

मूंगफली के लिए शासन का पृथक बोर्ड बनाने का विचार नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूंगफली की प्रति एकड़ उपज तथा उसकी किस्म निरन्तर घट रही है जिससे सीतापुर, लखीमपुर तथा हरदोई में जो मूंगफली का विशेष क्षेत्र है, वहां का काश्तकार बरबाद हो रहा है । और साथ ही साथ तेल की जो औद्योगिक यूनिट्स हैं, वे भी बरबाद हो रही हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में तिलहन के विकास के लिये सरकार कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

बांदा, थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0 के सचिव श्री एम0 ए0 सिद्दीकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*23—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0, बांदा के सचिव (श्री एम0 ए0 सिद्दीकी) के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की बाबत शासन को शिकायतें मार्च-मई, 1977 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बांदा, थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0, बांदा के सचिव श्री एम0 ए0 सिद्दीकी के विरुद्ध प्रश्नगत अवधि में शिकायतें प्राप्त हुयीं । शिकायती-पत्रों उल्लिखित मुख्य आरोपों का विवरण संलग्न है । उक्त शिकायतों की जांच कराई गई तथा सभी आरोप निराधार पाये गये ।

[देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 562 पर]

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

फैजाबाद जिले के कतिपय सहकारी पर्यवेक्षकों का निलम्बन एवं जीवन-निर्वाह भत्ता

*24—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सहकारिता मन्त्री को पता है कि श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, सहकारी ऋण पर्यवेक्षक, राजे, सुलतानपुर, विकास खंड, जहांगीर गंज, जनपद फैजाबाद तथा इसी जिले में अन्य कई सुपरवाइजर 1 जनवरी, 1976 से 1 जुलाई, 1976 के बीच निलंबित किए गए, और आज दिनांक 10 नवम्बर, 1977 तक उनमें से किसी के केस का निस्तारण नहीं हुआ है तथा उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सर्वश्री सुभाषचन्द्र श्रीवास्तव, दयाराम गुप्त एवं जानकी प्रसाद श्रीवास्तव, सहकारी पर्यवेक्षक क्रमशः 20-5-76, 16-1-76 एवं 11-3-76 से निलंबित किए गए। तीनों पर्यवेक्षकों के मामलों में जांच हो गई है और पी0सी0यू0 के सहकारी संघ प्राधिकारी की जनपदीय कमेटी ने क्षेत्रीय कमेटी को अन्तिम निस्तारण हेतु इन मामलों को भेज दिया है। सम्बन्धित तीनों पर्यवेक्षकों को निलंबन की तिथि से जनवरी, 1978 तक का जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जा चुका है।

मथुरा जिले की कृषि उत्पादन मंडी समिति, कोसी कलां के पर्यवेक्षक श्री राम स्वरूप सिंह यादव की छंटनी एवं पुनरनियुक्ति

*25—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मन्डी समिति, कोसीकलां (मथुरा) के पर्यवेक्षक (श्री राम स्वरूप सिंह यादव) को मन्डी समिति की सेवाओं से पदच्युत कर दिया गया था ? यदि हां, तो वह इस समय किस आदेश से उक्त मन्डी समिति में सेवारत हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कृषि उत्पादन मंडी समिति कोसीकलां में पर्यवेक्षक के पद का प्राविधान न होने के कारण तत्कालीन नियंत्रक अधिकारी द्वारा श्री राम स्वरूप सिंह यादव की छंटनी की गयी। उसके बाद जिलाधिकारी, मथुरा ने यह संस्तुति की कि मंडी समिति की आय निरन्तर बढ़ रही है और पर्यवेक्षक का पद कार्य के हित में आवश्यक है। अतः मंडी निदेशक के आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 1976 द्वारा श्री यादव को अपने पद पर कार्य करने की स्वीकृति दी गई और वे तत्पश्चात् दिनांक 19 अप्रैल, 1976 से मंडी पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हैं।

गन्ना पर्यवेक्षक संघ की मांगे

*26—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 नवम्बर, 1977 को उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक संघ द्वारा गन्ना आयुक्त को इस आशय का कोई मांग-पत्र जिसमें तदर्थ नियुक्तियां रद्द करने, विभागीय आदेशों की अवहेलना, पदोन्नति कार्य सम्बन्धी आदेश आदि प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं और उपरोक्त मांगों को स्वीकार करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

जी हां। पर्यवेक्षक संघ की प्रमुख मांगें निम्न थीं :—

1—वर्ग–2 में की गयी तदर्थ नियुक्तियां रद्द की जायं और उनके स्थान पर विभाग में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षकों को ज्येष्ठतानुसार पदोन्नति दी जांय।

2—वर्ग–2 के 50 प्रतिशत पद गन्ना पर्यवेक्षकों में से ज्येष्ठतानुसार भरे जांय।

3—गन्ना पर्यवेक्षकों के कार्य विभाजन से संबंधित परिपत्रांक 264/सी, दिनांक 23–11–73 को पुन: लागू किया जाय।

4—विभागीय आदेशों की अवहेलना बन्द करायी जाय।

5—सेलेक्शन ग्रेड के पदों की पूर्ति की जाय।

6—स्थायीकरण के मामलों का निस्तारण।

7—क्षेत्रीय स्तर पर अनिस्तारित प्रत्यावेदनों का निस्तारण।

8—स्थायी यात्रा भत्ता में बढ़ोत्तरी।

उक्त मांगों में से मांग संख्या 4, 5, 6 तथा 7 की पूर्ति हो गयी है। मांग संख्या 1, 2, 3, व 8 के सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

गन्ना पर्यवेक्षक संघ की भूख-हड़ताल एवं अतिरिक्त चीनी आयुक्त द्वारा दिये गये आश्वासन

*27—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना पर्यवेक्षेक संघ के दिनांक 28 नवम्बर, 1977 को भूख हड़ताल समाप्त करने के सिलसिले में अतिरिक्त गन्ना आयुक्त के माध्यम से कोई समझौता हुआ है जिस पर गन्ना पर्यवेक्षक संघ ने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है? यदि हां, तो मांगें क्या हैं और समझौते का आधार क्या था तथा उसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां, पर्यवेक्षक संघ के दिनांक 28–11–77 को भूख-हड़ताल समाप्त करने के सिलसिले में अतिरिक्त चीनी आयुक्त से संघ के शिष्ट मण्डल की वार्ता हुई और शिष्ट मण्डल को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी:—

1—वर्ग–2 पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ज्येष्ठता के आधार पर 25 प्रतिशत कृषि स्नातक गन्ना पर्यवेक्षकों को, ज्येष्ठता के आधार पर 25 प्रतिशत लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किया जाय।

2—वर्ग–2 पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर ज्येष्ठता के आधार पर गन्ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति।

3—कार्य विभाजन से संबंधित परिपत्रांक 264/सी, दिनांक 23–11–73 को लागू करने की मांग।

4—विभागीय आदेशों की अवहेलना बन्द करायी जाय।

5—प्रत्यावेदनों को निस्तारित कराने के आदेश दिये जायं।

6—सेलेक्शन ग्रेड के रिक्त पदों की पूर्ति।

7—ज्येष्ठता सूची को प्रसारित करना।

[श्रीमती चन्द्रावती]

8—तीन वर्ष से अधिक समय से सेवारत पर्यवेक्षकों को स्थाई करने के सम्बन्ध में आदेश करना ।

9—समिति का भोगी पर्यवेक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में ।

10—स्थाई यात्रा भत्ता 40 रु0 प्रतिमाह किया जाय ।

उक्त मांगों में से क्रमांक 4, 5, 6, 8 तथा 9 पर अंकित मागों की पूर्ति कर दी गयी है । क्रमांक 1, 2, 3 तथा 10 पर उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में विचार हो रहा है । क्रमांक 7 पर मांग के संदर्भ में अन्तिम ज्येष्ठता सूची के प्रसारित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही जारी है ।

*28—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

देवरिया जिले के पशुधन अधिकारी एवं कैशियर के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

*29—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या पशुधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि देवरिया जिले में पशुधन अधिकारी और उनके कैशियर द्वारा किए गये वित्तीय घोटालों की जांच जून, 1977 में संयुक्त निदेशक, पशुपालन द्वारा की गई और बाद में विशेष आडिट जुलाई, 1977 में कराई गयी । उक्त घोटाले के लिए उत्तरदायी जिला पशुधन अधिकारी तथा उनके कैशियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

देवरिया जिल में पशुधन अधिकारी और उनके कैशियर द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितताओं की जांच, जून, 1977 में संयुक्त निदेशक, पशुपालन द्वारा की गयी और बाद में विशेष आडिट जुलाई, 1977 में करायी गयी ।

उक्त अनियमितताओं के लिए जिला पशुधन अधिकारी, देवरिया पशुचिकित्सक तथा कैशियर के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।

जिला परिषद् कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किये जाने पर विचार एवं उनकी हड़ताल

*30—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जिला परिषदों के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित करने तथा वह सभी सुविधायें जो राजकीय कर्मचारियों को मिलती हैं देन के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना क्या है तथा उसका कार्यान्वयन कब तक कर दिया जायगा ? क्या यह सही है कि जिला परिषदों के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर नवम्बर, दिसम्बर, 1977 में हड़ताल की गई ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन्हें पूरा करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जमुना प्रसाद —

जिला परिषद् कर्मचारियों के राजकीय कर्मचारी घोषित करके राजकीय कर्मचारियों की भांति सुविधायें दिये जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । जिला

परिषद् कर्मचारियों ने यही मागें प्रस्तुत की हैं और इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने नवम्बर, दिसम्बर, 1977 में हड़ताल की थी ।

*31–32—श्री हरि केवल प्रसाद—

[सातवें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8–9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया जिले के विकास खण्ड पडरौना व विशुनपुरा में त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित एवं प्रस्तावित सड़कें

*33—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1973–74, 1974–75 व 1975–76 और 1976–77 में देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के पडरौना विकास खण्ड तथा विशुनपुरा विकास खण्ड में त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सड़कें बनाई गईं ?

श्री जमुना प्रसाद—

केवल एक सड़क ।

*34—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वर्ष 1976–77 में उपरोक्त दोनों विकास खन्डों में कितनी सड़कें त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं तथा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

कोई नहीं ।

*35—श्री देव बहादुर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

पंचायत सेवकों को तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की मान्यता एवं वेतन-क्रम

*36—श्री रामआसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1975 में प्रदेश भर के पंचायत सेवकों को तृतीय श्रेणी के राज्य कर्मचारी के रूप में मान्यता दे दी गई थी ? यदि हां, तो फिर अब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क वेतन-क्रम के आधार पर ही उनकी वेतन का भुगतान किन कारणों से किया जाता रहा है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां, लेकिन यह आदेश फरवरी, 1973 में दिये गये थे ।

पंचायत सेवकों को चतुर्थ श्रेणी क कर्मचारी के वेतन-क्रम के आधार पर नहीं वरन् वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम स्वीकृत किया गया है ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ में घाटा

*37—श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि दि एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ में वर्ष 1975 लगायत 1977 तक करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच के लिये विधायकों की एक समिति का गठन करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ, में वर्ष 1975 से प्रत्येक वर्ष के अन्त में घाटे की धनराशि निम्न प्रकार है:—

वर्ष	घाटे की धनराशि
1974–75	57.41 लाख रु0
1975–76	138.01 लाख रु0
1976–77	91.75 लाख रु0

1977–78 (सम्भावित) 74.90 लाख रु0 घाटे के कारण संलग्न सूची में दिये हुए हैं:—

इन कारणों को दूर करने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। एग्रो की मैंगजीन व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किये जा रहे हैं तथा स्थिति में सुधार लाने हेतु, भारत सरकार के सुझावानुसार भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों की एक्सपर्ट कमेटियां गठित की गई हैं। इन समितियों की रिपोर्ट आने पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतएव विधायकों की समिति गठित करने की आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं होती।

[देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 563 पर।]

*38—श्री कल्पनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जिला परिषद् देवरिया के भूतपूर्व अभियन्ता, श्री शंकर प्रसाद तिवारी की गबन के संबंध में सेवा समाप्ति

*39—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर प्रसाद तिवारी, भूतपूर्व अभियन्ता, जिला परिषद् देवरिया द्वारा मार्च, 1976 में बोदरवार बाजार के नीलामी की 3,200 रुपये गबन की गई धनराशि जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली, देवरिया तथा शासन को दी गई है? क्या इसकी जांच पूरी कर श्री तिवारी से वसूल कर ली गई है तथा इस सम्बन्ध में श्री तिवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री जमुना प्रसाद—

श्री शंकर प्रसाद तिवारी, भूतपूर्व अभियन्ता, जिला परिषद् द्वारा 3,200 रुपये गबन की रिपोर्ट, थाना कोतवाली, देवरिया में दिनांक 8-6-78 को की गई थी। पुलिस द्वारा जांच जारी है और धनराशि अभी नहीं वसूल हुई है। श्री तिवारी की सेवायें दिनांक 2–4–76 को समाप्त की जा चुकी है। अतः विभागीय कार्यवाही सम्भव नहीं है।

फैजाबाद उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण कार्यालय का इलाहाबाद में स्थानान्तरण

*40—श्री मित्रसेन (जिला फजाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, फैजाबाद कार्यालय अभी हाल ही में इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह—

फैजाबाद में स्थित उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण के दो कार्यालयों में से एक जून, 1977 में इलाहाबाद स्थानान्तरित किया गया है। यह व्यवस्था शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्य के सुचारु रूप से नियंत्रण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

हिन्द फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, लखनऊ को दी गयी सहायता एवं उसके विरुद्ध शिकायती-पत्र।

*41—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्द फ्लाइंग क्लब लि0, लखनऊ के गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कौन-कौन सी सहायता कितने-कितने रुपये की दी गई? उसके कौन-कौन से पदाधिकारी हैं? क्या हिन्द फ्लाइंग क्लब लि0, लखनऊ के अन्तर्गत दिये गये धन का दुरुपयोग, गबन, अनियमितताओं के विरुद्ध कुछ विधायकों के लिखित शिकायती-पत्र सितम्बर-अक्तूबर तथा नवम्बर के किन-किन तिथियों में प्राप्त हुआ और उस शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री आबिद अली—

हिन्द फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, लखनऊ को गत पांच वर्षों में दी गयी सहायता का विवरण वर्षवार संलग्न सूची में दिया गया है। वर्तमान में हिन्द फ्लाइंग क्लब, का प्रशासन एक प्रशासक द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र 30 सितम्बर, 1977 को शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें हिन्द फ्लाइंग क्लब के विरुद्ध कतिपय शिकायतें की गयीं हैं। इस शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है।

[देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 564 पर।]

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण, फ़ैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*42—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण, फैजाबाद के विरुद्ध मन्त्री जी को दी गई विभागीय सहायक विकास अधिकारियों की शिकायत दिनांक 22 अगस्त, 1977 पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*43—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[पहले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जौनपुर जिले में स्थानापन्न खंड विकास अधिकारी के पद पर सहायक विकास अधिकारी की पदोन्नति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

*44—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में अक्तूबर, 1975, जुलाई, 1976 व नवम्बर, 1977 तक कुल 11 सहायक विकास अधिकारियों को स्थानापन्न खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई? यदि हां, तो उनमें से कितने अनुसूचित जाति के सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति की गई?

श्री जमुना प्रसाद—

जी, हां ।

कथित अवधि में जौनपुर जनपद में किसी भी अनुसूचित जाति के सहायक विकास अधिकारी की पदोन्नति स्थानापन्न खण्ड विकास अधिकारी के पद पर नहीं की गई ।

बहराइच जिले के सहायक विकास अधिकारी, श्री अखिलानन्द शर्मा का वेतन, पेन्शन व ग्रेच्युटी

*45—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री एवं पंचायती राज्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत, नवाबगंज, जिला बहराइच (श्री अखिलानन्द शर्मा) जो मई, 1974 में रिटायर्ड हुए, को अब तक प्राविडेंन्ट फण्ड, लगभग 2 माह का वेतन तथा पेन्शन, ग्रेच्युटी एवं दिनांक 1 अगस्त, 1972 से सरकार द्वारा दिया गया। नये स्केल के वेतन का अन्तर, टी ए0 बिल, हाउस रेन्ट आदि की अदायगी न दिये जाने के लिये कौन उत्तरदायी है और अब इस रुपये की अदायगी कब तक हो जायगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नैनीताल जिले के प्रधान, ग्राम, सभा लोहरिया साल मल्ला को चेतावनी

*46—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या पंचायत राज मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक 16 जनवरी, 1974 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) नैनीताल ने परगनाधिकारी, भावर (हल्द्वानी) को एक अर्धशासकीय पत्र भेजा था, जिसका नम्बर 1653/7/ग, विविध /73–74 है जिसमें परगना अधिकारी को प्रधान ग्राम सभा, लोहरिया साल मल्ला को दोषी पाकर मुअत्तिल किये जाने की सिफारिश की थी? यदि हां तो ग्राम प्रधान के खिलाफ जिस तरह के आरोप थे और उक्त प्रधान को अब तक निलम्बित न किये जाने का क्या कारण हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां । प्रधान के विरुद्ध हक्की लकड़ी के दुरुपयोग का आरोप था और परगनाधिकारी, भावर (हल्द्वानी) ने प्रधान से स्पष्टीकरण लेने के पश्चात् उन्हें कठोर चेतावनी दी और सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए यह निर्णय दिया कि प्रधान को निलम्बित नहीं किया जा सकता है ।

राजकीय सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र में कोषाध्यक्ष एवं सहायक कोषाध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षण

*47—श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र में कोषाध्यक्ष तथा सहायक कोषाध्यक्ष के कितने पद हैं और क्या प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आबिद अली—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सेवक संघ द्वारा आमरण अनशन एवं मांग-पत्र

*48—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम सेवक संघ का मांग-पत्र दिनांक 2 अक्तूबर, 1977 से हो रहे आमरण अनशन के पहले शासन को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो शासन के ग्राम सेवक संघ के प्रतिनिधियों को न बुलाने के कौन से कारण हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

ग्राम सेवक संघ, उत्तर प्रदेश का मांग-पत्र 2 अक्तूबर, 1977 से होने वाले आमरण अनशन के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हो गया था। शासन ने ग्राम सेवक संघ के प्रतिनिधियों को बुला कर 2 अक्तूबर, 1977 के पूर्व मांगों के सम्बन्ध में वार्ता किया था।

वाराणसी जिले के भूतपूर्व खण्ड विकास अधिकारी, भदोही, श्री ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*49—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, भदोही, जिला वाराणसी के भूतपूर्व खंड विकास अधिकारी (ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव) के खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना-पत्र मेवा लाल वर्मा, गांव बरवां, भदोही, वाराणसी का प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ 4 अक्तूबर, 1977 को मुख्य मन्त्री जी को दिया था जिसकी जांच अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 को ब्लाक कार्यालय पर की और शिकायतकर्त्ता को मौके पर नहीं बुलाया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी ने शिकायतकर्ता को दिनांक 27 दिसम्बर, 1977 को बुलाया था। वे उपस्थित भी हुए थे, किन्तु उन्होंने शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी देने से स्पष्ट इन्कार किया।

कथित रोडवेज यूनियन कर्मचारी संघ की मांगें

*50—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है रोडवेज यूनियन कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर नवम्बर, 1977 में पहले सप्ताह में हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री आबिद अली—

रोडवेज यूनियन कर्मचारी संघ नाम की कोई पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त यूनियन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में नहीं है। अतः अन्य कोई प्रश्न नहीं उठाता।

देवरिया जिले की न्याय पंचायत कुशेहरी के कृषकों को खाद का आवंटन

*51—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि देवरिया जनपद के ब्लाक देवरिया की न्याय पंचायत, पंकौली और रामपुर ब्लाक की न्याय पंचायत कुशेहरी के किन-किन किसानों को कितनी-कितनी खाद कृषि विभाग से अलग-अलग नवम्बर, दिसम्बर, 1977 में प्रदान की गई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

देवरिया जनपद के ब्लाक देवरिया की न्याय पंचायत पंकौली में कृषि विभाग का कोई बीज भण्डार स्थापित नहीं है ।

रामपुर ब्लाक की न्याय पंचायत कुशेहरी के क्रमश: 29 तथा 6 कृषकों को संलग्न विवरण के अनुसार नवम्बर तथा दिसम्बर, 1977 में कृषि विभाग के भण्डार से खाद दी गई ।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 566 पर)

जिला परिषदों की लेखा परीक्षा

*52--श्री बिहारी लाल हंस--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अधीन प्रदेश में गठित जिला परिषदों के सम्पूर्ण स्थानीय निधियों, आय एवं व्यय पर शासन का सामान्य नियन्त्रण व देख-रेख एवं आडिट, वित्त विभाग के आधीन गठित इक्जामिनर लोकल फण्ड, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के माध्यम से वर्ष, 1968 से निरन्तर होता आया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

इलाहाबाद को छोड़कर समस्त जिला परिषदों की लेखा परीक्षा वर्ष, 1975--76 तक की जा चुकी है ।

वर्ष 1975-76 में जिला परिषद् इलाहाबाद की लेखा परीक्षा इसलिये नहीं हो सकी क्योंकि जिला परिषद् द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके जो कि रोकड़िया द्वारा गबन किये जाने के कारण पुलिस द्वारा सील कर दिये गये थे ।

वर्ष 1976-77 के लेखाओं की लेखा परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा चालू है ।

मथुरा जिले की छाता शुगर मिल में कर्मचारियों की नियुक्ति

*53--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत छाता शुगर मिल में अब तक जनपद के कितने युवकों को रोजगार दिया गया है तथा कुल रोजगारों की कितनी संख्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस शुगर मिल में कितने तकनीकी व गैर-तकनीकी मथुरा जनपद स बाहर के कर्मचारी हैं और बाहर से क्यों बुलाए गये हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मथुरा जनपद में स्थापित की गई छाता शुगर मिल में कुल प्रस्तावित रोजगारों की संख्या लगभग 757 है । इसमें से अभी तक कुल 548 नियुक्तियां की गई हैं जिनमें 417 कर्मचारी मथुरा जनपद के हैं ।

छाता शुगर मिल में 110 तकनीकी एवं 21 गैर-तकनीकी कर्मचारी मथुरा जनपद के बाहर के हैं। शुगर मिल के कार्य के अनुभव वाले तकनीकी व्यक्ति जनपद में उपलब्ध नहीं हैं। गैर-तकनीकी व्यक्तियों में उच्च अधिकारी तथा वे सहायक सम्मिलित हैं जिन्हें शुगर मिल के कार्यों का अनुभव है तथा जो परियोजना काल से ही मिल से सम्बद्ध रहे हैं ।

आगरा जिले के कतिपय ग्राम सेवकों के परिवार के नाम से खाद की दुकानें

*54—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि जनपद आगरा के विकास खण्ड, फिरोजाबाद और कोटला नारखी में किन-किन ग्राम सेवकों (बी0 एल0 डब्लू) के पास अपने घर वालों के नाम से खाद बीज के दुकानें हैं? क्या यह सही है कि दुकानों पर ग्रामीण काश्तकारों को सरकारी खाद व बीज की छूट नहीं मिल पाती है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जनपद आगरा के विकास खण्ड, फिरोजाबाद में नियुक्त ग्राम सेवक श्री लखनलाल गुप्ता और विकास खण्ड कोटला नारखी में नियुक्त ग्राम सेवकों सर्वश्री राम सेवक शर्मा, एवं ग्रीशचन्द्र भारद्वाज के घर वालों के नाम खाद की दुकाने हैं।

फासफेट तथा पोटैशिक उर्वरक पर छूट की सुविधा निजी विक्रेताओं के माध्यम से देय नहीं है।

जिला परिषद् मेरठ, द्वारा मैक्स फाल्ट की खरीद

*55—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिला परिषद्, मेरठ द्वारा राज्यादेशों के विपरीत मैक्स फाल्ट उत्पादकों से न खरीद कर ठेकेदारों से खरीदा जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद्, मेरठ द्वारा फर्नीचर की खरीद

*56—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् मेरठ ने अपने चिकित्सालयों के लिये मार्च, 1977 में किसी केमिस्ट से फर्नीचर खरीदा है जबकि मेरठ में फर्नीचर की खरीदारी के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत फर्म कान्ट्रेक्ट दरों पर स्वीकृत है? यदि हां, तो ऐसा किया जाने का क्या कारण है?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां।

सामान तत्कालीन अतिरक्ति मुख्य अधिकारी तथा अध्यक्ष, जिला परिषद् के निर्णयानुसार खरीदा गया था।

जौनपुर जिले की गन्ना समितियां, शाहगंज एवं मेहरावां द्वारा अल्प बचत योजना में की गयी कटौती एवं पास-बुक का वितरण

*57—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत दो गन्ना विकास सहकारी समितियों, शाहगंज, मेहरावां, जौनपुर ने वर्ष 1976–77 में किसानों से अल्प बचत योजना में 1 वर्ष के लिये डेढ़ लाख रुपये की कटौती की है? यदि हां, तो उक्त धनराशि पोस्ट आफिस में कब जमा की गई और किसानों को पास-बुक डाकखाने से प्राप्त कर न लौटाये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रश्नगत जनपद की दो गन्ना समितियों, शाहगंज तथा मेहरावां ने अल्प बचत की मद में कृषकों से क्रमशः 88,795 रु0 तथा 3,400 रु0 की कटौती वर्ष 1976–77 में की। उक्त की गयी कटौती से वर्ष 1976–77 एवं 1977–78 में 35,705 रु0 तथा 3,086 रु0 क्रमशः पोस्ट आफिस में जमा कर कृषकवार पास-बुकें तैयार कराकर कृषकों में वितरित कर दी गयी। शेष धनराशि समितियों के नाम पोस्ट आफिस में खोले गये खातों में जमा कर दी गई और कृषकों के नाम खाते खुलवाकर रुपया जमा कराने की कार्यवाही तत्परता के साथ की जा रही है।

गोंडा जिले में साधन सहकारी समितियों के सचिवों के विरुद्ध गबन एवं अनियमितताओं के आरोप

*58—श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले में सहकारिता विभाग में कितने ऐसे साधन सहकारी समिति सचिव हैं जिनके विरुद्ध गबन व अन्य अनियमितताओं के आरोप हैं? उनके विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

गोण्डा जिले में सहकारिता विभाग में साधन सहकारी समितियों के 11 सचिव ऐसे हैं जिनके विरुद्ध गबन एवं अन्य अनियमितताओं के आरोप हैं। इनमें से 5 के विरुद्ध गबन के आरोप में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराये जा चुके हैं। 2 के लिये एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के आदेश दे दिये गये हैं। शेष 4 (चार) के विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के छात्रों की हड़ताल

*59—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिष्ठाता (श्री अखिला नन्द पाठक) कृषि संकाय चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की अनियमितताओं एवं पक्षपाती रवैया के सन्दर्भ में वहां के छात्रों ने दिनांक 2 जनवरी, 1978 से हड़ताल की और दिनांक 6 जनवरी, 1978, 2 बजे दिन से क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिनांक 10 जनवरी, 1978 को समाप्त किया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिष्ठाता की अनियमितताओं एवं पक्षपाती रवैये की अविलम्ब जांच कराके इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 व 1 जनवरी, 1978 की रात्रि में छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में रहने वाले अध्यापकों के घरों पर जाकर शोरगुल करके उन्हें जगाया। तत्पश्चात् कुछ विद्यार्थी श्री करतार सिंह भाटिया, अध्यापक के निवास-स्थान पर शास्त्री नगर कालोनी में गये। वहां पर पड़ोसियों से मतभेद होने के कारण झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप पुलिस ने श्री भाटिया तथा अन्य कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। तदुपोरांत श्री भाटिया पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा कर दिये गये। श्री भाटिया की रिहाई के सम्बन्ध में उपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाये जाने के विरोध में छात्रों ने 1/2-1-78 की रात्रि में डा0 पाठक अधिष्ठाता, कृषि संकाय के निवास-स्थान पर प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। दिनांक 2-1-78 को इस सम्बन्ध में विरोध स्वरूप छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और विश्वविद्यालय के कार्यालय को बन्द कराया। दिनांक 3-1-78 को छात्रों ने जलूस निकाला और डा0 पाठक के त्याग-पत्र की मांग की तथा अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करना प्रारम्भ किया।

अधिष्ठाता कृषि ने 3-1-78 को विश्वविद्यालय को अग्रिम आदेश तक बन्द कर दिया। दिनांक 6-1-78 को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने पुनः डीन विरोधी नारे लगाते हुये प्रदर्शन किया। डीन के त्याग-पत्र की मांग को लेकर छात्रों ने अनशन प्रारम्भ किया, जो दिनांक 10-1-78 को समाप्त हो गया। कृषि संकाय की कक्षायें 3-1-78 से 28-2-78 तक बंद रही एवं अन्य कार्यालय 3-1-78 से 7-1-78 तक बंद रहे। 1-3-78 से कृषि संकाय की कक्षायें प्रारम्भ हो गयी है। इस हड़ताल के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र की अध्यक्षता में जांच समिति नियुक्त कर दी गयी है।

यू0 पी0 एग्रो कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा कच्चे माल की खरीद एवं जीप के दुरुपयोग संबंधी शिकायती-पत्र

*60--श्रीराम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या कृषि मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे उत्तर प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ में उसके समान्य प्रबन्धक द्वारा कच्चे माल की खरीद विगत मार्च, 1977 में जीप कार नं0 5001 यू0 टी0 एच0 का संसदीय चुनावों में कांग्रेस प्रचार हेतु रामपुर क्षेत्र में दुरुपयोग रासायनिक खादों के सीलन में गल कर नष्ट हुआ दिखाने की अनेक अवैधानिक रूप से लाखों रुपये का दुरुपयोग किये जाने की शिकायतें, मंत्री जी तथा निदेशक, कृषि विभाग को अप्रैल, 1977 से लेकर अगस्त, 1977 तक प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

शासन को केवल यू0 पी0 एग्रो कारपोरेशन द्वारा कच्चे माल की खरीद एवं जीप के दुरुपयोग के संबंध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं। जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें हैं उनका निधन हो चुका है। किन्तु कच्चे माल के नमूनों की जांच कराई गयी है और यह देखा जा रहा है कि कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है।

जीप के दुरुपयोग की शिकायतों के संबंध में पता चला कि जीप, निगम के गैर-सरकारी सदस्य द्वारा रामपुर क्षेत्र में उपयोग की गयी थी किन्तु उनके द्वारा की गयी यात्रा का कारण लाग-बुक में अंकित न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि जीप का उपयोग संसदीय चुनाव में किया गया है। इस मामले में आगे जांच की जा रही है।

गन्ना आयुक्त (मुख्यालय) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कोटा

*61—श्री सूरज प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त (मुख्यालय) कार्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं एवं क्या आरक्षण के आधार पर विभिन्न सेवाओं/विभिन्न पदों में 18 (प्रतिशत) का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों और उसको पूरा कराने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

गन्ना आयुक्त (मुख्यालय) कार्यालय में विभिन्न पदों पर 20 कर्मचारी अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं ।

आरक्षण के आधार पर कुछ पदों में 18 प्रतिशत का कोटा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त कर्मचारियों के अनुपलब्धता के कारण पूरा नहीं है जिसके लिये उनकी उपलब्धता के आधार पर पूरा करने के लिये सतत् प्रयास किया जाता है ।

*62—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[माननीय सस्दय की प्रार्थना पर 5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

अतारांकित प्रश्न

रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल्स लि0, जिला रामपुर में नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारी

1—श्री मंजूर अली खां—(जिला रामपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल, रामपुर में पिछले दो वर्षों में किन-किन व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई ? इन नियुक्तियों में कौन-कौन से व्यक्ति जनपद रामपुर के सेवा योजन कार्यालय से पंजीकृत हैं और कौन-कौन से व्यक्ति अन्य सेवायोजन कार्यालय से पंजीकृत हैं ? नियुक्त व्यक्तियों में से कितने पिछड़ी जातियों, कितनें हरिजन जातियों, कितने जनजातियों तथा कितने अन्य जातियों के लोगों की नियुक्तियां की गईं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

रुद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, बिलासपुर, जिला रामपुर में गत दो वर्षों में कुल 70 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई । इनमें से 17 की नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय रामपुर के माध्यम से की गयी, नियुक्त व्यक्तियों में से 4 अनुसूचित जाति के, 12 पिछड़ी जातियों के एवं 54 अन्य जातियों के हैं । उपर्युक्त का विस्तृत †विवरण संलग्न तालिका (पत्रांक 'क', में प्रदर्शित किया गया है) ।

---

†छापी नहीं गयी ।

साधन सहकारी समिति, खड्डा, जिला देवरिया द्वारा श्री वाला प्रसाद से ऋण की वसूली

2--श्री श्रीनारायण--

क्या सहकारिता मंत्री, को साधन सहकारी समिति, खड्डा, जिला देवरिया के सदस्य, श्री वाला प्रसाद, पुत्र श्री देवी प्रसाद, निवासी खड्डा का कोई अवेदन-पत्र माह अक्तूबर में मिला है कि उनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके एक हजार रुपया निकाल लिया गया है। जिसकी वसूली हेतु कड़ाई की जा रही है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, श्री वाला प्रसाद, पुत्र देवी प्रसाद का प्रश्नगत आवेदन-पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ है। तथापि प्रश्न के सम्बन्ध में स्थानीय जांच के अनुसार श्री बाला प्रसाद पर 30 जून, 1977 को 1,596 रु0 असल व 1,506 रु0 ब्याज का बकाया है जिसकी वसूली सहकारी अमीन द्वारा कराई जा रही है। कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की गई है।

परिवहन विभाग के यात्रीकर अधीक्षकों के सेवाओं के अनुमोदन संबंधी प्रार्थना-पत्र

3--रवीन्द्र नाथ तिवारी --

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग के यात्रीकर अधीक्षकों की सेवाओं के अनुमोदन आदि के बारे में उन्हें प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 1 सितम्बर, 1977 का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पत्र में उठाई गई समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाये गये और अन्तिम रूप से कब तक समस्या का समाधान हो जायगा ?

श्री आबिद अली---

जी हां, यह मामला शासन के विचाराधीन है।

सीतापुर जिले की ग्राम सभा, रीवान कलां के प्रधान के विरुद्ध श्री लल्ल सिंह का प्रार्थना-पत्र

4--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि दिनांक 4 फरवरी, 1976 को श्री लल्ल सिंह, निवासी रीवान कलां, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर ने एक प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी, सीतापुर को प्रधान, ग्राम सभा, रीवान कलां, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर को अपने पद का दुरुपयोग एवं ग्राम समाज के हरे पेड़ बिना किसी प्रस्ताव के बेचने की बाबत दिया था ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद--

श्री लल्ल सिंह का दिनांक 4-2-76 का पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता लेकिन उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-3-7 , 10-4-76, 4-5-76, 27-11-76 तथा 16-3-77 प्राप्त हुये, जिस पर जांचोपरान्त परगनाधिकारी, सिधौली द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान को निलम्बित करने हेतु आवश्यक आदेश, दिनांक 20-7-77 को पारित किया जा चुका है।

फर्रुखाबाद जिले के श्री शाहजादे, निवासी गौर खेड़ा का, खाद तकावी संबंधी आवेदन-पत्र

5—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ग्राम गौर खेड़ा, डाकखाना मिस्तिनी, बहखलपुर, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के शाहजादे, पुत्र रम्पू का यह आवेदन-पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुआ है कि उसने कभी कोई खाद ब्लाक या तहसील से तकावी में नहीं ली और न उसने कभी खाद लेने का प्रार्थना-पत्र ही दिया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा करवाई गई और क्या तथ्य सही पाये गये और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ द्वारा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद हेतु राज्य सड़क परिवहन निगम की परीक्षा संबंधी, प्रार्थना-पत्र

6—श्री देव कुमार—

क्या श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, निवासी महानगर, लखनऊ का राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ द्वारा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक पद हेतु अक्तूबर, 1977 में ली गई परीक्षा के सम्बन्ध में, मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित कोई पत्र नवम्बर, 1977 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

संदर्भित श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट निवासी, महानगर, लखनऊ का कोई उक्त पत्र शासन में नहीं प्राप्त हुआ है । अतः किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

बस परमिट जारी किये जाने में पिछड़े वर्ग का आरक्षण

7—श्री नरेश चन्द्र वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री यह बतायेंगे कि बस परमिट जारी किए जाने में पिछड़े वर्ग के आवेदन-पत्र कर्त्ताओं के लिये आरक्षण रक्खा जा रहा है ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री आबिद अली—

बस परमिट जारी किये जाने में पिछड़े वर्ग के आवेदन-कर्त्ताओं के लिये आरक्षण रख दिया गया है। इसकी सीमा 15 प्रतिशत है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी सम्मिलित हैं, किन्तु प्रतिबंध यह है कि इन सभी वर्गों के सदस्यों को परिवहन कारोबार के लिये बनाई गयी सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिये ।

बाराबंकी-फैजाबाद मार्ग पर बन्द कर दी गयी प्राइवेट बस सर्विस और प्राइवेट बसों से वसूल किया गया मार्ग-कर एवं यात्रीकर

8—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी-फैजबाद रोड पर नवम्बर, 1976 तक कुल कितनी प्राइवेट बस की परमिट थीं और कितनी बसें चल रही थीं ?

क्या यह सही है कि जो बसें चल रही थीं क्या उन बसों पर प्रतिबन्ध लगाकर दिसम्बर, 1976 से बन्द करा दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री आबिद अली---

बाराबंकी-फैजाबाद मार्ग के लिये नवम्बर, 1976 तक 30 स्थायी व एक अस्थायी कुल 31 प्राइवेट परमिट वैध थे। इस मार्ग पर कुल 26 बसें चल रही थीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 को इस मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना को वैध करार दिये जाने के उपरान्त इन गाड़ियों का संचालन रोक दिया गया था।

9---श्री सुखपाल पाण्डेय ---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यही सही है कि बाराबंकी-फैजाबाद रोड पर 95 प्राइवेट बसें चलती थीं वह बसें यात्री-कर तथा रोड टैक्स के रूप में सरकार को कितना धन प्रति वर्ष अदा करती थीं ? क्या यह सही है कि फैजाबाद से बाराबंकी के लिए प्राईवेट बसें चार रुपया साठ पैसा मय यात्री कर के रूप में प्रत्येक यात्रियों से लेती थीं ? दिसम्बर, 1976 के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चल रही हैं वह प्रत्येक यात्री से 6.65 (छः रुपये पैंसठ पैसा) फैजाबाद से बाराबंकी का किराया लेती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री आबिद अली--

जैसा कि ऊपर कहा गया है बाराबंकी-फैजाबाद मार्ग पर कुल 26 प्राइवेट बसें चल रही थीं। इन बसों से वर्ष 1976 में निम्नलिखित मार्ग कर तथा यात्री-कर वसूल किया गया--

1---रु0 1,03,714 मार्ग-कर
2---रु0 2,71,260 यात्री कर

प्राइवेट बसें बाराबंकी से फैजाबाद के लिये रु0 4.46 पैसे किराया प्रत्येक यात्री से लेती थीं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें प्रत्येक यात्री से रु0 6.60 पैसे किराया लेती हैं जो नियमानुकूल है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, गौर, जिला बस्ती के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

10---श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना सहकारी समिति, लि0, गौर, जिला बस्ती में जुलाई 1976, नवम्बर 1977 तक किन-किन कर्मचारियों के विरुद्ध कितने शिकायती प्रार्थना-पत्र किस-किस प्रकार के श्री महादेव शुक्ल आदि ने शासन तथा उच्च अधिकारी की सेवा में भेजकर जांच कराने का अनुरोध किया उनमें से कितने की जांच की गयी। कौन लोग दोषी ठहराए गए, उनके विरुद्ध कौन कार्यवाही अब तक की गई ?

श्रीमती चन्द्रावती---

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, गौर, जिला बस्ती के संबंध में प्रश्नगत अवधि में कुल नौ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये तथा इन पर जांच कराई गई, जिनका विवरण, कर्मचारियों के नाम, उनके विरुद्ध पाये गये अभियोग तथा उनके विरुद्ध की गई अब तक की कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

[देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 568 पर।]

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, फ़र्रुखाबाद द्वारा गन्ना विकास कमीशन हेतु काटी गयी धनराशि

11--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या चीनी उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज सहकारी चीनी मिल का कितना धन गन्ना विकास कमीशन का 1974-75 तथा वर्ष 1976-77 का अलग-अलग गन्ना उत्पादकों से काटकर जमा किया गया है ? क्या उसे गन्ना विकास विभाग को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उस धन का गन्ना विकास में उपयोग किया है ? यदि हां, तो कब और कहां ?

श्रीमती चन्द्रावती--

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, कायमगंज (फर्रुखाबाद) द्वारा गन्ना उत्पादकों से वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान कोई भी पैसा गन्ना विकास कमीशन के लिए नहीं काटा गया है। उक्त मिल ने वर्ष 1975-76 में ही प्रथम बार पेराई प्रारम्भ की थी। मिल ने गन्ना विकास समिति को विकास कमीशन के रूप में वर्ष 1975-76 के सम्बन्ध में रु051,373.37 दिया, जबकि उक्त वर्ष में खरीदे गये गन्ने पर अन्ततः रु0 47,212.37 ही देय हुआ और 1975-76 में 21,380.24 रुपये विकास कार्यों पर व्यय किया गया।

देवरिया जिले के ग्राम लखुआ निवासी स्वर्गीय श्री बसंत के ऋण की वसूली

12--श्री श्रीनारायण--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, खड्डा, जिला (देवरिया) के ग्राम लखुआ निवासी, बसन्त, पुत्र रोशन चमार के नाम से सन् 1969 का दो हजार चार सौ रुपए की वसूली इनकी विधवा पत्नी (श्रीमती मंगरी) से की जा रही है ? जबकि बसन्त चमार की मृत्यु 1969 के पूर्व हो चुकी है। यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही कराने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री बसन्त, पुत्र रोशन चमार, ग्राम लखुआ, विकास खंड, खड्डा, जिला देवरिया के नाम से वर्ष 1969 के मु0 2,400 रु0 की वसूली नहीं की जा रही है बल्कि श्री बसंत को दिनांक 21-8-70 को दिए गए रु0 1,200 की वसूली ब्याज सहित श्रीमती मंगरी से की जा रही है। श्री बसंत की मृत्यु वर्ष 1969 के पूर्व नहीं वरन् जनवरी, 1972 में हुई थी। इस सम्बन्ध में जांच के उपरान्त कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जरवल शुगर मिल, बहराइच पर बकाया गन्ना मूल्य

13--श्री त्रिवेनी सिंह (जिला गोंडा)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जरवल शुगर मिल, बहराइच, गोन्डा पर काश्तकारों का कितना गन्ना का दाम बाकी है और कितना पैसा दिया गया और कितना बाकी है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

आर0 बी0 लक्ष्मण दास शुगर एण्ड जनरल मिल्स प्रा0 लि0, जरवल रोड बहराइच पर वाजिब काश्तकारों के गन्ना मूल्य के विषय में दिनांक 28 फरवरी, 1978 तक की सूचना पर आधारित स्थिति निम्न प्रकार है:--

सीजन	गन्ना मूल्य (लाख रुपयों में)		
	देय	भुगतान	अवशेष
1976–77	70.82	70.82	—
1977–78	57.68	46.94	10.74

इसके अतिरिक्त भी इस मिल पर सीजन 1976–77 से पूर्व का 40.67 लाख रुपया, गन्ना मूल्य का बकाया है। तद्नुसार इस मिल पर कुल 51.41 लाख रुपया गन्ना मूल्य का बकाया है।

14––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

सीतापुर जिले में महमूदाबाद मंडी समिति बनाने की योजना

15––श्री राम नारायण वर्मा (जिला सीतापुर)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछली सरकार की कोई योजना महमूदाबाद, जिला सीतापुर के अन्तर्गत मण्डी समिति बनवाने की थी। यदि हां, तो इस योजना पर आज तक कितना काम हुआ है?

श्री राजेन्द्र सिंह––

जी हां। महमूदाबाद मण्डी निर्माणार्थ 19.71 एकड़ भूमि के अध्याप्ति हेतु शासन द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत अधिसूचनायें जारी की जा चुकी हैं। भूमि का कब्जा मिल जाने पर निर्माण का कार्य किया जायगा।

मुजफ्फर नगर में सहकारी समितियों के पर्यवेक्षकों को मुनाफा दिया जाने की मांग

16––ठाकुर मूलचन्द (जिला मुज्जफ्फर नगर)––

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुजफ्फर नगर में किसी भी सहकारी समिति के पर्यवेक्षकों को मुनाफे का रुपया 1970 से नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और इस समय जनपद की प्रत्येक सोसाइटी में कितना-कितना रुपया जमा है और उसको कब वितरित किया जायगा? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि मुजफ्फर नगर में प्रत्येक सहकारी समिति में कार्यरत एकाउन्टेन्ट को 3-3 वर्षों से अधिक कार्य करते हो गया है, परन्तु वे स्थायी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इनको स्थायी करने पर विचार करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जनपद मुजफ्फर नगर में किसी भी सहकारी समिति पर मुनाफे का ऐसा धन अवशेष नहीं है जो सहकारी समितियों के पर्यवेक्षकों को वितरित किया जाना हो। उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं है जिसके द्वारा सहकारी पर्यवेक्षक सहकारी समितियों के मुनाफे का भाग पाने का हकदार हो। अतः सहकारी पर्यवेक्षकों को सहकारी समितियों क मुनाफे का वितरण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

[श्री मुलायम सिंह यादव—]

सहकारी समितियों में कार्यरत एकाउन्टेन्ट न तो राजकीय और न अर्धराजकीय कर्मचारी हैं बल्कि ये पूर्णत: स्वायत्तशासी सहकारी समितियों के द्वारा नियुक्त किये गये उनके कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में उनकी समितियों के संचालक मंडल द्वारा ही विचार किया जा सकता है।

प्रदेश के राजकीय कृषि फार्म और उनका लाभ व हानि

17—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सन्त बख्श रावत तथा श्री बाबूलाल विद्यार्थी—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन-कौन कृषि फार्म तथा कितने-कितने क्षेत्रफल के सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं? वर्ष 1976–77 में सरकार को प्रत्येक ऐसे कृषि फार्म पर कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद में व्यय करनी पड़ी है और प्रत्येक पर कितने सरकारी कर्मचारी कार्यरत रहे हैं।

18—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1976--77 में उपरोक्त कृषि फार्म में कितना-कितना लाभ हानि हुआ है? यदि हानि हुई है, तो क्यों? सरकार इसको दूर करने के लिये क्या कर रही है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

19—श्री राम आसरे वर्मा—

[पहले शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में गन्ना, चीनी व खांडसारी चीनी का उत्पादन

20—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले तीन वर्ष में गन्ना और चीनी का उत्पादन कितना हुआ है तथा मिलों के अतिरिक्त क्रशरों से कितनी चीनी उत्पादित की गई है?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रदेश में पिछले तीन वर्ष में गन्ना और चीनी का उत्पादन तथा क्रशरों से खांडसारी चीनी का उत्पादन निम्न प्रकार है:—

वर्ष	गन्ना उत्पादन (लाख टोन्स)	चीनी उत्पादन (लाख टोन्स)	क्रेशरों से खांडसारी चीनी उत्पादन (लाख टोन्स)
1	2	3	4
1974–75	614.79	14.31	2.49
1975–76	583.59	11.66	2.31
1976–77	681.09	14.71	2.75

राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

21—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत कितने अधिकारियों के विरुद्ध 20 नवम्बर, 1977 तक विजिलेंस विभाग द्वारा जांच हो रही थी, कितनों की जांच अक्तूबर तक पूरी हो गयी, कितनों की जांच अब भी चल रही है ? विजिलेन्स की जांच पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री आबिद अली—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बहराइच जिले के विकास खण्ड, हरिहरपुर रानी व सिरसिया के अन्तर्गत निर्मित कूप

22—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि विकास खंड, हरिहरपुर रानी व सिरसिया, जिला बहराइच में 1975–76 से लगाकर अब तक कितने पेयजल कूप का निर्माण विकास खंड की ओर से किया गया है ? उनमें से कितने पूर्ण हो गये और कितने अपूर्ण हैं ? उन अपूर्ण कूपों को पूर्ण न करने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रमाला सहकारी चीनी मिल, मेरठ को चालू किये जाने की मांग और सीमेंन्ट की चोरी

23—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रमाला सहकारी चीनी मिल्स, रमाला, जिला मेरठ ने वर्ष 1977–78 में गन्ना पिराई की घोषणा की थी ? उक्त मिल कब तक गन्ना पिराई शुरू करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

रमाला सहकारी चीनी मिल को अनुबंध के अनुसार 30–11–1977 को चालू होना था, परन्तु वित्तीय संस्थाओं से समयानुसार ऋण उपलब्ध न हो सकने के कारण उक्त मिल निर्धारित समय पर न चल सकी । इस मिल की अगले पेराई सत्र में चलने की आशा है ।

24—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रमाला सहकारी चीनी मिल, रमाला जिला मेरठ के भवन निर्माण हेतु सीमेंट को चोरी से ले जाते हुये दिनांक 19 सितम्बर, 1977 को पकड़ा गया था ? क्या सरकार ने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच कराई और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

रमाला सहकारी चीनी मिल में सीमेंट की चोरी के बारे में शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं और उस संबंध में जिलाधिकारी, मेरठ से रिपोर्ट मांगी गई है । रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के पिथौरागढ़ डिपो जील जीबी मेले हेतु चलाई गई बसें

25—श्री नारायण सिंह भैंसोरा—(जिला पिथौरागढ़)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राज्य सड़क परिवहन निगम के डिपो द्वारा जो बसें चलाई जाती हैं, वे कुल कितनी बसें हैं ? क्या माह नवम्बर, 1977 में ये बसें निश्चित समय पर निश्चित स्थानों के लिये नहीं भेजी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

पिथौरागढ़ डिपो द्वारा कुल 56 बसें चलाई जाती हैं। कुछ सेवाओं को छोड़कर सभी सेवायें समय से चलाई गयी। माह नवम्बर, 1977 में समय पालन का प्रतिशत 96.77 था। 319 अतिरिक्त सेवायें भी इन्हीं बसों के जरिये जील जीबी मेले हेतु चलाई गयीं।

विश्वविख्यात हाकी खिलाड़ी, कुंवर दिग्विजय सिंह "बाबू" के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, आज सदन को यह सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि हमारे देश के क्रीड़ा जगत की एक महान विभूति कुंवर दिग्विजय सिंह 'बाबू' नहीं रहे। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हाकी जगत में उनका कितना बड़ा हाथ रहा है और उन्होंने इस क्षेत्र में भारत के मस्तक को कितना ऊंचा किया है। भारतीय ओलम्पिक के भी वे कप्तान रहे हैं। इसके साथ ही साथ शासन से सम्बद्ध क्रीड़ा जगत में भी उनका काफी योगदान रहा है। इस समय तक भी वे सरकारी स्तर के क्रीड़ा जगत के व्यक्ति रहे हैं। यहीं लखनऊ में ही उनका निधन हो गया। उनके प्रति हमारी हार्दिक सहानुभूति है। आपसे अनुरोध है कि आप शोक सन्तप्त परिवार को हमारी समवेदना पहुंचा दें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं माननीय नेता सदन को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज सदन में एक नई परम्परा कायम की कि जो विधान सभा या विधान मण्डल के सदस्य न भी हों, लेकिन अगर उनका राष्ट्रीय जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में योगदान रहा हो तो उनके प्रति भी यह सदन कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करे। मैं इसके लिए उन्हें पुनः बधाई देता हूं।

कुंवर दिग्विजय सिंह 'बाबू' हमारे देश के क्रीड़ा जगत के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पारखी रहे। उन्होंने ओलम्पिक खेलों में भारतीय टीम का नेतृत्व करके भारत को और हमारे प्रदेश को गौरव प्रदान किया और सम्मान प्रदान किया। हमारे प्रदेश की जो स्पोर्ट्स कौंसिल है उसके वे सचिव के रूप में कई वर्षों तक रहे और प्रदेश के खेल कूद-जगत में जो हमारा नियोजन रहा है उसका वे मार्ग दर्शन करते रहे। साथ ही भारत सरकार की खेल-कूद परिषद् के माध्यम से जो सारे देश की खेल-कूद व्यवस्था थी उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे भी कई बार उनसे निकट सम्पर्क स्थापित करने का और उनके विचारों से अवगत होने का अवसर मिला था और मैंने देखा कि किस तरह से वे परिपीड़ित रहते थे। खेल-कूद की दुनिया में जो हम पिछड़ रहे हैं उसके बारे में किस तरह से वे अपनी भावना व्यक्त करते थे कि हम कैसे आगे बढ़ें।

वे क्रिकेट और हाकी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शारीरिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित जिमनास्टिक से लेकर अन्य दूसरी अभिव्यक्तियों तक उनके परिवर्द्धन और संवर्द्धन में दिलचस्पी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखते थे। हमारे प्रदेश का स्पोर्ट्स कालेज जो अभी तीव्र गति से उभर रहा है, करोड़ों रुपये की लागत उसमें लगी है, उसमें कुंवर दिग्विजय सिंह "बाबू" का बड़ा योगदान रहा है। एक अच्छी स्मृति उनके प्रति होगी अगर हम इस स्पोर्ट्स कालेज के कार्यक्रमों को अधिक गति दे सकें। यही हमारी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हम अपने दल की ओर से आपसे आग्रह करते हैं कि आप शोक-सन्तप्त परिवार को हमारी समवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, कुंवर दिग्विजय सिंह 'बाबू' के निधन से न केवल आज उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक अभाव की बात हो गई है जिसकी पूर्ति सचमुच में मुश्किल है। हमारे प्रदेश में जैसा कि माननीय नेता सदन और मननीय तिवारी जी ने बताया कि वे खेल जगत में केवल एक दिशा में माहिर नहीं थे बल्कि कई दिशाओं में माहिर थे। वह न केवल खेलों के कप्तान थे बल्कि हमारे प्रदेश में खेलों के प्रचार, प्रसार और उसके प्रशासन के इंचार्ज भी थे और सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति का यहीं निधन होना हमारे लिए बड़े दुख की बात है और आज जो नेता सदन और तिवारी जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है हम अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करते हैं।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

श्रीमन, कुंवर दिग्विजय सिंह जी के निधन से हमारे देश के एक क्रीड़ा सेनानी का निधन हुआ है और आज हमारे देश को उनके न रहने से, क्रीड़ा जगत को बड़ी क्षति हुई है। हमारे नेता सदन और दूसरे नेताओं ने जो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है हम और हमारा दल उससे अपने को सम्बद्ध करता है। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी समवेदना उनके सन्तप्त परिवार तक भेजवाने का कष्ट करेंगे।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, श्री दिग्विजय सिंह 'बाबू' क निधन पर जो प्रस्ताव नेता, सदन ने रखा है और माननीय नेताओं ने जो अपने उद्गार व्यक्त किये, मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, दिग्विजय सिंह जी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और हिन्दुस्तान का नाम उन्होंने दुनिया में रोशन किया है। उनके निधन से आज हमारे प्रदेश और देश के क्रीड़ा जगत को अपार नुकसान हुआ है। के0 डी0 सिंह 'बाबू' से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध भी रहा है। उनका हर वक्त यही दृष्टिकोण रहता था कि किस तरह खेलों का पूरे प्रदेश में प्रसार हो और किस तरह से अच्छे खिलाड़ियों को शिक्षित करके पूरे प्रदेश का नाम, हिन्दुस्तान का नाम विश्व के पैमाने पर रोशन किया जाय। ऐसे लगन के व्यक्ति के उठ जाने से मैं समझता हूं कि क्रीड़ा जगत में जो कमी आ गई है अब निकट भविष्य में इतना अनुभवी व्यक्ति हमारे देश को मिलना मुश्किल है और हम उसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे। इसलिए श्रीमन्, मैं अपने को माननीय नेता, सदन और अन्य माननीय नेताओं के विचारों से सम्बद्ध करते हुए आप से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे दल की समवेदना को उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय तिवारी जी, श्री श्यामधर मिश्र जी, माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी और माननीय ऊदल जी ने जो कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू' के निधन पर भावनाएं प्रकट की हैं मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्री बाबू से मेरा बहुत दिनों से निकट का सम्बन्ध रहा है और उनका निधन मेरे लिए तो एक निजी क्षति है। उनका सम्बन्ध बहुत निकट से बुलन्दशहर से था। उनके ससुर इस विधान सभा के सदस्य सन् 1937 में रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

और वे स्व0 पंडित पन्त के बड़े निकट के सहयोगी थे। मैं तभी से कुंवर दिग्विजय सिंह से परिचित था। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने हमारे देश का सिर ऊंचा किया और इस प्रदेश में खेलों को संगठित करने में वे अगुवा थे। उनके निधन से क्रीड़ा क्षेत्र में बड़ी भारी कमी हो गई है। आप लोगों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं इस समवेदना को उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा और मैं भी उन भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उनके सम्मान में मौन खड़े होकर दो मिनट के लिए समवेदना प्रकट करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

प्रश्नों के अन्तरिम उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न---

श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)---

(श्री वर्मा का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय-मंत्री जी जो सूचना देते हैं कि---"सूचनाएं" एकत्र की जा रही हैं, यह सब टालू मिक्स-चर होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री जी को निदेश दें कि 'सूचनाएं' एकत्र की जा रही हैं इस तरह का उत्तर वह सदन में न दें। मुझे कहना है कि जब कोई मामला गम्भीर होता है तो इस तरह का उत्तर वहां दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष---

इस पर मैं कई दफा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। अभी एक प्रश्न के बारे में आश्वस्त भी किया कि शीघ्र ही सूचना दें, दे दी जायगी।

कुंवर दिग्विजय सिंह "बाबू" की मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अभी-अभी माननीय सदन के अन्दर कुंवर दिग्विजय सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने की प्रक्रिया चल रही थी। यहां की परम्परा के अनुसार उस समय मैंने बीच म बोलना उचित नहीं समझा, किन्तु मेरा अब कहना है कि कुंवर दिग्विजय सिंह की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है। यहां जो बताया गया कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है, वास्तव में वैसी बात नहीं है। मुझे जो जानकारी है, उसके अनुसार उन्होंने 12 बोर की बन्दूक से गोली चलाई थी या उन पर चलाई गई है, जो उनके सिर से निकल गई। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसलिए मैं सरकार और नेता सदन से चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक और उचित कार्यवाही करें, जिससे पूरे प्रदेश व देश तथा सम्पूर्ण क्रीड़ा जगत की जनता के सामने उनकी संदेहास्पद स्थिति में हुई मृत्यु का स्पष्टी-करण हो सके।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)---

जो मैंने अपने विचार व्यक्त किये, उसमें कहीं भी स्वाभाविक नहीं है, उसमें यह है कि मृत्यु हुई है। उस पर यह प्रश्न आया है। अब क्या स्थिति है, यह तो बाद का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

शतरुद्र प्रकाश जी ने जो तथ्य रखे हैं, उसकी जानकारी मुझे भी हो गई है। मैंने उचित नहीं समझा कि श्रद्धांजलि के समय उसे कहा जाय, लेकिन आज की तम्बीह होनी चाहिये कि जो सारी बातें हैं तथ्य हैं, वे सदन के सामने, देश और प्रदेश की जनता के सामने आ जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

जो सन्देह माननीय सदस्यों ने के0डी0सिंह 'बाबू' की मृत्यु पर प्रकट किया है, मुख्य मंत्री जी, क्या आप इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

श्री राम नरेश यादव—

जो सूचना होगी और सदन चाहेगा, तो उसे उससे अवगत करा दिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

नेता सदन ने जो कहा कि मृत्यु हुई है तो क्या उनको जो प्राप्त सूचना है, उसके अनुसार उनकी हत्या की गई है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जो श्रद्धांजलि अर्पित की वह प्राप्त सूचना के आधार पर की। अब मैं निर्देश कर चुका हूं कि इस सम्बन्ध में वह आवश्यक जांच कराकर सूचना प्राप्त करने के बाद सदन को सूचित करें। इस पर अब ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं है। इससे मृत आत्मा को ठेस पहुंचेगी।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

आप क्या प्रश्न उपस्थित करना चाहते हैं। इस पर विवाद करना ठीक नहीं है।

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी (जिला लखनऊ)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि.....

श्री अध्यक्ष—

मिसेज बख्शी कोई प्रश्न नहीं। आप बैठिए। जिन प्रश्नों को स्वीकार किया है उसको ले रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

प्रश्नों से सम्बन्धित मेरी व्यवस्था है। प्रश्न किसी मंत्री से पूछे जाते हैं और जवाब कोई दूसरा मंत्री देता है।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कक्ष में आकर पूछ लें, आप की कठिनाई दूर हो जावेगी।

प्रदेश के सूखा एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी गयी सहायता तथा बीज वितरण में धांधली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस माननीय सदन का ध्यान प्रदेश के अन्दर बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रबी की बुआई के अवसर पर एक एकड़ से कम जोत वाले

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]—

किसानों को मुफ्त बीज और उर्वरक के वितरण में व्यापक पैमाने पर हुई धांधली और भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों की संख्या में पात्र किसान इस सुविधा से वंचित रह गये हैं और भ्रष्ट कर्मचारियों तथा अवांछनीय तत्वों की गहरी साजिश के फलस्वरूप बहुत बड़ी धनराशि बीच में ही हड़प ली गयी है ।

मान्यवर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उक्त सुविधा के पात्र व्यक्तियों की जो सूचियां हल्का लेखपालों द्वारा बनायी गयी थीं, प्रभावशाली लोगों और नाजायज पैसे के दबाव से उनमें प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक गावों की सूचियां गलत बनी हैं बड़े किसानों के नाम सूची में भर दिये गये हैं और बहुत से पात्र व्यक्तियों के नाम जानबूझ कर छोड़ दिये गये हैं ।

इसके अलावा श्रीमन्, जो सूची बनी थी उसके आधार पर भी पूरा वितरण नहीं हुआ और 50 प्रतिशत से अधिक गांव सभाओं को इस सुविधा से वंचित रखा गया । मेरे विधान सभा क्षेत्र में मान्यवर, मटेहरी, मीटी और मयातीन ब्लाक पड़ते हैं । तीनों ही ब्लाकों में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक गांव सभाओं में मुफ्त खाद और बीज का वितरण बिल्कुल नहीं हुआ है । जिन गांव सभाओं के लोगों को यह सुविधा मिली भी है उनमें से भी 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को यह सुविधा बोआई के समय के बहुत बाद में मिली है । इस प्रकार से प्रशानिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण उक्त जनहितकारी योजना का सत्यानाश हो गया है और प्रदेश की जनता द्वारा सरकार की सराहना के बजाय, प्रशासनिक अधिकारियों के असहयोगात्मक और भ्रष्ट कारनामों से आम जनता में सरकार के प्रति असंतोष और आक्रोश पैदा हो गया है ।

इसलिए मान्यवर, आप की अनुज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश भर में मुफ्त बीज और उर्वरक बांटने के काम में हुई धांधली और भ्रष्टाचार की जांच करके सभी दोषी लोगों को दंडित किया जाय और जांच रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही के विवरण को सभी की जानकारी हेतु सदन क पटल पर रखा जाय ।

अलीगढ़ के गांधी पार्क में 'जैसीज' द्वारा साइकिल चलाने के प्रदर्शन के अवसर पर घटित घटना को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, अलीगढ़ 16 मार्च को एक ऐसी अप्रिय घटना जो सभ्यता के समस्त आवरणों को छिन्न भिन्न कर असभ्य पाश्विक मानव की याद दिलाने वाला यह कृत्य शासन के लिये अत्यन्त लज्जाजनक है । 5 मार्च को जेसीज द्वारा गांधी पार्क में 246 घन्टे साइकिल चलाने का संयोजन किया गया प्रदर्शन के अन्तिम दिन जनता को आकर्षित करने के लिए कई कर्तब करने की घोषणा की गयी, इसके फलस्वरूप भारी संख्या में स्त्री-पुरुष गांधी पार्क में एकत्रित हो गये, समापन से दो घंटे पूर्व इतने व्यक्ति इकट्ठा हो गये कि न प्रकाश की व्यवस्था और पुलिस की उपस्थिति के अभाव में गुन्डा तत्व सक्रिय हो गये और महिलाओं तथा लड़कियों से व्यापक छेड़-छाड़ प्रारम्भ हो गयी । पराकाष्ठा यह थी कि कितनी ही महिलाओं को निवस्त्र कर दिया गया बहुत सी महिलाओं की साड़ियां और बुरक उतार लिये गये जिन महिलाओं ने गुण्डों का विरोध किया उनको पैरों की ठोकरों से क्षति पहुंचाई गयी । इस पशुता का तांडव नृत्य लगभग डेढ़ घंटे तक निरन्तर चलता रहा । और ऐसी भगदड़ मच गयी कि इस भगदड़ में बिजली गायब होने के फलस्वरूप कितनी ही महिलाओं के साथ उस मैदान में बलात्कार किया गया । पुलिस को अगर उजाला के संवादाता ने टेलीफोन पर सूचना दी तो इस घटना के बहुत देर बाद पुलिस

पहुंची। मुझे ज्ञात हुआ है कि कितनी ही महिलाएं अभी तक गायब हैं और उनके घर वाले बदनामी के डर से पुलिस को खबर नहीं कर पाये हैं।

प्रश्न यह है कि किसने उक्त प्रदर्शन की आज्ञा दी? आज्ञा देने के बाद पुलिस व प्रकाश की व्यवस्था क्यों नहीं की गई और लापरवाही के कारण यह पाशविक घटना घटित हुई इसका उत्तरदायी कौन है ?

प्रत्यक्ष दर्शियों का कथन है कि घटना स्थल पर अनेक जनाने जूते, चप्पल, फटे हुए कपड़े, जिनमें साड़ियां, पेटीकोट, ब्लाउज, बुरके बरामद हुए हैं।

शासन से आग्रह है कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और जो गुन्डा तत्व इस कार्य में सक्रिय थे उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

वाराणसी में हुए दंगे की न्यायिक जांच की घोषणा के बावजूद जांच सम्बन्धी कार्यवाही में विलम्ब के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, माह अक्तूबर सन् 1977 में वाराणसी शहर में दंगा हुआ उस दंगे के सम्बन्ध म अनेक बार चर्चायें इस सदन में हो चुकी हैं। सरकार ने लोगों के बड़े आग्रह पर न्यायिक जांच की घोषणा सदन में की थी। यह जांच 4 माह के अन्दर होने वाली थी दिसम्बर माह में सरकार द्वारा एक अवकाश प्राप्त जज श्री शम्भू दयाल जी की नियुक्ति हुई, ये जौनपुर में रहते हैं। आज तक इस जांच कमीशन का सचिव ही नियुक्त न हुआ। जो मुद्दे इस जांच के लिए सरकार द्वारा दिये गये हैं, अस्पष्ट तथा अपर्याप्त हैं। वाराणसी शहर में जो उपद्रव की घटनायें हुईं उनकी शुरूआत 1 अक्तूबर से रेवड़ी तालाब से होती है पर जांच 23 अक्तूबर की घटनाओं के आगे की केवल जांच होगी। जो मुद्दे दिये गये हैं उनके पढ़ने से इस बात पर जोर मालूम होता है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ ज्यादतियों को प्रधान जांच होगी जबकि वहां की जनता को परेशानी अधिक रही है। अतएव विलम्ब के कारण जनता में निराशा फैल रही है और सही मुद्दे की जांच की घोषणा न होने से लोग उदासीन हैं। लोगों ने सरकार से कई बार आग्रह भी किया पर जांच शुरू नहीं की गई। कृपया सरकार का इस पर वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।

हसनपुर, मुरादाबाद में कालागढ़ से निकाले गये फ़ीडर चैनल से किसानों की भूमि की बरबादी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुरादाबाद जनपद की तहसील हसनपुर में कालागढ़ से निकाले गये फीडर चैनल के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन की खेती बर्बाद हो जाने की समस्या को इस माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्रीमन्, हसनपुर तहसील के गांव शाहपुर रझेड़ा के आगे फीडर चैनल की रफ्तार, गंगा में जहां पानी गिराया जाता है, नजदीक आ जाने के कारण बढ़ जाती है और पानी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। पानी को ऊंचाई से गिराने के कारण पानी के ठहराव के समय में वृद्धि होती है। नतीजे में फीडर चैनल के तल से तथा दोनों ओर से पानी रिसता रहता है। पालनपुर, मोहम्मदपुर लोहर्रा मलकपुर, कमलपुर आदि गांवों में पानी का स्तर बहुत ऊपर हो गया है। किनारे की सैकड़ों एकड़ जमीन में पानी बराबर भरा हुआ है फसल समाप्त हो गयी है। उपरोक्त गांवों के मकान कट रहें है और गिर रहें है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमाशंकर कौशिक]—

श्रीमन्, माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि आगे वहां के निवासियों पर यह संकट फिर न आये। श्रीमन्, उचित कार्यवाही करने के लिए यह समय उपयुक्त है। अब फीडर चैनल बन्द होगा। संकट स्थल पर यदि सरकार फीडर चैनल के तल और किनारों को पक्का करा दे तो अगले सीजन में, जब फीडर चैनल में पानी चलाया जायगा, यह संकट नहीं आयेगा।

देवरिया जनपद में सिंचाई की अव्यवस्था के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं अपने जनपद के बारें में निम्न तथ्य सदन में रखना चाहता हूं :—

देवरिया जनपद में समस्त नहरों में पानी रोक दिया गया है। परिणामस्वरूप किसानों में काफी बेचैनी है। क्योंकि यह सम्पूर्ण माह सिंचाई की दृष्टि से फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। गन्ने की फसल एवं अन्य फसलों के लिए इस समय पानी की अत्यन्त ही आवश्यकता होती है। साथ ही साथ राजकीय नलकूपों की स्थिति यह है कि लगभग दो सौ नलकूप जनपद में बन्द पड़े हैं क्योंकि इन नलकूपों पर नलकूप चालकों की नियुक्ति ही नहीं हुई है और इतने ही नलकूप बेकार पड़े हैं। मेरे क्षेत्र में नलकूप नं0 98 वर्षों से खराब है लेकिन सिंचाई विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय में देवरिया जनपद में सिंचाई की व्यवस्था पूर्णतया अवरुद्ध है। परिणामस्वरूप किसानों में अपनी फसलों के प्रति अत्यधिक चिन्ता है।

अतः सदन के माध्यम से मैं सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि वह तत्काल ऐसी व्यवस्था करें जिससे सम्पूर्ण अप्रैल माह तक नहरों में पानी दिया जाय एवं बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराया जाय एवं साथ ही साथ चालक रहित नलकूपों पर तत्काल नियुक्ति करें। जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा तत्काल मिल सके।

श्री राजकिशोर तिवारी, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

गिरफ्तारी की सूचना मुझको देनी है। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 23 मार्च, 1978 जो कि सचिवालय में दिनांक 23 मार्च, 1978 को अपराह्न 4 बजे प्राप्त हुआ के, अनुसार श्री राज किशोर तिवारी, सदस्य विधान सभा, जौनपुर को 17 मार्च, 1978 को दंडप्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला कारागार, लखनऊ भेजा गया। अध्यक्ष, विधान सभा को माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना समय से न दिये जाने के लिए जिलाधिकारी ने खेद प्रकट किया है।

जिलाधिकारी, लखनऊ के दूसरे पत्र दिनांक 23 मार्च, 1978 जो इस सचिवालय को 23 मार्च के अपराह्न 3 बजे प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राज किशोर तिवारी, सदस्य विधान सभा, जौनपुर को दिनांक 18 मार्च, 1978 को उक्त धारा से मुक्त कर दिया गया और वह जेल से रिहा कर दिये गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, खीरी मे आज पत्र तथा रेडियोग्राम द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने भारतीय दंड विधान की धारा 147/148/149/336/188/447/427 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य, श्री नरेश चन्द्र वर्मा को बन्दी कर लिया जाय ।

तदनुसार श्री नरेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा को 25–3–78 को 7 बजे अपराह्न पर बन्दी कर लिया गया है और उन्हें जिला कारागार, खीरी में रखा गया है ।

जिलाधीश, खीरी ने अपने रेडियोग्राम 26 मार्च, 1978 द्वारा जो यहां आज 11 बजकर 5 मिनट पूर्वाह्न को प्राप्त हुआ है, श्री नरेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा के कारागार भेजे जाने की सूचना दी है ।

विविध विषय

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता था । मैंने दफा 52 में आपको गन्ने के प्रश्न पर सूचना दी है ढाई घंटे की चर्चा के लिए । माननीय गन्ना मंत्री भी हैं, उपमंत्री भी हैं । प्रदेश के अन्दर 60–65 प्रतिशत गन्ना खड़ा है । होली हो गयी . . .

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं नियमों से अवगत हैं । नियम 52 के प्रश्नों को इस प्रकार से नहीं लिया जा सकता । आपने मुझको सूचना दी है, मैंने उसको स्वीकार कर लिया है और कार्य-मंत्रणा समिति में उसकी स्वीकृति के लिये मैंने उसको कार्यक्रम में रख दिया है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

(दो फोटो-स्टेट कापियां प्रदर्शित करते हुए) यह खाद्य विभाग, बरेली का मामला है . . .

श्री अध्यक्ष—

सुखपाल जी, इस प्रकार से कोई प्रश्न नहीं उठ सकता । आपने मुझको कोई पूर्व सूचना नहीं दी, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । बिना अनुज्ञा के आपको अगर कोई प्रश्न उपस्थित करना हो तो 10 बजे तक आप मुझे सूचित करें, उसके बाद मैं समय दे सकता हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

यह तो आपकी सूचना है, मेरी नहीं है । आप हमारे अध्यक्ष हैं । यह रिश्वत लिखकर दी गयी है । मैं इसलिये आपको देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझको दे दीजियेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

अच्छा ।

दिनांक 22 मार्च, 1978 को दर्शक दीर्घा में नारे लगाने संबंधी घटना के सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट तथा पकड़े गये व्यक्तियों की रिहाई

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 22–3–78 को 1 बजकर 18 मिनट अपराह्न के समय दर्शक दीर्घा में जो नारे लगाने की घटना हुई थी, उसके सम्बन्ध में मार्शल, विधान सभा से निम्नलिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं—

"आज दिनांक 22–3–78 को अपराह्न 1–18 बजे जबकि सदन की कार्यवाही चल रही थी, ऊपर की दो विभिन्न दीर्घाओं में 2 व्यक्तियों ने "होम्योपैथिक छात्र जिन्दाबाद" के नारे लगाये। दीर्घाओं में तैनात विधान सभा के रक्षकों ने उन व्यक्तियों को तुरन्त ही अपने कब्जे में करके वहां से हटा दिया। एक व्यक्ति अपना नाम अरुण कान्त पांडेय (निवासी लखीमपुर खीरी) बतलाता है। इन व्यक्तियों की तलाशी लेने पर श्री बंश बहादुर के पास से कोई प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और नहीं उक्त नाम से कोई प्रवेश-पत्र रजिस्टर में जारी हुआ प्रतीत होता है। परन्तु श्री अरुणकान्त पांडेय ने अपना प्रवेश-पत्र अपने मुंह में खा लिया था जो कि बाद में उनके मुंह से निकलवाया गया। उक्त प्रवेश पत्र जो कि नीचे संलग्न है श्री मन्ना लाल, सदस्य, विधान सभा, जिला खीरी द्वारा जारी किया गया था तथा उसकी संख्या 30970 है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले व्यक्ति ने अपना प्रवेश-पत्र जानबूझ कर कहीं दीर्घा में प्रवेश पाने के बाद नष्ट कर दिया है।

श्री अरुण कान्त पाण्डेय के मुंह से निकला हुआ प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को माननीय अध्यक्ष के आदेशार्थ मार्शल की हिरासत में बिठाया हुआ है। रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है।"

उक्त व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा में नारे लगा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया है और इस प्रकार सदन की कार्यवाही में व्यवधान करके उन्होंने सदन का स्पष्टतया अवमान किया। यह घटना वर्तमान सत्र की पहली घटना है। अतः मेरी राय में मार्शल की हिरासत में रहने के समय को ही सदन के अवमान का पर्याप्त दंड मानते हुए सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् उक्त दोनों व्यक्तियों को रिहा कर देना उचित था।

इस सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट की सूचना तथा अपनी उक्त राय से सदन को दिनांक 22–3–78 को उसके उठने से पूर्व-अवगत कराना चाहता था और माननीय सदन की सहमति प्राप्त करना चाहता था, ताकि सदन के उठने के बाद उक्त अभियुक्तों को रिहा कर दिया जाय, किन्तु मुझे खेद है कि सदन के उठते समय मैं ऐसा न कर सका और उक्त परिस्थिति में सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त अभियुक्तोंको उस दिन सदन के उठने के बाद मार्शल की हिरासत में रहने के समय को पर्याप्त दंड मानते हुए उन्हें छोड़ने का आदेश मैंने दिये और उस पर सदन की स्वीकृति 27–3–78 को प्राप्त करने के भी आदेश दिये। तदनुसार इस सम्बन्ध में सदन की स्वीकृति अपेक्षित है। मैं समझता हूं कि सदन उपरोक्त कार्यवाही से सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति दी गयी)

श्री राजकिशोर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री व जिलाधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राजकिशोर तिवारी तथा श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री व जिलाधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

उनका कहना है कि श्री राज किशोर तिवारी 17–3–78 को गिरफ्तार किये गये किन्तु न उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया और न ही उन्हें यह सूचना दी गयी कि किस अपराध में गिरफ्तार किये गये हैं। उनका यह भी कहना है कि अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं भेजी है और न रिहाई की सूचना ही भेजी है।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 80 व 81 के अनुसार सदस्यों को बन्दी किये जाने तथा रिहाई की सूचना दिये जाने का दायित्व न्यायाधीश, दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी का है। अतएव जहां तक मुख्य मन्त्री के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है यह उत्पन्न नहीं होता।

यह सही है कि जिलाधिकारी, लखनऊ से माननीय सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना दिनांक 22–3–78 तक प्राप्त नहीं हुई थी। जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचना 23–3–78 को भेजी है। उनका कहना है कि श्री राज किशोर तिवारी, सदस्य, विधान सभा 17–3–78 को गिरफ्तार किये गये थे और 18–3–78 को जेल में मुक्त कर दिये गये थे। उनके द्वारा भेजे गये पत्र के अनुसार दिनांक 17–3–78 को यह सूचना नहीं ज्ञात हो सकी थी, यद्यपि सतत् प्रयास किया गया था कि सभी माननीय विधान सभा के सदस्यों की जानकारी प्राप्त हो जाये। सूचना के अभाव में मुझे श्री तिवारी की गिरफ्तारी की सूचना समय से न दिये जाने के लिये जिलाधिकारी ने खेद व्यक्त किया है।. . . .

वैसे विलम्ब से गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना दिये जाने पर अभी तक जो निर्णय हुए हैं, उनके अनुसार विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं माना गया है। अतः इस बात को देखते हुए कि जिलाधिकारी ने सूचना भेज दी है और विलम्ब से सूचना देने के लिये खेद प्रकाश भी किया है, इस मामले को समाप्त किया जाता है।

सदन को गलत सूचना देने तथा विधायकों पर गलत आरोप लगाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री व जिलाधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष––

श्री गुलाब सेहरा, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा श्री अजीत सिंह सेठी, सदस्यगण, विधान सभा ने सूचना दी है कि दिनांक 20 मार्च, 1978 को सदन में मैंने जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा भेजी गयी यह सूचना दी थी कि श्री नारायण दत्त तिवारी व अन्य 20 विधायकों, जो धारा 107/132/136 आदि के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे, रिहा कर दिया गया है। उक्त माननीय सदस्यों का यह कहना है कि वे केवल धारा 144 के उल्लंघन में ही गिरफ्तार किये गये थे और उन सभी विधायकों ने बिना किसी प्रतिरोध के या वाद-विवाद के अपने को गिरफ्तार करा दिया था। उक्त माननीय सदस्यों का यह भी कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने 18 मार्च, 1978 को सदन में दिये गये अपने वक्तव्य में यह कहा था कि श्री नारायण दत्त तिवारी व 34 अन्य साथियों को निषेधाज्ञा तोड़ने के अभियोग में पकड़ लिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री ने किसी अन्य अभियोग का जिक्र नहीं किया था। उक्त माननीय सदस्यों का यह कहना है कि जान-बूझ कर सदन को गलत सूचना दी गयी एवं विधायकों पर गलत आरोप लगाने से जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। 18 मार्च, 1978 को सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने यह अवश्य कहा था कि श्री नारायण दत्त तिवारी को 34 आदमियों के साथ मुख्य जुलूस के निकलने के पहले ही रायल होटल के पास निषेधाज्ञा तोड़ने के अभियोग में पकड़ लिया गया था।

[श्री अध्यक्ष—]

18 मार्च, 1978 को श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी के संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ से मुझे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 तथा 188 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी, कांग्रेस (इन्दिरा), जिला नैनीताल को बन्दी कर लिया जाय। तदनुसार उन्हें 17-3-1978 को दिन के लगभग 2-30 बजे बन्दी कर लिया गया है और उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया है। 20 मार्च, 1978 को जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा भेजी गयी यह सूचना प्राप्त हुई कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/166 के अन्तर्गत श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य विधान सभा को, जिन्हें दिनांक 17-3-1978 को बन्दी कर लिया गया था। दिनांक 18-3-1978 को उक्त धारा से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है।

फौजदारी आरोप पर किसी सदस्य को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में सदन को गिरफ्तारी की सूचना दिये जाने की व्यवस्था तो है, किन्तु यह बात कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी वैध थी या नहीं, न्यायालयों में ही उठायी जा सकती है। इस मामले में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं उसे सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन् मेरा केवल आपसे यही आग्रह है कि आप जरा इस पर पुनः अवश्य विचार कर लें और माननीय मुख्य मंत्री, नेता सदन के रूप में इसको देख लें। पहली बात तो यह है कि जब हम यहां से बाहर गये, तो हम लोग जैसे केवल विधान भवन के बाहर जैसे 10-12 कदम गये, डी0एम0 और एस0 पी0 ने रायल होटल के चौराहे पर कहा कि आप दफा 144 तोड़ रहे हैं, मैं सीधे ट्रक में बैठ गया, कोई रुकावट नहीं की। जैसे ही डी0एम0, एस0 पी0 ने कहा कि आप दफा 144 तोड़ने में गिरफ्तार किये जाते हैं, मैंने कहा कि हम गिरफ्तार अपने को करा रहे हैं। हम सीधे ही ट्रक में बैठ गये और चले गये।

(वाह-वाह की आवाजें—हंसी तथा शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें। आप कृपया कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य मेरी बात की पुष्टि ही कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जबकि कोई तकरार नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, कोई विरोध नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक वक्तव्य दिया मैं इस सम्बन्ध में उन्हें बधाई देता हूं।

एक सदस्य—

फिर आपत्ति क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वक्तव्य दिया कि निषेधाज्ञा तोड़ने पर गिरफ्तार हुए। हम तोड़ने जा रहे थे? हम समझते हैं कि हमें सदन से बाहर जाने का अधिकार था। जुलूस में शामिल होने जा रहे थे, वह अलग बहस है और शामिल होने के पहले जैसी की सूचना दी गयी, पकड़ लिये गये।

(शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ कर बातें न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्यों की कृपा कटाक्ष का आकांक्षी था कि जरा मुझे अपनी बात कहने दें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि धाराओं को आप देखेंगे कि 188–144 आदि धारायें लगायी गयीं। कई माननीय सदस्यों के नाम के आगे 188 की धारा है ही नहीं। तो कोई वाद-विवाद नहीं था, कोई रूल तोड़ने की बात नहीं है तो यह दफायें क्यों लगीं ? जब मुख्य मंत्री ने सही सूचना दे दी तो इसका मतलब क्या हुआ ?

श्री राजकिशोर तिवारी जी का पता 22 तारीख को चला जब छूटे हुए 4 दिन हो गये। आप सोचें विधायकों को गिरफ्तार किया गया, साधारण नागरिक की बात छोड़िये, और पता नहीं है कि असेम्बली के मेम्बरों को गिरफ्तार किया गया है। 14 मेम्बर गिरफ्तार हुए तो उनके नाम का पता नहीं चला। कोई वारंट नहीं था, कहीं कोई लिखत पढ़त नहीं हुई। किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तो फिर यह दफायें बाद को जोड़ दी गयीं। तो इसमें विशेषाधिकार होता है।

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

तिवारी जी पुरानी ट्रेनिंग जो आपने दी है (शोर) उसी का इस्तेमाल हुआ है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय त्रिपाठी जी सदन का समय नष्ट न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं पुरानी बात की याद आपको दिलाना चाहता हूं। माननीय उप मंत्री जी ने पुरानी बात कही। मान्यवर, सन् 54 में जब माननीय राजनारायण जी नेता, विरोधी दल थे और मुझे यहां सेक्रेटरी होने का सौभाग्य प्राप्त था। श्रीमन्, आप भी उस समय सदन की शोभा बढ़ाते थे। तब यह प्रश्न 2 बार विशेषाधिकार समिति के सामने आया था। उस समय समिति ने इस संबंध में संस्तुति दी थी। (शोर) उसमें था कि सूचना कैसे आनी चाहिये। मैं माननीय उप मंत्री से कहूंगा कि वह पुरानी रिपोर्ट जो सन् 54 की है जरूर पढ़े जिसमें यह सब लिखा हुआ है कि जब सूचना दी जाती है सदन को, तो जिलाधिकारी को क्या लिखना चाहिये और क्या नहीं लिखना चाहिये। सब उसमें दिया है। यहां पर पता नहीं कि कितने मेम्बर गिरफ्तार हुये। मुख्य मंत्री जी का बयान है निषेधाज्ञा तोड़ने पर पकड़े गये। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांत रहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न को आप दुबारा देखलें, रिकार्ड मंगवा ले उसको देख लें कि उसमें क्या लिखा है ? श्री राज किशोर तिवारी कि जो स्थिति है उससे स्पष्ट है कि उनको पता नहीं था कि कौन-कौन विधायक पकड़े गये हैं ? दफाओं का पता नहीं है इसलिये इस प्रश्न पर आप पुर्नविचार कर लें ताकि सदस्यों के मानहानि की अवहेलना आगे से न हो।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, यह सदन को अच्छी तरह से ज्ञात है कि इस तरह की स्थिति तिवारी जी ने अपने सहयोगियों के द्वारा कराकर सदन को छोड़कर बाहर चले गये थे। यह बात सदन के किसी माननीय सदस्य से छिपी नहीं है। इस तरह की परिस्थिति पैदा की गयी। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो तिवारी जी ने कही कि हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो साधारण नागरिकों के साथ क्या दुर्व्यवहार नहीं होगा ? तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे पं० कमलापति त्रिपाठी हों, चाहे शीर्षस्थ नेता क्यों न हों मैं विधि सम्मत राज्य चाहता हूं और उसमें नागरिक हो या नेता हो वह कानून में जाने से बच नहीं सकता है। यही बात थी जब वहां निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था निषेध आज्ञा जारी थी तो उस समय उसको तोड़ करके, निषिद्ध क्षेत्र का उल्लंघन करके यदि आप जायेंगे तो कभी भी कोई बच नहीं सकता है चाहे फिर वह साधारण नागरिक हो या आप इसलिये जो भ्रामक बात इस संबंध में सदन में कही गयी है और जो सारी चर्चा हुई थी उसमें काफी प्रकाश इस पर पड़ चुका है इसलिये और जानकारी मालूम करने की इसमें आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मेरा नेता सदन से आग्रह है कि वह क्यों वातावरण को उष्ण बनाने में दिलचस्पी रखते है। मैं नहीं चाहता लेकिन उन्होंने ऐसा आरोप लगा दिया कि मैं अपने सहयोगियों से कोई कार्य करवाकर बाहर चला गया।

(व्यवधान)

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विक्रमा राय--

श्री तिवारी जी तो केवल सूचना देना चाहते थे, लेकिन वह उत्तर प्रत्युत्तर के आधार पर इस प्रकार सदन में बहस कर रहे हैं। इसलिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यदि कोई माननीय सदस्य कहता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता लेकिन माननीय नेता सदन कह रहे हैं और जबकि जांच एक हो रही है। उन्होंने निष्कर्ष पहले निकाल लिया तो इसका मतलब यदि किसी सदस्य ने उधर से किया तो उनकी तरफ से हुआ और फिर मुख्य मंत्री ने करवाया..... (शोर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

शांति बनाये रखें।

श्री विक्रमा राय--

मान्यवर, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है तो विवाद का प्रश्न कहां से उठता है ? (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप रुकें। हम नियम निलम्बित किये देते हैं। आप बिना इजाजत के बोलना चाहते हैं तो बोलें। यह कोई विवाद का विषय नहीं है। यदि आप चाहते हैं कोई विवाद न हो और बिना अनुज्ञा के इस प्रकार खड़े हों तो इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं चल सकती है।

प्रश्न यह है कि जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन था उस पर मैंने अपना निर्णय दिया। माननीय तिवारी जी ने मेरा ध्यान पहले की कुछ गतिविधियों की ओर आकर्षित किया। मैं इसमें पहले ही कह चुका हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट ने भूल की कि माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना देर से दी। इसके लिये उन्होंने खेद प्रकट किया है और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि 17 तारीख की रात को ही जिला मैजिस्ट्रेट स्वयं मेरे कक्ष में आकर मिले और उन्होंने मुझे सूचित किया कि माननीय नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी की सूचना तो मैं लिखित दे रहा हूं। जो अन्य विधान सभा के सदस्य हैं उनके नामों की जानकारी लोगों ने दी नहीं इसलिये कठिनाई हो रही है। उन्होंने मुझसे अनुमति मांगी कि हम जांच करके नामों पर सूचना देंगे। अगले दिन 18 तारीख को 20 नामों की सूचना दे दी और उसके बाद और नामों की सूचना दे दी। इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का। माननीय तिवारी जी स्वयं जानकार हैं . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुख्य मंत्री जी के खिलाफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

उसमें लिखा है। माननीय मुख्य मंत्री ने अन्य अभियोग का जिक्र नहीं किया। यह दोनों का है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

जिलाधिकारी के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने स्वयं पढ़ा है। मुख्य मंत्री का भी नाम लिया है राजकिशोर जी ने।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उनका नहीं, गुलाब सेहरा जी ने जो दिया है उसको देखें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सबको मिलाकर पढ़ा है। आप कहते हैं कि आपका मुख्य मंत्री के खिलाफ नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि निषेधाज्ञा तोड़ी तो ठीक है। कहा गया है कि दफा 144 तोड़ने पर 188 लगायी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री एवं जिलाधिकारी पर विशेषाधिकार की कार्यवाही करने की कृपा करें। इसमें स्वरूप कुमारी और राजकिशोर तिवारी के दस्तखत हैं।

श्री गुलाब सेहरा---

मेरा अलग है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने सबका एक साथ पढ़कर सुनाया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

एक तो यह है कि माननीय राजकिशोर तिवारी की गिरफ्तारी की खबर नहीं दी गयी, दूसरा यह है कि धाराएं गलत सुनायीं जो लगी नहीं थीं। दो इश्यू अलग-अलग हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा कि उन सब प्रश्नों के बारे में निर्णय अलग-अलग सुनाया। आप खड़े हुए, आपने नहीं कहा कि किस प्रश्न को ले रहे हैं। मैंने श्री तिवारी, श्री गुलाब सेहरा दोनों के प्रश्नों को साथ-साथ लिया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने क्षमा मांग ली। जहां तक आपने अपनी समझ से कहा है, यह आप स्वयं जानते हैं कि अगर फौजदारी में कोई गिरफ्तारी होती है चाहे वह इल्लीगल डिटेन्शन ही क्यों न हो उसको चुनौती किसी न्यायालय में ही की जा सकती है। यह कोई स्थल नहीं है जहां पर किसी कानून के उल्लंघन या उसकी अवैधता को चुनौती दी जाय इसलिए मैंने कहा कि सूचना के बारे में देरी के लिए उन्होंने क्षमा मांग ली। जहां तक गिरफ्तारी गलत हुई या उसके अन्दर अलग धाराओं का प्रयोग किया तो इस चीज को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए इसको समाप्त करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैंने मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया था। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। आपने 11 आदमियों की कमेटी बनायी है। फिर नेता सदन यह कैसे कहते हैं कि---"आपने अपने सहयोग से करवाया।" यह बात मैं कैसे मान लूं ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब जांच बिठा दी, तब इसका जिक्र नहीं करना चाहिये था कि किसका दोष था या इस घटना में कौन शरीक था। अब उसमें आगे साक्ष्य इत्यादि होंगे और कार्यवाही होगी। अब मैंने इस विषय को समाप्त किया।

भारत के गृह मन्त्री, चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री ऊदल, सदस्य विधान सभा, ने गृह मंत्री, भारत सरकार, माननीय चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध सदन का अवमान और विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न की एक सूचना दी है।

माननीय सदस्य की शिकायत है कि 17 मार्च, 1978 को कांग्रेस (इन्दिरा ग्रुप) द्वारा लखनऊ में किये गये प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज तथा बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों के संबंध में तारीख 21-3-1978 को आदरणीय लोक सभा में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था। माननीय गृह मंत्री, चौधरी चरण सिंह जी ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुये और तों के अलावा यह कहा कि लखनऊ में विधान सभा के अध्यक्ष के निर्देश पर धारा 144 लागू की गयी थी। माननीय गृह मंत्री का यह कहना कि विधान सभा अध्यक्ष के कहने पर धारा 144 लागू की गयी, माननीय सदन तथा माननीय अध्यक्ष का अवमान है। माननीय श्री ऊदल

ने यह भी कहा है कि उक्त समाचार 22 मार्च, 1978 के 'नवजीवन' में प्रथम पृष्ठ पर छपा है। माननीय सदस्य ने उक्त समाचार की प्रति नत्थी करके भी भेजी है।

माननीय सदस्य ने अपनी शिकायत का आधार केवल समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार को बनाया है और इस संबंध में जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 22 मार्च, 1978 के 'नवजीवन' की प्रति संलग्न की है। दिनांक 18 मार्च, 1959 को डा० लोहिया के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना का उल्लेख करते हुये तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि वह अखबार में छपे हुए लोहिया जी के भाषण के संबंध में था। जिन्होंने उस भाषण को सुना होगा उनका बयान भी अगर उसके साथ होगा, तभी मैं उस पर विचार करूंगा। मैं सिर्फ अखबार की छपी खबर के ऊपर कोई प्रश्न उठाने की आज्ञा देने के लिये तैयार नहीं हूं।

यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी एक सदन में कही हुई किसी बात का संज्ञान दूसरे सदन में नहीं लिया जा सकता और न ही उस पर कोई कार्यवाही की जा सकती है और न ही इस संबंध में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न, दूसरे सदन में कही हुई बात के आधार पर, उठाया जा सकता है। जिस प्रकार इस सदन के सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 194 में इस सदन के अन्दर वाक् स्वातंत्रय प्राप्त है, उसी प्रकार अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को भी अपने सदन के अन्दर वाक्य स्वातंत्रय प्राप्त है। यदि कोई नियंत्रण उस पर है तो वह उस सदन द्वारा बनायी गयी प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत ही है, दूसरे सदन द्वारा इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता।

उक्त सिद्धान्त के अनुसार ही उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक) के पृष्ठ 490 पर निर्णय संख्या 25 में यह स्पष्ट व्यवस्था 26 अप्रैल, 1965 को इस पीठ से दी गयी है कि—

"कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उस वक्तव्य के संबंध में हम नहीं उठा सकते जो कि दूसरे सदन में दिया गया हो।"

बसू ने भी अपनी "कमेण्ट्री आन दि कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया" 5वां संस्करण, खण्ड 2 के पृष्ठ 585 पर अनुच्छेद 105 के खण्ड (2) पर अपनी टिप्पणी में संसद के निर्णयों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट लिखा है कि संघ या राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन को अपने सदन के भीतर बराबर वाक् स्वातंत्रय का अधिकार है और प्रत्येक सदन, जहां तक उसकी कार्यवाही का सम्बन्ध है, सर्वोच्च है। अतएव, यद्यपि यह वांछनीय है कि इस सदन के सदस्य किसी दूसरे सदन पर या उसके सदस्य पर आक्षेप नहीं कर सकते, फिर भी एक सदन दूसरे सदन के किसी सदस्य को विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी नहीं करार दे सकता।

इसी प्रकार महेश्वर नाथ कौल और श्याम लाल शकधर ने अपनी पुस्तक "संसदीय प्रणाली और व्यवहार" के पृष्ठ 270 पर कहा है कि दूसरे सदन में किसी सदस्य द्वारा या भारत के किसी राज्य के विधान मण्डल में उसके सदस्य द्वारा दिए गए किसी भाषण के आधार पर विशेषाधिकार भंग या सदन के अवमान का मामला नहीं बनाया जा सकता क्योंकि संसद दोनों सदनों तथा सभी राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही विशेषाधिकार प्राप्त है और किसी सदन में कही गयी किसी बात के आधार पर किसी अन्य सदन में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

अतएव, श्री ऊदल द्वारा उठाये गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता किन्तु इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति के संसदीय शिष्टाचार, सदन की कार्यवाही

[श्री अध्यक्ष--]

के शांतिपूर्ण संचालन तथा औचित्य के प्रश्न के अधिकार के विषय पर 1972-73 के प्रतिवेदन में यह संस्तुति की गयी थी कि सदन में व्यवस्था बनाये रखने के लिए संसद की भांति इस प्रदेश में भी विधान भवन के चारों ओर 2 फर्लांग तक प्रतिसिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित कर दिया जाये। ऐसा क्षेत्र विधान भवन से वलिंगटन होटल के चौराहे तक, लालबाग के चौराहे तक, जी0 पी0 ओ0 के चौराहे तक, राजभवन की ओर स्थित महात्मा गांधी मार्ग के चौराहे तक तथा हैवलक रोड के चौराहे तक लागू हो। इस क्षेत्र में न किसी प्रकार की कोई मीटिंग हो सके, न खेमे गाड़े जा सकें और न उससे होकर कोई जुलूस इत्यादि निकल सके।

मुझे ऐसी सूचना दी गयी है कि शासन ने उक्त संस्तुति को स्वीकार करते हुए कार्यवाही की है। मेरी आज्ञा से इस प्रकार की कोई निषेधाज्ञा नहीं जारी की गयी है।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं कहता हूं कि वाक् स्वातंत्र्य की व्याख्या जो आपने कही है मेरा मतलब यह नहीं था कि किसी भी विधान सभा में या लोक सभा में कौन माननीय सदस्य क्या कहते हैं। यह मेरा प्रश्न नहीं था। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा कि अध्यक्ष की अनुमति से 144 लगायी गयी। यह अमर उजाला में निकला। श्रीमन्, वहां की उस दिन की कार्यवाही आप मंगा लें। मेरा मतलब वाक् स्वातंत्र्य है ही नहीं। आपने जो व्वयस्था दी वह वाक् स्वातंत्र के बारे में दे दी। अगर आपकी अनुमति से 144 लगी तो उसको आप बतायें कि मेरी अनुमति से लागू की गयी। अगर आपकी अनुमति से लागू नहीं की गयी तो ऐसा कह दें। गृह मंत्री जी का कहना श्रीमन् वाक् स्वातंत्र्य में तो आयेगा नहीं। श्रीमन् इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्रीमन् मैं अब भी कह रहा हूं कि आप वहां की प्रोसीडिंग्स देख लें। यह बात वाक् स्वातंत्र्य में आती ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--

श्री ऊदल जी ने जो तर्क पेश किया है उसके संबंध में यह भी हो सकता है कि वाक् स्वातंत्र्य में असत्य बात भी हो सकती है और ऐसी बात भी हो सकती है जिसमें आप मतभेद रखते हों। इसका निर्णय कौन करेगा ? यह ठीक है कि अध्यक्ष, विधान सभा ने धारा 144 लागू करने के कोई आदेश नहीं दिये, लेकिन प्रश्न यह है कि भारत के माननीय गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया वह लोक सभा में दिया और उसके लिये लोक सभा ही सक्षम है उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये। अगर उन पर सदन को गलत सूचना देने का आरोप है तो उसके लिये लोक सभा ही सक्षम है। मैंने तो केवल इतना कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के दोनों सदन सक्षम हैं। उनमें किसी के लिये कोई बात कही गई हो तो वह विशेषाधिकार प्राप्त है। इस लिये उसको इस सदन में नहीं उठाया जा सकता। माननीय सदस्य इस से सहमत होंगे कि अगर बंगाल, उड़ीसा अथवा अन्य सदनों में हमारे बारे में बात कही जाय, उठाई जाय तो इससे बड़ा भारी व्यवधान पैदा हो जायगा। इसी प्रकार से लोक सभा की कार्यवाही के बारे में है। मैंने अपने रूलिंग में इसके औचित्य के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने केवल यह कहा है कि माननीय ऊदल का जो विशेषाधिकार का प्रश्न है वह ग्राह्य नहीं है और इसका कारण यह है कि जो कुछ भी वक्तव्य माननीय गृह मंत्री ने दिया वह लोक सभा में दिया। लोक सभा ही उसका नोटिस ले सकती थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दे दी वह शिरोधार्य है। उसमें कोई बहस की बात नहीं है। लेकिन एक बात पर आप विचार कर लें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जिस तरह माननीय ऊदल ने भी ध्यान आकर्षित किया है, कि कुछ इस तरह की बात की जा रही है। आप अध्यक्ष ह, इस माननीय सदन के लेकिन जानबूझ कर यह कहा जा रहा है कि आप इस प्रदेश के प्रशासन मे दखल दे रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देना है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्पष्ट कर दिया, मैं यह जानता हूं और प्रदेश की जनता भी इतनी प्रबुद्ध है कि अध्यक्ष को कोई ऐसा अधिकार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया होगा वह इस प्रदेश की सरकार द्वारा दी गयी सामग्री के आधार पर ही दिया होगा। भारत सरकार के गृहमंत्री को इतना अनुभव है कि बिना यहां से जानकारी प्राप्त किये वह संसद में वक्तव्य देंगे मैं समझता हूं यह तथ्यों से परे होगा। तो म मुख्यमत्री जी से यह जानाना चाहता हू क्या उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्री को यह सूचना भेजी कि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति से दफा 144 लगाई गयी ?

श्री अध्यक्ष—

मै स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि न मुझे कोई अधिकार है और न मैंने दफा 144 लगाई और न मैंने व्यक्तिगत रूप से कोई परामर्श दिया। जब मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी तो माननीय मुख्यमंत्री से प्रश्न करने का कोई औचित्य ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 †

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्रीकराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुनः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुनः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 27 मार्च, 1978 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संदर्भ में जो संशोधन विरोधी दलों की ओर से भी और जनता पार्टी के माननीय विधायकों की ओर से भी प्रस्तुत हुए हैं, मैं उनका हार्दिक समर्थन करता हूं। श्रीमन्, इन संशोधनों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगें तो मालूम होगा कि यह दलगत राजनीति से परे हैं। ये संशोधन न तो कांग्रेस पार्टी के रहे, न कांग्रेस (आई) के रहे और न ही कम्युनिस्ट पार्टी के रहे बल्कि यह सब सदस्यों की आवाज बन कर रह गये। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसमें माननीय श्री झाम लाल अहेरवार माननीय श्री हरिकेवल प्रसाद, डाक्टर अश्वनी कुमार, माननीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक, माननीय श्रीराम आधार राय, माननीय श्री देव कुमार यादव, माननीय श्री मित्रसेन यादव आदि जो गणमान्य सदस्य है। उन्होंने भी जनमत का आदर करते हुए, सच्चाई का आदर करते हुए लगभग वही संशोधन प्रस्तुत किये हैं जो कि हमारी ओर से प्रस्तुत हुए हैं और वास्तव में यह सही बात है कि इस समय जो प्रदेश की स्थिति है उसको किसी एक पार्टी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए बल्कि जनता के हित में देखना चाहिए कि जो हमारी रीतियां और नीतियां हैं, जो हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है वह कहां तक सही दिशा में जा रहा है। यह सारे सदन की दलगत भावना का प्रश्न बन जाता है।

श्रीमन्, आज हमारे सम्मानित जय प्रकाश जी एक दुखी मानस लकर कदम कुवां पटना में विश्राम कर रहे हैं। वे आज कितने दुखी हैं, आज की स्थिति से, यह उनके वक्तव्यों से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने एक प्रश्न हम सबसे ओर विशेष रूप से जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यों से किया है। क्योंकि आज की स्थिति की सारी जिम्मेदार जनता पार्टी है जो कि शासन कर रही है उसके मंत्रियों और मंत्रि-मंडल से उन्होंने प्रश्न विशेष रूप से किया है। मंत्रियों और मंत्रि-मंडल के रीतियों और नीतयों को प्रचलित करना शासन की जिम्मेदारी हो जाती है इसलिये उन्होंने पीड़ा भरी भावना से उनसें पूछा है कि क्या हमनें जो सामाजिक और आर्थिक सुधार करने के वायदे किये थे उनको पूरा कर रहे है? यह उन्होंने पूछा है। आचार्य कृपलानी तो राजनीति से रिटायर कर गये। उन्होंने एक टिप्पणी में कहा कि "आल गवर्नमेंन्टस आर बैंड" सब सरकारें बुरी होती है। सम आर लेसर। एक महान नेता जिन्होंने—

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए)

प्रधान मन्त्री पद के लिये चयन किया था वह व्यक्ति आज निराश हो गया इसी तरह से आज हमारे प्रदेश की जो हालत है, जो वायदे इस सरकार ने पिछले साल किये थे, 9 महीने पहले शासन की ओर से जो कहा गया था उसकी मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं। पिछले साल राज्यपाल के अभिभाषण में वायदे किये गये थे कि नगर महापालिकाओं और स्थानीय निकायों तथा मण्डी समितियों के चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शासन ने चुनाव कराये? नहीं कराये यह लोकतांत्रिक उदाहरण आपके सामने है। दूसरी बात यह कही गयी थी कि प्रशासनिक सुधार आयोग, संस्थानम कमेटी तथा पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू किया जायगा। इन तीनों का नाम लिया गया था किन्तु क्या कोई सुधार सामने आया। इन तीनों कमेटियों का नाम लेकर वायदा किया गया था राज्यपाल के अभिभाषण में, किन्तु इस अभिभाषण में उनका जिक्र तक नहीं है।

---

†दिनांक 22 मार्च, 1978 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर कहा गया कि मुफ्त कानूनी सहायता की योजाना को बढ़ावा दिया जायगा। कानून में ऐसे संशोधन किये जायेंगे जिससे अधिक से अधिक मामले बिना न्यायालय में जाये निपटायें जा सकें। यह वायदा जो श्रीमन्, किया गया था कहां गया, इस अभिभाषण में उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया ?

फिर उल्लेख किया गया कि शिक्षा के बारे में कोठारी आयोग के सिफारिशों को यथा-संभव कार्यान्वित किया जायगा। इसमें कोठारी आयोग का नाम तक नहीं लिया गया है। इस बार राज्य के अभिभाषण में शिक्षा के बारे में कोठारी आयोग एक पहेली बना हुआ है। श्रीमन्, आपने जो हिन्दी लिखी है वह भी एक कमाल है। लिखा है, 'शिक्षा में गुणात्मक सुधार के कारकों का निर्धारण किया गया है। श्रीमन्, वह कौन से कारक है। पिछली बार निश्चित रूप से कहा गया था कि कोठारी कमीशन को लागू करेंगे। वह कहां गया, उस वायदे का क्या हुआ ?

श्रीमन्, छठा वायदा पिछले अभिभाषण में किया गया था कि 55 निगम हैं पूरे प्रदेश में इन निगमों को राजनीतिक उपहार का माध्यम नहीं बनने दिया जायेगा। यह बड़े दावे के साथ घोषणा की गई थी। अब क्या हुआ ? हम पर तो आरोप लगाते हैं। मैंने तो कहा था कि विधायक निगमों के अध्यक्ष बन सकते ह लेकिन आपने बड़े जोरों से कहा था कि हम राजनीतिक उपहार का माध्यम नहीं बनने देंगे। कितने अध्यक्ष आपने बनाये हैं जो राजनीतिक उपहार नहीं है। बिना सोचे समझे आपने कह दिया यह अनुभवहीनता का परिचायक है (व्यवधान) मैं तो अब भी समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो अब भी कहता हूं कि विधायकों को बनना चाहिये। लेकिन आपने कहा था कि राजनीतिक उपहार नहीं बनने देंगे। हमारे उद्योग मंत्री जी बम्बई से लौटे और प्रेस कांफ-रेंस में कहा कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन अब राजनीतिक उपहार वाली बात का क्या हुआ ? तो श्रीमन् या तो कहें कि पिछले अभिभाषण में जो वायदा किया गया था वह झूठा था और अब राजनीतिक उपहार दिया जा रहा है। श्रीमन् केवल यही नहीं जो कमेटियां बनी हैं डी0 जी0 सी0 (डिस्टिक्ट गवर्नमेंट कांउसिल) की उनका जो चुनाव हुआ और जो उसमें तमाम नियुक्तियां हुई हैं वह कितनी लोक तांत्रिक हैं ? क्या एम0 एल0 एज0 से पूछा गया ? क्या संसद सदस्यों से पूछा गया ? वह चयन क्या योग्यता के आधार पर हुआ है या उपहार दिया गया है? आज मुख्य मंत्री जी ऐसा लगता है कि बहुत से विभाग उनके पास हैं लेकिन शायद उनकी राय लिए बिना ही फाइलों में दस्तखत हो जाते हैं और इस प्रकार की समितियां बन गई हैं।

(श्री मानसिंह आजाद के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मानसिंह जी इस प्रकार आप हर समय मत बोला करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुख्य मंत्री जी को पता नहीं कि कौन-सी समिति बनी और कौन सदस्य बना। उनके पास इसकी शिकायतें भी आई होंगी। आज जो विभागों में हो रहा है उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। सिफारिशों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। यह कहते हैं कि 'रूल आफ ला' के मुताबिक हम चलने वाले हैं, हम योग्यता के आधार पर चलने वाले हैं। हमने जो कुछ किया उसकी आप निन्दा करते हैं और हम विरोधी दल के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

में पहली बार सुनने को मिलता है कि मंत्री लोग बहुत ज्यादा सिफारिश कर रहे हैं। मेरे पास भी एक चिट्ठी आई है। एक सरक्यूलर है सभी सदस्यों को गया है वर्ष 78 का यह पत्र है जो कि श्री ओम प्रकाश सिंह ने सब एम0 एल0 एज0 को भेजा है उसमें क्या लिखा है बंदियों को पैरोल स्वीकृत किये जाने के लिये मेरे पास अनवरत रूप से संस्तुतियां प्राप्त होती रहती हैं। इनमें से कतिपय संस्तुतियां बड़े धर्मसंकट में डाल देते हैं।" दूसरा पैरा और भी उल्लेखनीय है श्रीमन्। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि मेरे पास मंत्रियों तथा विधायकों की संस्तुतियां पैरोल बढ़ाने के लिये आती रहती है। अब मिनिस्टर्स सिफारिश कर रहे हैं। विधायक तो ठीक है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट में जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन अब मंत्री ऐसी सिफारिशें कर रहे हैं। क्या यह कैबिनेट में नहीं कहा जा सकता था, मुख्य मंत्री से नहीं कहा जा सकता था कि वह सभी मंत्रियों को इस संबंध में एक पत्र लिखते, लेकिन यह सरक्यूलर लेटर मंत्री जी सभी मंत्रियों को भेज रहे हैं। अब यह हालत पहुंच गई है। सिफारिशों से परेशान होकर आज का एक मंत्री सभी मंत्रियों के पास एक सरक्यूलर लेटर भेज रहा है कि "कैबिनेट के मंत्रियों सिफारिशें न भेजो, बहुत आ रही हैं।" मुख्य मंत्री जी ने इसे नहीं देखा है, तो वह चाहें तो देख लें। यह रूल आफ ला है यह कानून के हिसाब से हमारा प्रशासन चल रहा है। (व्यवधान)

(श्री मानसिंह आजाद के पुनः खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मानसिंह जी आप टोका-टोकी न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आगे देखिए मंत्रि-मंडल की हालत क्या है ? मंत्री रोज दौरे पर रहते हैं। जहां जाइये पत्रकारगण परेशान। प्रेस कांफ्रेंस इतनी होती हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं, उन पर कोई नियन्त्रण नहीं। कानपुर का 'जागरण', 'आज' और 'अमर उजाला' पढ़िए, सब में लिखा है कि यहां पर हर चौथे-पांचवें दिन कोई न कोई मंत्री आते ही रहते हैं, प्रेस कांफ्रेंस करते हैं और तरह-तरह के वायदे करते हैं और नीतियों की बात करते हैं और तरह-तरह के ऐलान करते हैं। एक मंत्री जी का एक वायदा हो गया है कि पहली अप्रैल, 79 से सेल्स टैक्स खत्म हो जाएगा। मुख्य मंत्री ने निर्णय नहीं लिया, कैबिनेट का निर्णय नहीं हुआ, लेकिन एक एक मंत्री का ऐलान हो गया। उस पर भी एक अखबार में लिखा है कि 1 अप्रैल, 78 से खत्म हो जाएगा, दूसरे में लिखा है 1 अप्रैल, 79 से खत्म हो जाएगा तथा एक अखबार में लिखा है कि तत्काल से खत्म हो जायगा। इसमें किसी ने सरकार की तरफ से यह भी नहीं कहा कि यह सही है। राज्यपाल के अभिभाषण में भी उस चीज का कोई जिक्र नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण बात पर कैबिनेट का कोई फैसला न हो और मंत्री कह दें, यह स्थिति कितनी हास्य-स्पद है, और मंत्री ने भी कहा है या नहीं, यह भी पता नहीं है। तो कोई नियन्त्रण करने वाला नहीं है।

एक सदस्य--

इसीलिए फर्स्ट अप्रैल से किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस इश्यू पर जब मुख्य मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि इस पर अभी केन्द्र से बातचीत चल रही है। तो यह जनता अप्रैल फूल बनने वाली नहीं है, आप खुद अप्रैल फूल बन सकते हैं। दूसरी बात, यों मंत्रियों के बारे में हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन

स्टेटमेंट आफ एसेट्स और लायब्लिटी का आपके यहां हर एक मंत्री को देना पड़ता है। ताज्जुब यह हुआ कि मुख्य मंत्री स्वयं और उनके कई नये सहयोगियों ने यानी मंत्रियों ने अपने देव-पावन एसेट्स एण्ड लायब्लिटी का ध्यान स्पीकर साहब के सामने समय से पेश नहीं किया। मुख्य मंत्री जी, सबसे पहले आपको यह स्टेटमेंट देना चाहिये था, यह क्यों नहीं किया। मैं जानता हूं कि आपका सीधा सादा जीवन रहा है। लेकिन सही तारीख पर मिसाल पेश करनी चाहिये थी, जो भी आपके एसेट्स हैं। इतने पर भी किसी ने कोई खेद प्रकाश भी नहीं किया कि अधिकांश मंत्रियों ने इस स्टेटमेंट को समय पर नहीं भेजा। यह स्थिति है आज। तो इस सिलसिले में क्या काम करेंगे।

ला एन्ड आर्डर की स्थिति है, उसे आप देखें। स्वायत्त शासन मंत्री हैं, उनके घर में बम फटा। उसका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया। क्या हुआ, कैसे विस्फोट हुआ? वह रहस्य आज तक बना हुआ है। आज कहते हैं कि अपराध तो अखबारों में ज्यादा छप रहे हैं। पेज 10 में कहा जाता है कि "इमरजेन्सी के दौरान जो अपराध घटित होते थे उनकी सही सूचना समाचार पत्रों में नहीं छप पाती थी। अब सभी सूचनायें स्वतन्त्र रूप से छप रही हैं। इसका प्रभाव यह पड़ा कि अपराध कुछ बढ़ते हुए नजर आये, जब कि वास्तविकता यह है कि अपराधों में कमी आयी है।" श्रीमन्, यानी अपराध वास्तव में कम हुए हैं, यह इस सरकार का दावा है। श्रीमन्, कोई इस बात को विश्वास करेगा कि अपराध कम हो गये हैं? मुख्य मंत्री जी ने अपने रेडियो ब्राडकास्ट में कहा और पुलिस अधिकारियों की बैठक में भाषण करते हुए कहा कि अपराध कम हुए हैं। अपराध बढ़ना पार्टी का सवाल नहीं है। माननीय विधायकों ने अपने जिलों से बयान दिए हैं।

भाषण में कहा जाता है, अखबारों का दोष है क्या। आज लोक सभा में राज्य गृह मंत्री श्री धानुक लाल मंडल ने 22 फरवरी को कहा है कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर जो क्राइम हो रहे हैं वह सबसे ज्यादा हैं अक्तूबर और दिसम्बर, 1977 में एक हजार 3 सौ 62 क्राइम हुए, हरिजनों के ऊपर। 3 महीनों के अन्दर यह केन्द्रीय गृह मंत्री की ओर जिसे लोक सभा में कहा गया गुजरात 157, राजस्थान 87, पंजाब 7, हिमान्चल प्रदेश 22, दिल्ली 2, बिहार 45, कर्नाटक 39, उड़ीसा 26 और पाण्डचेरी 11 अपराधों की स्थिति यह है।

माननीय मुख्य मंत्री जी दावा करते हैं कि अब सूचनायें थाने में लिखी जाती हैं। आपका कौन सा वह आदेश है, मैं नहीं जानता। कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ा। गजट में मैंने नहीं देखा। अपराध थानों पर नहीं लिखे जा रहे हैं। कोई आदेश शासन द्वारा नहीं गया है। पुराना आदेश हो तो मैं नहीं कह सकता हूं और यदि कोई गोपनीय आदेश गया हो तो मैं नहीं कह सकता। अपराध नहीं लिखे जाते हैं। क्या हत्यायें नहीं बढ़ी? प्रत्येक जिले में एक से एक घटनायें मौजूद हैं और उनकी सूचनायें मौजूद हैं। इस पर आज यह कहा जाता है कि हरिजनों पर हम ध्यान दे रहे हैं। अब आप देखें कि इस भाषण में कहा गया है कि गांव की ओर चलो। यह सरकार का निर्णय है, "गांवों की ओर चलो", "गांवों को न चलो"। (वाह वाह! (शोर) इनका जो नारा पहले पैरा में दिया, वह कितना थोथा है, "गांव की ओर चलो", गांव को न चलो। शहरों को छोड़ कर गांवों की ओर चलो, शहरों का तो ध्यान है ही, केवल गांव की ओर चलो। ये खेती की बड़ी बात करते हैं, कहा जाता है बहुत कुछ करने जा रहे हैं। पिछले साल एक वायदा किया था। गत वर्ष महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने कहा था कि "मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन किया जायगा।"

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिये एक भी बैठक गत 9 महीनों में हुई? आप गांवों में क्या जायेंगे? गांवों की ओर तो जायेंगे, आपकी कोई प्लानिंग है, कोई क्रोप प्लानिंग

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

की बात आपने सोची, कोई आपकी मीटिंग हुई ? हो सकता है कि कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिये डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर के स्तर पर हुयी हो मुझे नहीं मालूम, उच्च स्तर पर तो नहीं हुई है। पिछली बार और इस अभिभाषण में छठी योजना का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है और न ही 5वीं योजना का जिक्र है। वार्षिक योजना का जिक्र अवश्य है।

बजट भाषण के सम्बन्ध में बाद में बताऊंगा लेकिन चूंकि बजट भाषण भी आ चुका है, उसमें भी वार्षिक योजना का ही जिक्र है, न पांचवीं और न छठी योजना का कोई जिक्र है ? क्या शासन है ? क्या योजनायें बनायी गयी, क्या प्राथमिकता आप खेती में करेंगे ? आप 40 प्रतिशत काहे में खर्च करेंगे, कोई पता नहीं है। खर्चा करेंगे, गांव की ओर चलेंगे, गांवों में थोड़े ही जायेंगे।

पिछली बार बड़े जोर से ऐलान किया गया कि 24 घंटे बिजली दी जायगी, मैं देख रहा था और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय जब कि विद्युत् मंत्री ऐलान कर रहे थे हिचक रहे थे, झिझक रहे थे। जब सरकार 24 घंटे बिजली नहीं दे सकी तो वह ऐलान क्यों किया गया ? ऐसा लगता था। (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया शांति बनाये रखिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपकी बिजली का उत्पादन आधा हो गया है तो कैसे आप 24 घन्टे बिजली दे पायेंगे हर्दुआगंज के जैनेरेटर के बारे में आपने देखा क्या हुआ ?

(श्री विक्रमा राय के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

तिवारी जी आप अपना भाषण जारी रखें। राय जी आप कृपया बैठें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जहां तक बिजली का सम्बन्ध है.....

श्री अधिठाता—

आप अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करें। विरोध पक्ष के सारे नेताओं को 25 मिनट का समय दिया गया है। आपको 30 मिनट का समय दिया जा रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, पहले भी यह परम्परा रही है कि विरोधी दलों के नेताओं को अधिक समय दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

दूसरों को तो 25 मिनट लेकिन आपको तो 30 मिनट का समय दिया जा रहा है।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि तिवारी जी चूंकि मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता नहीं हैं इसलिए विरोधी दल के नेता के रूप में जो टाइम की लिमिट से बाहर समय चाहते हैं वह उनको प्राप्त नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं। यह हमारे विवेक की बात है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं देखता हूं कि आप यह चाहते हैं कि विरोधी दल रहे ही नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

3–4 मिनट आपने वैसे ही खराब कर दिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इतना विशाल बहुमत मुश्किल से मिलता है इतिहास में। न जाने कितने कदम उठा सकते थे। मुख्य मंत्री जी को सदस्यगण समझाएं....

(श्री मानसिंह आजाद के पुनः खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मानसिंह जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं। आप इस तरह से न बोलें। मुझे यह तरीका बिलकुल पसन्द नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

32 गोली कांड इस शासन में हो चुके हैं। 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्वदेशी काटन मिल में जो कांड हुआ, नागरिक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 55 लोग लापता हैं, जिनका पता ही नहीं है कि क्या हुआ। अगर वास्तव में मुख्य मंत्री डा0 लोहिया को नेता मानते हैं तो पहले ही गोली कांड में अपने पद से इस्तीफा दे देते। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपके अन्दर सहिष्णुता नहीं है। आप भी अपना कड़ा जवाब दे सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

32 गोली कांड और 200 मौतें और जुडीशियल इंक्वायरी एक में भी शुरू नहीं हुई। ऐलान तो हुए। लखनऊ का, कानपुर का, बनारस का लेकिन एक का काम शुरू नहीं हुआ। कम से कम अखबारों में तो नहीं आया कि कब तक शुरू हो रही है। लाठी चार्ज तो गिनती के बाहर हैं। कोई बड़ा शहर नहीं बचा जहां लाठी चार्ज न हो रहा हो। वह तो मामूली बात हो गयी है। यह इनकी डेमाक्रैटिक लाठी हो गयी है और लोकतंत्र का स्वरूप ही बदल गया है इनका। हमने गलतियां की, सजा भुगतली। आप क्या मिसाल पेश करते हैं अब? यह जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है यू0 पी0का जिसके अन्तर्गत इलेक्शन लड़कर आये। हमें गिरफ्तार किया जाता है, हम बाहर जा रहे हैं काउन्सिल हाउस से जुलूस में शामिल होने के लिये ..

एक सदस्य—

झूठ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इतना समय जोड़ लीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

हम नहीं जोड़ेंगे, आप अपना समय बरबाद कर रहे हैं। आप हमारी तरफ देख कर बोलिये। माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनता पार्टी के विधान के संबंध में.....मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं, "जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास करती है जिसमें आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण निश्चित रूप से हो"। फिर "वह शान्तिमय तथा लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मानती है जिसमें सत्याग्रह और अहिंसक विरोध शामिल है।"यह जनता पार्टी के विधान में है। आज उसकी अवहेलना करके सरकार ने जुलूस में हमें शामिल होने से रोका और मनमानी दफाएं लगायीं।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट हैं। आप समाप्त करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह शासन जो बैठा है इसने अपनी पार्टी के विधान का उल्लंघन किया है कि शांतिमय सत्याग्रह के अधिकार की बात जो कही गयी है उसके विरुद्ध 107 में बन्द करना, 157में बन्द करना आपने दफा 44 तोड़ने को मान रखा है। हमने गलती की थी मगर आपको तो उसका निराकरण करना चाहिए था। तो आज विधान को न मानने वालों का शासन चल रहा है। न इसकी कोई योजना है, न दिशा है। मुख्य मंत्री भले ही इधर से उधर खींचातानी करते रहते हैं, तब इनसे मजबूरन आर्डर कराये। इनसे जवाब तलब होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। आज मुख्य मंत्री भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के लायक नहीं रह गया।

एक सदस्य—

आप थे ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मेरा समय तो हो गया किन्तु इस सरकार का भी समय समाप्त हो गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे शासन की बागडोर खुद सम्भालें। स्वयं देखें कि क्या हो रहा है। विधान के अनुसार ही काम करें। यहां निरुउद्देश्य भाषण से काम न चलेगा। सदन की जो आवाज है उसको मानें। समय रहते चेतें। यही मुझे कहना था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बिना मेरी आज्ञा के कृपया न बोलें। माननीय आरिफ साहब, आपको 10 मिनट का समय मिलेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दो महत्वपूर्ण बातें कहीं गयी हैं। पहली बात तो यह कही गयी है कि गांव की ओर चलें। गांवों की ओर चलने का सूत्र दिया है। अगर गांवों की ओर चलने के सूत्र का मतलब गांव के विकास और गांवों की प्रगति से है तो मैं समझता हूं कि यह तभी सम्भव है जब कि उसके लिये एक योजनाबद्ध औद्योगिक कार्यक्रम आप तैयार करें सरकार को उसके लिये एक योजनाबद्ध कार्यक्रम देना पड़ेगा। जब तक मनुष्यों का बोझ जो आज खेती पर है उसको कम नहीं किया जायेगा तब तक गांवों की प्रगति सही मानों में नहीं

होगी। बिना उसके वह मुमकिन भी नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारे देहात सदियों से ही जाति पांति की जंजीरों से जकड़े हुये हैं। इस कुरीति को भी दूर करना होगा। आज गांवों में लगी पूंजी का लाभ 15 प्रतिशत लोग जो साधन सम्पन्न हैं, वे ही केवल उठा पा रहे हैं। और शेष ग्राम जनता को उसका कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप योजनाबद्ध कार्यक्रम के जरिये और खासतौर से औद्योगिक क्षेत्र में, रोजगार के अवसर पैदा करके गांवों की प्रगति और उसके विकास को आगे बढ़ाइये।

मान्यवर, धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय एक बात कही गयी जो मुझे खास तौर से महसूस हो रही है। यहां यह कहा गया और कुछ इस तरह का आभास दिया गया कि जैसे भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियां ही गांवों के विकास में बाधक रही हों। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी नीतियां क्या हैं, हमारा कार्यक्रम क्या है, हमारी योजना क्या है, उसे हम किस तरह लागू करना चाहते हैं उसी तक हमें अपने को सीमित रखना चाहिये था। पुरानी बातों में हमें नहीं जाना चाहिये था। आखिर अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने भी पंडित नेहरू की प्लानिंग की तारीफ की है। वे खुद इसकी सराहना कर चुके हैं। खुद जनता पार्टी की ही तरफ से एक एकोनामिक सर्वे तैयार करवाया गया था उसमें सेकिन्ड फाइव इयर प्लान को खासतौर से ध्यान में रखा गया था, जिस प्रकार से उसमें धन लगाया गया था गांव के विकास के कार्यों के लिये उसका अध्ययन किया गया था, और उसमें उस सब की तारीफ की गयी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आज इससे कोई फायदा नहीं है कि हम गड़े हुये मुर्दे उखाड़ें। पंडित नेहरू का नाम देश की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक देश की आजादी का नाम लिया जायेगा, उसके साथ गांधी जी और नेहरू जी का नाम भी जुड़ा रहेगा।

दूसरी बात लोक तंत्र की पुनः स्थापना की कही गयी है। यह कहा गया कि इस सरकार ने विधान सभा की कार्यवाहियों को संरक्षण प्रदान किया है, उसके लिये वह बधाई की पात्र हैं। आपात्कालीन स्थिति में प्रश्नों का समय ही समाप्त कर दिया गया था। वह वापस दिलाया गया। संरक्षण तो आपने वापस दिलाया, पर जब 5 महीने तक विधान सभा की कार्यवाही हुई ही नहीं तो अखबार वाले छापेंगे क्या? यह संरक्षण किस चीज का है। लेकिन मान्यवर, चूंकि सरकार का दावा है कि हम गांव की ओर जा रहे हैं, सरकार का दावा है। कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना की है, इसलिये इन तमाम बातों के बावजूद भी मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, सरकारी कर्मचारी, औद्योगिक मजदूरों को अलग किया गया था आपातकालीन स्थिति में, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह दावा किया गया है कि उन सबको वापस ले लिया गया है, मान्यवर, मेरे पास लेखपाल संघ के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र पाल का बयान है, इसमें उन्होंने बताया कि कानपुर में लेखपाल संघ का अधिवेशन हो रहा है। मैं सिर्फ एक वर्ग की बात कह रहा हूं, 400 लेखपालों को फेमिली प्लानिंग के समय सेवाओं से निकाल किया गया था, उन्हें आज तक वापस नहीं लिया गया है। दूसरे विभागों में कितने लोग हैं, मैं नहीं जानता। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसकी सही जांच करा लें। लेकिन चूंकि सरकार का दावा है कि हम गांव की ओर जा रहे हैं और लोकतंत्र की पुनः स्थापना का सवाल है, इसलिये मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

मान्यवर, बहुत सी बातें इस सदन के अन्दर कही गयी हैं, माननीय मुख्य मंत्री का दावा है कि पिछले 9 महीने में कानून और व्यवस्था में सुधार आया है और विपक्षी दल का कहना है कि कानून और व्यवस्था में गिरावट आई है। मान्यवर, पिछले दो-तीन दिन के अन्दर कानपुर में एक लेडी डाक्टर को अगवा कर लिया गया। मान्यवर, मेरे एक दोस्त जो पिकनिक

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

में गये हुए थे, उसे फारेस्ट के दो गार्डों ने, सुबह के अंधेरे में, उसके फार्म पर मार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री का दावा है कि कानून और व्यवस्था में सुधार है। कानून व्यवस्था का दावा मैं मान लूं लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं मानते। इन्टरटेनमेंट टैक्स कमिश्नर की रपट अखबारों में छपी है। पिछले 9 महीने में, प्रदेश में, मनोरंजन कर की आय में कमी आई है, इसलिये कि आखिरी शो देखने के लिये लोग नहीं जात ह, उनम असुरक्षा का भय पदा हो गया है। यह जो रिपोर्ट छपी है, वह मेरे पास है। मनोरंजन कर अधिकारी ने कहा है कि असुरक्षा का भय है और राजधानी तक में पहले हफ्ते के बाद हाउस फुल नहीं होता। लेकिन चूंकि सरकार का दावा है कि हम गांव की ओर जा रहे हैं और लोकतंत्र की पुनःस्थापना का सवाल है इसलिये मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, यह प्रदेश उर्दू का गहवारा है, लेकिन लगता है कि चूंकि इस सरकार की दिशा दर्शक की नीति है यह जबान चूंकि तुर्क और मंगोलों की है, इसलिये सरकार ने यह तय कर लिया है कि इस जबान को खत्म करके रहेंगे। पर्यटन विभाग ने लखनऊ में फेस्टिवेल मनाया, उसमें उर्दू का एक भी बैनर नहीं था, सात दिन के बाद एक बैनर इन्फारमेशन डिपार्टमेंट से लगाया गया। लेकिन चूंकि सरकार का दावा है कि हम गांव की ओर जा रहे हैं और लोकतंत्र की पुनःस्थापना का सवाल है, इसलिये मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इस प्रदेश में मान्यवर,लखनऊ, कानपुर, पूरनपुर, बरेली, वाराणसी आदि स्थानों पर दंगे हुए, बरेली में डाक्टर अम्बेदकर का फोटू पुलिस वालों ने छीनकर फेंक दिया, आज चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन इन्क्वायरी कमीशन के आदमी का पता नहीं है। दूसरे सदन में ऐलान हुआ, कि जस्टिस सिंह नहीं मिल रहे हैं इसलिये दूसरे आदमी को अब नियुक्त किया जायगा। मान्यवर, लेकिन चूंकि सरकार का दावा है कि हम गांवों की ओर जा रहे हैं, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है।

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी जरूर समय मिलेगा।

सभी माननीय सदस्यों की सूची मेरे पास है। माननीय सदस्यों की बारी आने पर उनको बुलवाया जायेगा।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में माननीय कौशिक जी द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मुझे निवेदन करना है। मान्यवर, यह बात किसी से छिपी नहीं है, सभी यह बात जानते हैं कि 30 साल की कांग्रेसी सरकार ने, जो आज विरोधी दल में बैठकर लोग बातें करते हैं, 86 प्रतिशत जनता जो गांव में रहती है, क्या उसको इन 30 वर्षों में भरपेट भोजन मिला, पहनने के लिये कपड़ा मिला और क्या रहने के लिये मकान मिला? उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिये कोई व्यवस्था हुई? उनके बच्चों के लिये दवाओं की कोई व्यवस्था हुई? हर आदमी यह जानता है कि कोई व्यवस्था नहीं हुई। मान्यवर, सभी जानते हैं, चाहे अमीर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हों चाहे गरीब हों कि हम सबको 5 चीजों की आवश्यकता होती है। भरपेट भोजन, पहनने के लिये कपड़ा मिले, रहने के लिये मकान हो, बीमार पड़े तो दवा का इंतजाम हो और बच्चों के लिये पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो। लेकिन शर्म आनी चाहिये इस 30 सालों की कांग्रेसी सरकार को कि 86 प्रतिशत जनता के लिये जो गांवों में रहती है यह भी सब जानते हैं कि इन पांच चीजों को पूरा करने के लिये आमदनी की जरूरत होती है, लेकिन हायरी 30 सालों की कांग्रेसी सरकार, जो 86 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है उसको आमदनी का कोई जरिया नहीं बढ़ा।

मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार का 86 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है, ध्यान उस तरफ गया है। चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई पेट पालने के लिये परदेश में हो, सरकार का ध्यान इन लोगों की तरफ गया है। जनता पार्टी का ध्यान देहात की तरफ गया है। हम आपकी करतूतों को बता देना चाहते हैं। हमारी पार्टी, जनता पार्टी की सरकार महात्मा गांधी और डाक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों के तहत अपने प्रोग्राम चला रही है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। देखिये, जनता पार्टी की सरकार, ने कृषि को बढ़ान के लिये ज्यादातर पैसा कृषि पर खर्च करने का प्रोग्राम बनाया है। इससे गांवों की तरक्की होगी और कृषि बढ़ेगी। यही नहीं जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेसी सरकार द्वारा बढ़ाये गये लगान को समाप्त किया है, विकास कर को समाप्त किया है। खाद के दाम घटाये हैं और बिजली के रेट को घटाया है और इमरजेंसी को समाप्त किया है।

आप लोगों ने पूरे प्रदेश में जो अत्याचार किये थे जनता पार्टी की सरकार उन चीजों का अध्ययन कर रही है, सोच रही हैं। इमरजेंसी के जमाने में राजनैतिक कारणों से कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था उनको भी जनता पार्टी की सरकार ने वापस लिया है। और जो उनका वेतन बाकी था उसको भी दिया है। यही नहीं जो कांग्रेसी सरकार ने छात्र नियमों पर प्रतिबंध लगाया था, उसको भी, जनता पार्टी की सरकार ने उस प्रतिबन्ध को समाप्त किया है। यही नहीं संविधान में जो बयालीसवां संशोधन करके कांग्रेसी सरकार ने जो नाजायज काम किया था उसके लिये जनता पार्टी ने चवालीसवां संशोधन इसी सत्र में पारित करेगी। यही नहीं जनता सरकार ने पिछड़ी जातियों को जो संरक्षण नौकरियों में दिया है उसके लिये इन लोगों को मालूम होना चाहिये कि डा0 लोहिया कहते थे कि हरिजनों को 30 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिये। यह किसी से छिपी बात नहीं है जिसको जनता सरकार ने मान लिया है।

हरिजनों को जो आवंटित भूमि थी जिस पर पिछली सरकार ने कब्जा नहीं दिलाया था लेकिन यह सरकार एक-एक इंच पर कब्जा उनको दिलायेगी और दिलवाया है। जनता पार्टी की सरकार न इस तरह के नियम बनाये है कि यदि हरिजनों के साथ अत्याचार किये जायेंगे, उनको आवंटित भूमि पर कब्जा जो नहीं देंगे उनके विरुद्ध मुकदमें चलाये जायेंगे और उनको सजा दी जायेगी।

मान्यवर, कृषि उत्पादन के लिये जनता सरकार ने खाद पर 20 फीसदी का अनुदान छोड़ा है जबकि कांग्रेसी सरकार के समय में खाद और बिजली मिलना मुश्किल था। जनता सरकार ने कमान्ड एरिया की बात और विकास कर को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि गरीब जनता आगे बढ़े छोटे उद्योग धंधे बढ़ें, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़े और कृषि का उत्पादन बढ़े जिससे गरीबी कम हो। लेकिन 30 साल की कांग्रेसी सरकार में पूंजीपति बढ़े थे। उसके मंत्रियों ने बड़े-बड़े फार्म खोले थे लेकिन अब वह फार्म नहीं रहने पावेंगे क्योंकि यह सरकार मंगल देव विशारद कमेटी की संस्तुतियों को लागू करेगी। इसी के साथ मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

श्रीमन्, मैं पिछड़े वर्ग के संरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं। आजकल समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हो रहा है उसकी चर्चा करना चाहता हूं जिसके ऊपर देश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विवाद चलना प्रारम्भ हो गया है। संरक्षण के बारे में बात यह है कि जैसे पिछड़े वर्ग का संरक्षण होना चाहिये या नहीं ? जनता पार्टी के चुनाव मैनिफस्टो में अवश्य दिया हुआ है कि आरक्षण होना चाहिये लेकिन देश के एक बड़े नेता के हाल में दिये गये बयान के अनुसार अभी यह तय होना है कि उसका आधार क्या होगा, चाहे शैक्षिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो ? मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग इस बात के लिये सक्षम है कि नहीं और हम कोई निर्णय दे सकते है या नहीं ।

इससे पूर्व हमको संविधान देखना पड़ेगा, अदालतों के निर्णयों को देखना पड़ेगा, साथ-साथ जो दलों की नीतियां है उनको भी देखना पड़ेगा। क्या हम अपने मौखिक बयानों से संविधान को टोकरी में फेंक सकते हैं, क्या अपने निर्णयों और नीतियों को टोकरी में फेंक सकते हैं। संविधान में दिया हुआ है कि बैकवर्डनेस का मापदंड सामाजिक व शैक्षिक होगा। इसके विपरीत हम कैसे कह सकते ह ? संविधान की धाराओं में जो शब्द हैं वह सामाजिक और शैक्षिक है। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आपको यह भी देखना होगा कि संविधान परिषद् में हमारे नेताओं ने इस सम्बन्ध में कुछ चर्चाएं की थीं और उनको देखते हुए हम कहां तक उनके पीछे जा सकते हैं और हम उसके लिये सक्षम है या नहीं। ठाकुर दास भार्गव ने 16 जून, 1949 को जब वह संविधान पर बोल रहे थे कहा था:

> Article 301 is one of the most important articles of the Constitution. I would call it the soul of the Constitution. It is really a charter of the liberties of the backward classes, through this only our past sins can be expiated.

यह धारा 301 आजकल की धारा 340 है। इसमें कहा गया था कि यह एक महत्वपूर्ण धारा है जिसको मैं संविधान की आत्मा कहूंगा। यह वास्तव में बैकवर्ड क्लासेज की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का एक अभिलेख है और इसके द्वारा ही हमारे जो पुराने पाप है उनको धोया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डा0 अम्बेदकर, जो हमारे देश के ही नहीं विदेशों के भी विद्वान नेता थे, ने कहा था :

> There shall be reservation which have not so far had a proper look into the administration which has been controlled by one community or a few communities, that situation must disappear.

उन्होंने कहा था कि अभी तक देश का शासन दो एक जातियों के हाथ में रहा है। इसको दूर करना पड़ेगा और इसको दूर करना बहुत ही अनिवार्य है। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि संरक्षण किस आधार पर होना चाहिये। एक सुप्रीम कोर्ट का कस है आन्ध्र प्रदेश राज्य और कुछ अन्य बनाम यू0 एस0 वी0 बलराम आदि। इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत मामले में आरक्षण (25 प्रतिशत) किया गया है। यह आरक्षण पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात पर आधारित है, अतः यह उचित है। प्रत्येक मामला उसकी परिस्थितियों के अनुसार विनिश्चित किया जाना चाहिये। यदि तथ्यतः संपूर्ण जाति ही सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई पाई जाए तो ऐसी जाति को उसके नाम से ही पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित किया जा

सकता है और ऐसा करने से अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण नहीं होता, क्योंकि स्वयंजाति भी नागरिकों का एक वर्ग है। दूसरा प्रश्न आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि जाति के आधार पर नहीं होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का केस ला है ए पेरियकनूपन बर्सस स्टैट आफ तालिमनाडु जिसमें उन्होंने कहा है :

> Classification of backward classes on the basis of castes is within purview of Articles 15(4), if those castes are shown to be socially and educationally backward.

इस तरह पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण जाति के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा केस ला 1968 का राजेन्द्र का है ए0 आई0 आर0 में। इसमें भी यही कहा गया है। मैं इस सम्बन्ध में आपके समक्ष यह भी कह देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने 12 जून, 1947 को जब अपनी प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान दो या तीन महीनों बाद स्वतंत्र होने जा रहा है। कहीं ऐसा न हो जाए कि जो मि0 जिन्ना साहब के शब्द हुआ करते थे "यह भारत वर्ष कुछ ही दो-तीन जातियों का देश है और दूसरी जातियां जिनकी संख्या 80 प्रतिशत है, को वे जंगली बनायेंगे और उन्हें छोड़कर राज करेंगे। उन्होंने, मान्यवर, कहा था कि—

"ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—सभी मिलाकर हमारे यहां थोड़े हैं। बहुत बड़ी तादाद तो शूद्रों, और अछूतों तथा आरण्यकों की हैं। उनकी तादाद पर क्या थोड़े से सवर्ण राज्य करेंगे, ठीक है कि आज उनकी चलती है, पर अछूत आरण्यक आदि को अलग करके सवर्ण लोग राज्य करेंगे तो जिन्ना साहब की बात ठीक ही साबित होगी कि थोड़े से उच्च हिन्दू बाकी सबको कुचल कर रखना चाहते हैं।"

तो ये शब्द उनके थे। मैं इस संबंध में, मान्यवर, कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो 15 प्रतिशत पिछड़े वर्गों को संरक्षण दिया है, वह कुछ हद तक ठीक है। वह 50 प्रतिशत हो सकता है। केस ला में जो कहा गया है, वह अंतिम ला नहीं है। पिछड़े वर्ग की परिस्थितियों को देखते हुये वह 50 से अधिक हो सकता है। हमारी सरकार ने संरक्षण किया, लेकिन केवल 15 प्रतिशत किया। अछूत और बैकवर्ड क्लासेस की जनसंख्या हमारे प्रदेश में 60 प्रतिशत हैं। इन 60 प्रतिशत वालों का गजटेड पोस्टों में 1 प्रतिशत हैं जबकि 20 प्रतिशत वालों का उसमें परसेंटेज 88 है। तो इस सबको देखते हुये जो केस ला में कहा जाता है, वह सरकार की तरफ से अंतिम नहीं होना चाहिये। वह अधिक होना चाहिये, जैसाकि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। आपने 15 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेस के लिये किया और 15 प्रतिशत पोलिटकल सफरर, सैनिकों और डिसेबिल्ड का किया। हम लोगों को उसमें सेंटीमेंट के आधार पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 15 प्रतिशत इन लोगों के लिये (पोलीटिकल सफरर आदि के लिये) किया है, उसको जनरल कोटा से करना पड़ेगा। इस तरह से यह 15 प्रतिशत भी बैकवर्ड क्लासेस को देना चाहिये। तब उनका जाकर 30 प्रतिशत होगा, जोकि अवश्य होना चाहिये। इन लोगों का आरक्षण (पोलिटिकल सफरर आदि का) जनरल कोटे में करें ताकि बैकवार्ड क्लासेज का 30 प्रतिशत हो सके मान्यवर, इसी तरह शिड्यूल कास्ट का 20 प्रतिशत है। तो बैकवर्ड क्लासेस का 15 प्लस 15 (जो कि अभी पोलिटिकल सफरर्स को दिया है और जिसको कि जनरल कोटे में देना है) मिलाकर कम से कम 30 प्रतिशत बकवर्ड क्लासेस का होना चाहिये। मान्यवर, यह पापुलेशन के आधार पर होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस मामले में दुबारा निश्चय होता कि आधार आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक होना चाहिये उसके लिए हम सक्षम नहीं हैं। हम अपनी नीतिओं को ताख पर नहीं डाल सकते हैं। संविधान के निर्देश व अदालत के जो निर्णय है, उनके सामने सर हम सबको झुकाना पड़ेगा।

श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में जो मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकाशन के समय जो मुझे बोलने का समय दिया, तो मैं अपनी बात, मान्यवर, आपके सामने दो मिनट में कह देना चाहता हूं। इसके पहले हम सभी भाइयों ने धन्यवाद प्रकाशित किया था और बजट पास हो गया था और उसके बाद असेम्बली बन्द हुई और फिर कितने दिनों बाद खुली? जब सब आपका बजट समाप्त हो गया—तब उसे खोलना पड़ा। इसमें तो वही पुरानी कहावत चरितार्थ होती है कि सारे समय कुम्भकरन सोवें और एक दिन जागें। तो इस तरह से असेम्बली और पार्लियामेन्ट चलायेंगे तो देश और प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जायगा और कुछ नहीं। उसमें तो न हम जिले की समस्यायें रख सकते हैं और न प्रदेश की समस्यायें रख सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस तरह से जो सरकार के चलाने का तरीका है, वह बन्द होना चाहिये। मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन देने में रस्मी तौर पर असमर्थ पा रहा हूं क्योंकि जो भाषण हमने पढ़ा है, अच्छी तरह समझा है वह सब अधूरा है। वह एक रस्मी है। राज्यपाल के भाषण में या हमारे प्रदेश की इतनी बड़ी बहुमत वाली सरकार की कार्यप्रणाली इन 6–7 महीनों में क्या रही है। सरकार के सदस्य और जिस पार्टी के भी प्रतिनिधि हों वे ईमानदारी से सोचें कि क्या हमारे प्रदेश ने इन 6–7 महीनों में प्रगति की है। क्या हमारे प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को या शिक्षकों को या जो भी वर्ग के लोग हैं, उन को संतोष हुआ है सरकार की नीतियों से? आप दिल पर हाथ रख कर सोचिये यह किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ उनके जो संचालन कर रहे हैं। यदि संचालन करने वाले व्यक्ति अर्थात् स्टैरिंग लेकर चलने वाले ड्राइवर अनुभवशील नहीं है तो उसकी कार्यकुशलता ठीक तरह नहीं चल सकती।

मुझे खेद है कि हमारे प्रदेश की जनता को इतनी बड़ी बहुमत वाली सरकार पर जिसे जनता ने बहुमत दिया, जिस पर भरोसा रखा, आशा रखी आज उस पर आशा नहीं है, संतोष नहीं है। जनता को विलोम निर्णय मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिये बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए इमारत नहीं है। छत तक नहीं है। शिक्षा को कागजातों पर, या प्रस्तावों पर नहीं होना चाहिये। उस में आप आमूल परिवर्तन करें। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बड़ा आन्दोलन करा दिया। उसी तरीके से खेती की बात ले लीजिये। कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि 30 साल, 28 साल की कांग्रेस सरकार में चाहे कुछ खामियां थीं लेकिन उस के समय में काम हुआ था। इसमें दो राय नहीं है। आप थोड़े दिनों के अन्दर देखिये आप को सब अनुभव होगा।

प्रदेश की जनता कहेगी कि पहले की सरकार अच्छी थी हालांकि उस में खामियां थी। आप तो टोटली फेल हो रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी पिछले राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हम ने अपने क्षेत्र की बात कही यहां अधिकारियों ने सीट पर आकर नोट किया था लेकिन उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ है। तहसील मड़ियाहूं में विधान सभा क्षेत्र बरसढ़ी के अन्तर्गत रामपुर से सुरेरी गांधी घाट वाया कठवतिया सड़क जो अति आवश्यक है उस पर अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ।

मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी से और अन्य मंत्रियों से कि जो प्रदर्शनकारी हैं वे क्यों परेशान है, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है दो टूक उत्तर उन को क्यों नहीं दिया जा रहा है? चाहे शिक्षक हों, होम्योपैथिक वाले हों, मजदूर हों जो आमरण अनशन कर रहे हों, प्रदर्शन कर रहे हों उन को दो टूक जवाब क्यों नहीं दिया जाता कि एक साल के बाद, 6 महीने के बाद आपकी मांगों पर विचार किया जायगा। उन को परेशान क्यों किया जा रहा है? हमारा देश अब जागरूक है। आप झूठे आश्वासन नहीं दे सकते। आप ने जो प्रदर्शनकारी हैं उनको अधिकार दिया है कि आप अपने सुझाव रखें, मांग रखें और यह आप का कर्तव्य है कि आप उन की मांगों पर, सुझावों पर विचार करें।

मैं नहीं चाहता कि आपकी सरकार फेल हो जिस को इतना बड़ा बहुमत मिला हुआ है लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमने पांच साल का जो समय दे रखा है, प्रदेश की जनता ने जो पांच साल का समय दे रखा है वह नष्ट हो रहा है उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है। भाषणों से प्रगति नहीं होती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रगति नहीं होती है। आम जनता के पास सी0 आई0डी0 सरकारी तौर पर जाकर जांच करे कि क्या जनता को कुछ संतोष मिल रहा है। आपने निगेटिव आंसर पायेंगे, पाजिटिव नहीं पायेंगे कि प्रदेश में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आप प्रदेश को ऐसे रास्ते पर न ले जायं ताकि मुल्क को कोई न चला सके। इस प्रदेश व देश की वह गति हो रही है जिससे मुल्क कोई नहीं चला सकेगा। आज हालत यह हैकि जनजीवन सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है। क्या इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है जो देश में कांड हो रहे हैं ? आप को क्या सुनाई नहीं दे रहा है? आप अविलम्ब 15 दिन के अन्दर ऐसी योजना बनायें कि देश में जो अराजकता व्याप्त है उसका दमन किया जाय।

आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखें तो पायेंगे कि आप स्वयं संतुष्ट स्थिति से नहीं होंगे। देश व प्रदेश में जो माहौल पैदा हो गया है उसका समाधान करना होगा। केवल संजय गांधी इन्दिरा गांधी का नाम लेकर आप देश के शासन को नहीं चला सकते। किसी की केवल आलोचना करके, किसी के पीछे पड़ कर आप सरकार नहीं चला सकते। (व्यवधान) आप जितना ही उनके खिलाफ रेडियो पर प्रचार करते हैं उतना ही खराब उसका नतीजा आपके खिलाफ निकल रहा है। दक्षिण में उसका फल आपको मिला। मेरा सुझाव यही है कि आप निष्ठापूर्वक न्यूटरल होकर प्रदेश व देश का शासन चलायें। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री हरी सिंह—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जब इधर और उधर के भाषण सुनता हूं तो तीस वर्ष से कम की बात नहीं सुनता। लेकिन वास्तव में 10 वर्ष की कांग्रेस की बात कही जानी चाहिये। ये सब तो उधर के ही बैठने वाले थे जो रोज कांग्रेस को गाली देते हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में किसान व मजदूरों को लड़ाकर अनुचित लाभ उठाया और सत्तारूढ़ बनी रही। कांग्रेस ने न तो गरीबों को जमीन दी जब कि सरकारी जमीन हर जिले में लाखों लाख एकड़ पड़ी हुई है। मेरा तो यही अनुरोध है कि 10 वर्ष में इन्दिरा की सरकार ने जो काम नहीं किया उसे यह जनता पार्टी की सरकार तो पूरा करे वर्ना इसका भी वही हाल होगा जो इन्दिरा सरकार का हुआ, अगर इसने अपने वचन को पूरा नहीं किया तो। अभी तक कांग्रेस ने हरिजनों के नाम पर अनुचित लाभ ही उठाया और श्री नारायणदत्त जी तिवारी हरिजनों का नाम लेकर रोज लेक्चर झाड़ते थे। उन्होंने किसान व मजदूरों के बीच लड़ाई पैदा कर दी और हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं किया। आज वे उनके लिये बहुत दुखी हैं। कांग्रेस सरकार ने उनका दमन किया और अपने वचन की पूर्ति नहीं की। आज उनमें से कुछ इधर भी बैठे हैं और ऐसे लोग रोज रंग बदलते हैं। यह रंग बदलने से काम नहीं चलेगा। हमारे सामने प्रश्न यह है कि प्रदेश का कल्याण हो।

28 वर्षों के बाद आज इस प्रदेश को ऐसे वर्ग का मुख्य मंत्री मिला है जिसकी बहुत चाह थी। जिसने महाभारत की रचना की थी उस वर्ग का आज यहां मुख्य मंत्री है। उससे मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रदेश में जो सरकारी जमीनें हैं सबसे पहले उनको खेतिहर मजदूरों को बांटा जाय। अगर नहीं बाटा गया तो जनता पार्टी की भी वही स्थिति होगी जो कांग्रेस की हुई। हरिजनों में 18 फीसदी रिजर्वेशन की बात भी बहुत कही जाती है लेकिन आज तक 5 फीसदी भी हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं हो सका है। अगर वाकई में जनता पार्टी है तो उसे एक साल के अन्दर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह]

रिजर्वेशन पूरा कर देना चाहिये नहीं तो जैसे कांग्रेस की स्थिति हुई वैसे ही इसकी भी हो जायगी। मैं तारीफ करने वाले लोगों में से नहीं हूं। इन्दिरा बहन ने स्वतंत्रता के सेनानियों को पेंशन दी जिसे जवाहर लाल न दे सके। आपात्काल में सारे देवता लोग कारागार में बन्द किये गये। उस समय इन देवताओं को जो नुकसान हुआ उसके बारे में मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम वे उनके दुखों को तो देखें कि वे आज कितने दुखी हैं। उनके दुखों को दूर करें तभी हमारी प्रशंसा होगी। हरिजनों का रिजवशन पूरा हो। यदि यह पूरा नहीं किया तो जनता बरदास्त नहीं करेगी। अभी यह कुल 8 महीने की सरकार है। इस 8 महीने में इसने इतना कर लिया है जितना कोई सरकार 10 वर्ष में भी न कर सकी।

अधिष्ठाता महोदय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अपने विरोधी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम वे सच्ची बात तो कहें। जो काम इस जनता पार्टी ने किया है वह किसी भी सरकार ने 10 वर्ष में भी नहीं किया। इसकी आप कोई दो-एक मिसाल तो दें किसी सरकार ने इतने कम समय में उतना काम किया हो जितना इस सरकार ने किया है। हम इसी से संतुष्ट नहीं हैं। जब तक पिछड़े वर्ग के लिये, गरीबों के लिये चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, कुछ नहीं किया गया तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। जमीन बांटने की बात है उसे बांटा जाय। हर गांव में छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे खोले जायं, बेकारी दूर हो। यह तभी होगा जब प्रदेश का बंटवारा होगा। प्रदेश का बंटवारा होना बहुत अनिवार्य है। सारे जंगल और खेत पड़े हुए हैं। उस तरफ अभी ध्यान नहीं गया है। पूर्वी जिलों में उद्योग धन्धे नहीं लग रहे हैं। सरकार की इनकम नहीं हो रही है कि वह खर्च करे। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि प्रदेश को शीघ्रातिशीघ्र चार भागों में बांटा जाय और इसकी कोशिश की जाय। अगर यह नहीं होगा तो प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता। जिस प्रकार तीस वर्ष में प्रदेश कोई उन्नति नहीं कर सका वैसे ही इसमें भी लग जायेंगे। जो छोटे-छोटे प्रदेश हैं, उनको देखिये, कितनी उन्नति वहां हो गई है। दो ही भाग इसके कर दीजिये। हम आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे तो उससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। कुर्सी में बैठकर लोग गांवों को भूल जाते हैं। कांग्रेस ने गांवों की भलाई के लिये क्या कदम उठाये थे ?

अधिष्ठाता महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश का बंटवारा करवायें, हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा हो, जमीन जो पड़ी हुई है, उसे बांटा जाय, नौकरियों में हरिजनों का रिजर्वेशन हो, मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाय। जनता पार्टी ने जितने अच्छे काम किये हैं, वह कांग्रेस नहीं कर सकी थी। एक-दो साल इस सरकार को चलने दें तब मालूम होगा कि इसके अन्दर कैसे काम करने वाले लोग हैं। हम महसूस करते हैं कि किसानों की समस्या अभी तक हल नहीं हो पायी है। उसकी समस्यायें हल की जायं, उद्योग-धन्धे खोले जायं, प्रदेश का बंटवारा हो। जब तक हाई कोर्ट की बेंच वहां नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो श्री कौशिक जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। हिन्दुस्तान गावों का देश है। हिन्दुस्तान में करीब 7 लाख गांव हैं। जब तक गांवों की तरक्की नहीं होती है तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। अच्छी हुकूमत के माने यह है कि जो निम्नवर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाय। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो नारा दिया गया है गांवों की ओर चलो का जिसका तिवारी जी ने मखौल उड़ाने की कोशिश की। गांवों की ओर चलने का मतलब यह है कि मौजूदा सरकार गांवों की तरक्की चाहती है। गांवों की

तरक्की तभी हो सकती है जब कृषि की तरक्की हो। कृषि की तरक्की करने के लिए मौजूदा सरकार ने जो योजनायें चलाई हैं वह पिछले 30 सालों में भी नहीं चलाई जा सकी। कृषि की तरक्की के लिए और उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट कृषि के लिए दिया गया है।

श्री गुलाब सेहरा साहब ने कुछ कटाक्ष करने की कोशिश की और कहा कि गेहूं के दाम कम दिये हैं और उनकी सरकार ने 105 रु0 दिये थे और 7 रु0 बोनस देती थी। उन्होंने जो कुछ कहा उससे हम को सहानुभूति है। एक अच्छे वकील को जब कमजोर मुकदमें की पैरवी करने को मिलता है तो उसकी हालत यही होती है। हमारी सरकार ने जो भाव दिया है वह सपोर्ट प्राइस है। किसानों को अधिकार है कि वह देश के जिस हिस्से में चाहें गेहूं बेच सकता है। अगर उसको 110 रु0 से कम दाम मिलने लगेंगे तो उस भाव पर सरकार खरीद लेगी। जहां तक पिछली सरकार द्वारा ज्यादा दाम देने की बात है वह सही नहीं है उसने 75 रु0 से 80 रु0 तक मैं किसानों से गेहूं खरीदा है। वह शायद इस बात को भूल गये हैं।

जहां तक बिजली और सड़कों का सवाल है वह भी काम अच्छा हुआ है। संपर्क मार्ग 7–8 महीने में बने हैं और हर ब्लाक में 5–5 सड़कें बनाई गई हैं और बन रही हैं इतनी सड़कें आज तक नहीं बनी थीं। पिछले साल सरकार ने जो सूखा पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी है वह भी सराहनीय है। गरीब किसानों को ज्यादा सहायता दी गई जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। एक एकड़ से कम जमीन वाले किसान को मुफ्त बीज और खाद दी गई। जो इस प्रकार मुफ्त बीज और खाद का जो वितरण हो रहा है उससे किसानों को पिछली सरकार के कारनामें के कारण सुबहा होने लगा था पिछली सरकार ने 15 रु0 कुंआ के लिए दिये थे और इलेक्शन खत्म होने के बाद उसकी वसूली की गई उसको देखकर वह सोचने लगे कि कहीं यह भी बाद में न वसूला जाय और हमसे कहने लगे कि कहीं यह भी बाद में वसूल तो नहीं होगा तो हम को कहना पड़ता था कि पिछली सरकार ने जो किया वह जनता सरकार करने वाली नहीं है यह खाद आप को मुफ्त दी जा रही है। जो क्षेत्र बाढ़ और सूखे से पीड़ित थे उनको यूरिया और पोटाश के दाम में रियायत दी गई है और जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको 30 प्रतिशत छूट दी गई।

मैं मद्य निषेध के बारे में कहना चाहता हूं। हर आदमी जानता है कि पिछली सरकार ने अच्छे-अच्छे बोर्ड तो लगा दिये कि शराब पीना जहर है लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ किया नहीं। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि चार साल के अन्दर हम शराब का पीना बिल्कुल बन्द कर देंगे और उसकी बिक्री भी बन्द कर देंगे। शराब पीने से जिसको उसकी लत लग जाती है उसका परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन पिछली सरकार के सामने 60 करोड़ की कमाई सामने आती थी। तो जिस कमाई से देश तबाह हो जाय वह नीति अच्छी नहीं है। जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने भी कहा है कि बहुत जल्द चार साल के अन्दर मद्यनिषेध लागू किया जायगा। गांवों में पहली बार बड़े पैमाने पर राशन कार्डस बांटे गये हैं। आज तक राशन कार्ड उन्हीं इलाकों में दिये जाते थे, जहां पर बाढ़ आती थी या सूखा पड़ जाता था। किन्तु ऐसा पहली बार इसी सरकार ने किया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किया गया है।

बिक्री-कर की प्रक्रिया को आसान किया गया है। जो 50 हजार तक बेचते हैं, वह स्वतः अपने बिक्री कर का रिटर्न दे सकते हैं।

रिजर्वेशन के बारे में मुझ को एक बात कहनी है। हरिजनों का रिजर्वेशन हो, पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन हो, किन्तु उसका एक सिद्धांत होना चाहिये। वह शैक्षिक, सामाजिक चाहे जो हो। जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, वही सामाजिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से भी कमजोर है। यदि कमजोर है तो उसे सहायता मिलनी चाहिये। एक तरफ तो हम

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह]

जांति-पांति मिटाओ और जनेऊ तोड़ो आन्दोलन चलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जाति-के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, तो इन दोनों बातों को एक साथ चलाना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। दैनिक जागरण में प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई का एक वक्तव्य निकला है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आर्थिक दृष्टि से ही रिजर्वेशन होना चाहिये। यह बात अपनी जगह पर पूरी तरह से ठीक है और रिजर्वेशन के मामले में ऐसा ही होना चाहिये। जैसे साढ़े तीन एकड़ तक के किसानों का लगान माफ कर दिया गया, तो लगान माफी में यह नहीं देखा गया कि कौन वैश्य है कौन ठाकुर है और कौन चमार है। सभी का जो साढ़े तीन एकड़ तक की जोत के थे, उनका लगान माफ कर दिया गया। इस तरह से जो अनुदान दिया गया उसमें भी कोई वर्ग या जाति नहीं देखी गई है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनको यह मिलना चाहिये, तो यह देखना चाहिये कि हरिजन या दूसरे वर्ग के लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनको यह रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर सिद्धान्त हम अर्थ का मानते हैं तो जो दूसरी जाति के यानी संवर्ण माने जाने वाले लोग हैं, क्षेत्रीय हैं, ब्राह्मण हैं या लाला हैं, जो भीख मांगते हैं, अर्थाभाव के कारण जिनके लड़के पढ़ नहीं सकते हैं, उनको नहीं मिलना चाहिये यह मुनासिब नहीं मालूम पड़ता है। बस्ती जिले में वरुण साहब जिलाधिकारी थे, सबको मिलना चाहिये तो उनके लड़के को भी मिलता था 22 रुपया। मेरा कहना है कि जो भी अपने बच्चों को पढ़ा न सकें, उनको मिलना चाहिए।

सर्विस में आरक्षण होना चाहिये, किन्तु यह चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग में ही होना चाहिये, लेकिन जहां तक तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा आदि का सम्बन्ध है, उसमें भी यदि आरक्षण के बदौलत लड़के लिये जायेंगे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। पिछली बार बिहार में मेडिकल कालेज में हरिजन छात्र नहीं लिये जा रहे हैं, उनके लिए 48 फीसदी अंक फिक्सड है, उससे कम वालों को नहीं लिया जायगा। इससे इस वर्ग के लोग अधिक नहीं लिए जा सके। अन्य में 68 फीसदी तक लिए गए, अब 68 के स्थान पर 48 फीसदी वाले लिए जायेंगे, तो उसका नतीजा यही होगा कि जब ऐसे लोग डाक्टर बनेंगे तो आंखदर्द का मरीज आएगा तो वह अपने कम्पाउण्डर से कहेगा कि इसको पेट पर पेरिस आफ प्लास्टर बांध दो।

डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर जो रोक लगाई गई, उस पर कहना चाहता हूं कि अच्छे-अच्छे डाक्टरों की कमाई बहुत ज्यादा है और वह प्राइवेट प्रैक्टिस के बदौलत है। हमको देखना केवल यह चाहिए कि वह अस्पताल में समय पर पहुंचे, अस्पताल के समय पर कमाई न कर सके। लेकिन अस्पताल के समय के अलावा यदि कोई डाक्टर घर पर है और कोई उनको अपने घर ले जाना चाहता है तो उसको छूट होनी चाहिए कि वह उसे ले जायं। डा0 एन0 एन0 गुप्ता, हेड आफ दि मेडिसिन डिपार्टमेंट, मडिकल कालेज, लखनऊ वह क्या तनख्वाह पाते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 हजार पाते होंगे, लेकिन उनकी 30–40 हजार की प्राइवेट प्रेक्टिस होगी। तो कौन सा आदमी है जो नौकरी के लिये ठीक रहेगा? गोरखपुर में अच्छे-अच्छे डाक्टरों ने रिजाइन कर दिया। हमारा बजट घाटे का बजट है। अगर हमें उनको पे के अलावा और रुपया देना पड़ेगा तो हम पर और भार पड़ेगा। इसलिये वास्तविकता को देखते हुए हमें इस पर विचार करना चाहिए और सही कदम उठाना चाहिए।

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं अब अपने जिले की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे जिले में एक गवर्नमेंट स्कूल है जो 1906 का बना है। उसकी छत खराब हो चुकी है और वह चूती है। पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा यह सर्टीफिकेट दे दिया गया है कि यह किसी भी दिन गिर सकता है, लेकिन फिर भी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त। एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह--

हमारे यहां एक महिला महाविद्यालय है। उसके चारों ओर चहारदीवारी नहीं है जिसके कारण असमाजिक तत्व वहां घूमते रहते हैं। इसलिये वहां पर स्कूल के चारों ओर चहार दीवारी बनाना आवश्यक है। तिवारी जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि गोलीकाण्ड हो गया है। लेकिन तिवारी जी ने आपातकाल में में इस्तीफा क्यों नहीं दिया उस समय उनका चरित्र कहा चला गया था?

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह--

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक विपक्ष की ओर से जो आलोचना की गयी है कि अमुक बात नहीं कही गयी, मैं समझता हूं कि उनकी आलोचना औपचारिक मात्र है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारी बातों का समावेश कर पाना संभव नहीं है, यह दिशा प्रकट करता है। लेकिन इसमें जिन चीजों का जिक्र किया गया है, वह इतनी सरसरी और सतही तौर पर किया गया है जिससे उनको पढ़ने से आशंका होती है कि हम जनता में जो घोषणायें करके आये थे उनको हम ईमानदारी से पूरी करने के लिये कटिबद्ध है अथवा नहीं? इस अभिभाषण से कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके पेज 2 पर कहा गया है--"हरिजनों के प्रति होने वाले अत्याचारों के मामलों को निपटाने के लिये पुलिस मुख्यालय पर एक विशेष जांच सेल कार्य कर रहा है। इसकी इकाइयां जिलों के मुख्यालयों पर भी काम कर रही हैं। इन वर्गों पर अत्याचार की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों व परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है। हरिजनों को आवंटित भूमि पर कोई व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा करे तो उसे संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष एक विशेष अभियान चलाकर एक लाख से अधिक हरिजनों एवं अन्य भूमिहीनों को उनको आवंटित भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाया गया।"

मेरी धृष्ठता के लिये क्षमा करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सारी घोषणायें कागज पर ही हैं। आज भी हरिजनों पर उसी तरह से जुर्म हो रहा है, जिस तरह से पहले होता था। यह जो जांच सेल खोले गये हैं यह सारे के सारे बेकार साबित हो रहे हैं। बहुत से हरिजन ऐसे हैं जिनके नाम कागजों पर भूमि दर्ज है लेकिन

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

मौके पर कब्जा किसी दूसरे आदमी का है। यही नहीं भूमि के आवंटन के समय अच्छी-अच्छी जमीन उन लोगों को दे दी गयी जिनके पास पैसा था और गरीब लोगों को नदी नाले, और ऊसर बंजर भूमि नाप दी गयी जहां पर खेती नहीं हो सकती है। यह सारा समाज और यह सारा राष्ट्र जिस तरह से भ्रष्टाचार मे सराबोर है, जब तक भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं होगा तब तक यह सारी योजनायें बेकार रहेंगी।

पिछले 30 वर्षों में मान्यवर, इस देश के कांग्रेसी सरकारी नेताओं ने, सरकारी सेठों ने और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों ने एक शिकंजा पूरे समाज और पूरे देश पर कस रखा है। भ्रष्टाचार की इस गंगोत्री पर जब तक आप प्रहार नहीं करेंगे भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट व्यापारियों और भ्रष्ट सेठों की तिकड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को कानून के द्वारा देश और प्रदेश से समाप्त करना संभव नहीं होगा। केवल लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बनाने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।

इसी अभिभाषण में पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात कही गयी है। मैं भी इसका स्वागत करता हूं, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि यह सुविधा सही पात्रों को सुलभ करायी जा सके। आज जो माहौल है, समाज का उसमें, मान्यवर, यह सुविधा केवल बड़े लोगों को ही, सम्पन्न लोगों को ही मिल पाती है, जो खुलकर अपने निजी स्वार्थ के साधन में उसका शोषण करेंगे। तो मान्यवर, अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो मेरा निवेदन है कि इन सुविधाओं का उपभोग केवल सम्पन्न लोग ही करेंगे और जो इन सेवाओं के सही पात्र होंगे, वे उनके नजदीक फटक भी नहीं पायेंगे। नतीजा यह होगा कि कानून और संविधान के अनुसार जिन लोगों को ये सुविधायें पहुंचनी है, वे इसके लाभ से वंचित रह जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन अपनी सरकार से यह है कि पिछड़ी जातियों के लिये अवश्य रिजर्वेशन करें लेकिन कुछ आर्थिक प्रतिबन्ध अवश्य लगावें ताकि समाज के जो शोषित लोग हैं पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको लाभ मिल सके। इसका सम्बन्ध यदि आर्थिक स्थिति से न जोड़ा गया तो समाज में सुधार आना तो दूर रहा, उनको सुविधायें मिलना तो दूर रहा इसका असर उल्टा हो जायगा और देश के अन्दर जातिवाद का जहर बहुत तेजी से फैलेगा, जाति संघर्ष इस प्रदेश और देश के अन्दर पैदा हो जायगा।

आज बिहार में क्या हो रहा है, आज बिहार जल रहा है और लोक नायक जय प्रकाश जैसे व्यक्ति को सरकार से इस बात की अपील करनी पड़ी कि वे अपनी आरक्षण नीति में परिवर्तन करने पर विचार करें। तो इसलिये मान्यवर, मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो शोषित लोग है, समाज में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग है, उनको इन सुविधाओं का अवश्य लाभ मिले। अगर आप उनका मुकाबला उन जातियों से करना चाहेंगे जो उनके मुकाबले में काफी प्रभावशील हैं, काफी सम्पन्न है या आप उनको एक तराजू पर तौलेंगे तो कोई संतुलन नहीं होगा बल्कि राग द्वेश ही बढ़ेगा। आज पोजीशन क्या है ? ईमानदारी से अगर आप देखें तो मेरे खयाल में इस सदन में यादव सिंगिल लार्जेस्ट कम्युनिटी है, और यदि उसको आप पिछड़ा वर्ग घोषित करेंगे या हमारे माननीय जगजीवन राम है, माननीय चरण सिंह जी है, उनके लड़कों को पिछड़े वर्ग के नाम पर सुविधायें प्रदान करेंगे तो दूसरी ओर जो उच्च वर्गों में पैदा हुए हैं और भीख मांगते हैं, वे उन सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे। तो इससे देश और समाज की जो स्थिति है उसके प्रति न्याय नहीं होगा। आप बराबरी का बीज नहीं बोयेंगे ; आप विषमता का ही बीज बोयेंगे और निश्चय ही इससे देश और प्रदेश को विनाश के कगार पर ढकेलने की कोशिश करेंगे।

इसी प्रकार से मद्य- निषेध के बारे में इसमें जिक्र किया गया है मैं समझता हूं कि इसके बारे में हमारी सरकार ईमानदार नहीं है । क्योंकि जिस तरह से आप इसको प्रदेश में लागू करने जा रहे है उसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होगा कि शराब पीने वालों के घर, दारू बनाने वालों की भट्ठी में परिणत हो जायेंगे और अवैध शराब का धंधा शुरू हो जायगा इसलिये जब इसको आप लागू करें तो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में एक साथ करें और नैतिक पहलू को न भूलें ।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त । एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

आपको मंदिर में दीपक जलाने से पहले घर में दिया जलाना होगा । ईमानदारी से इसको लागू करना पड़ेगा । एक नेशनल कांसेसस बनाना पड़ेगा विरोधी दलों से बात कर के और दूसरी सामाजिक संस्थाओं से बात करके और मद्य-निषेध के लिये वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा और सबसे बड़ी कसौटी यह होगी कि पहले फैसला करिये कि नीचे से लेकर प्रदेश के मंत्रि-मण्डल तक जितने लोग दारू पीने वाले हैं, उनको इमीडिएटली बाहर कीजिए, कैबिनट से । टिकट देने पर प्रतिबन्ध लगाइये ।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त हुआ । श्री राम सजीवन ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में, आज अपराध स्थिति बहुत खराब हो रही है, और हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि अपराध स्थिति में सुधार हो रहा है, शांति व्यवस्था अच्छी है, । दूसरी तरफ भारत सरकार के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह बंगलौर से कहते हैं है कि अपराध स्थिति बिगड़ रही है, खराब हो रही है । तो ये दोनों सरकारें जब कि एक ही पार्टी की है फिर यह विरोधी बयान किसलिये (व्यवधान) . . (एक सदस्य के बोलने पर) आप डिस्टर्ब न करें, ऐसी आवाज बोलते हैं कि सारा हाउस आपका चेहरा पहिचान गया ।

तो प्रदेश और भारत सरकार की कथनी में कितना अन्तर है , यह बहुत गम्भीर समस्या है, इसको सोचना पड़ेगा कि आखिर यह भारत सरकार झूठी है या उत्तर प्रदेश सरकार झूठी है । तो इस स्थिति को समझिये और सही वक्तव्य, सही हालत सदन में और प्रदेश की जनता के सामने रखनी चाहिए ।

हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि अपराध स्थिति को इंदिरा कांग्रेस वाले पूरे देश में बिगाड़ रहे हैं और हमारे प्रदेश में भी बिगाड़ रहे हैं । तो मुख्य मंत्री जी के पास और सरकार के पास आंकड़े होंगे तभी तो कहते हैं । लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं बताया गया कि कैसे आंकड़े है ? क्या कोई कानफिडेंशियल रिपोर्ट है जो कह रहे हैं । एक तथ्य यह विचार करने के लिये है कि यदि प्रदेश की स्थिति बिगाड़ रहे हैं तो उसका अध्ययन कीजिए लेकिन वास्तविकता यह है कि आज जनता पार्टी के विधायक और संसद सदस्य और मंत्री स्वयं अपराध स्थिति को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये बिगाड़

[श्री रामसजीवन]

रहे हैं । मैं उदाहरण के लिये बतलाऊं कि हमारे यहां एक खुड़हर इंटर कालेज है और जबसे जनता पार्टी सरकार सत्ता में आयी वहां पर आर० एस० एस० का अखाड़ा लगाया जाने लगा और जनसंघ और आर० एस० एस० के लोगों के द्वारा कोशिश होने लगी कि चाहे जैसे हो इस प्रिंसिपल को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए वैधानिक या अवैधानिक तरीके से और पूरा षडयन्त्र किया गया । वहां जनता पार्टी के एम० पी० गये, जनसंघ घटक के लोग गये और वहां के छात्रों और अध्यापकों को उकसाया कि इस प्रिंसिपल को मारो, उसका घेराव करो । इतना ही नहीं, वहां की जनता पार्टी के लोगों और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि आपकी सरकार के एक मिनिस्टर, श्री कालीचरण, वहां गये और छात्रों तथा अध्यापकों को भड़काया और कहा कि प्रिंसिपल को मारो, उसका घेराव करो, जब तक यह प्रिंसिपल रहे तक तब तुम हड़ताल करो ।

आज 4 महीने से लगातार वहां उपद्रव हो रहे हैं जो आपके ही लोगों द्वारा कराये जा रहे हैं । आप कृपा कर अपना चेहरा भी आइने में देखिए । प्रबन्ध कमेटी और प्रिंसिपल निर्दोष साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल कालेज में घुस नहीं पा रहे हैं । वहां ऐसी स्थिति पैदा की गयी है कि वे वहां जा नहीं पाते । जब मंत्री स्वयं कहेगा कि मारो तो कौन सा अफसर होगा, कि जिसकी इतनी हिम्मत हो कि वह मारने वालों को रोके या उनके खिलाफ कार्यवाही कर सके । हालत यहां तक बिगड़ी कि कुछ लोगों ने बाहर के गुण्डों के साथ मिलकर कालिज के प्रिंसिपल को घेरा, मारा, और उसकी औरत को पीटा और घर में आग लगा दी । इस तरह के लोग भी आपके बीच में बैठे हुए हैं और आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं । जब इस तरह की घटना की रिपोर्ट लिखायी गयी तो एस० पी० व जिलाधिकारी गये मगर जब उन पर ऊपर का दवाब पड़ा तो उस आगजनी वाले मामले तक में कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गयी । इस तरह से अराजकता की स्थिति आज आप पूरे देश, प्रदेश और जिलों में स्वयं पैदा कर रहे हैं । आपको इसे ठीक करना पड़ेगा । आपकी नीतियों के कारण अपराध स्थिति बिगड़ती जा रही है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

बांदा जिले में हरिजनों पर जितने अत्याचार इस सरकार के जमाने में हुए हैं, उतने मैंने न कभी देखे न सुने । (व्यवधान) . . गांव मवई, थाना बांदा में दो हरिजनों की हत्या कर दी गयी । (व्यवधान) . . उस मामले को जब सदन में उठाया गया तो जनता पार्टी के लोगों ने उस मामले में लीपापोती कर दी । कुछ दिन बाद फिर उसी परिवार के एक हरिजन प्रधान की हत्या कर दी गयी । वह हरिजन प्रधान गांव समाज की भूमि को वहां के सामंतों के कब्जे से छुड़ाना चाहता था, भूमिहीन हरिजनों को वह बांटना चाहता था, इस कारण वहां के कुछ सामन्त लोगों ने उसकी हत्या करवा दी । वे लोग प्रधान के कानूनी कामों में रुकावट डाले हुए थे । यही नहीं, गांव थाना-कर्वी खोपा थाना राजापुर में 3 हरिजन गोली से मार दिये गये । आप जैसे लोगों के कारण ही उनकी हत्यायें हुई हैं । पहरा गांव में एक हरिजन की हत्या कर दी गयी । सरकार हरिजनों की हत्यायें रोकने में असफल रही है ।

सदन को यह सोचना पड़ेगा कि हरिजनों के साथ होने वाले अत्याचारों से उनकी कैसे रक्षा हो । जिन-जिन की हत्यायें हुई हैं, उसके लिये यहां सदन में हत्यायें करने वालों की निन्दा होनी चाहिए । शर्म आनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री और इस सरकार ने घोषणा की थी कि यदि कोई हरिजन मारा जायगा, उसकी हत्या की जायगी तो उसको 5–5 हजार रुपये मुआवजे के रूप में मिलेगा। सरकार की घोषणा का हम और हमारा दल स्वागत करता है। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस सरकार ने ऐलान किया, उसको लागू नहीं किया गया। एक भी हरिजन को एक भी पैसा नहीं दिया गया।

कई सदस्य—

मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिए, सबका नम्बर आयेगा।

*श्री फजलुलवारी (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो ताइदी प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में सबसे अहम बात जो कही गयी है, वह यह है कि देहात की ओर चलो, यह बहुत पहले से बात सोची जा रही थी कि हिन्दुस्तान में जो तरक्की रुकी हुई है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि यहां के खेती करने वाले लोग जो हैं, उनके सिलसिले में सरकार कोई खास ध्यान नहीं देती है और तीस साल के तजुर्बे ने खासतौर से यह साबित कर दिया कि शहरों को बढ़ाया जा रहा है और देहातों की तरक्की के ऊपर रुकावट डाली जा रही है, इसलिए अरबन पूल पापूलेशन शुरू हुआ, इससे तरह-तरह की खराबियां शुरू हुयीं, जिसके बारे में तरह-तरह की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी हैं। गांव की ओर ध्यान देने की बात जो है, यह पहली बार हमारे सामने आई है, जिसकी ख्वाहिश बहुत पहले से हम लोग करते थे। इस प्रदेश में जो पहले हुकूमत करते थे, उन्होंने इस पर रोक लगा रखी थी।

राज्यपाल के अभिभाषण में जो देहात की तरक्की की बात कही गयी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ-ही साथ चन्द ऐसे शुबहात हैं, जैसे जबान का मसला है। उर्दू जबान के सिलसिले में, इसके पहले के अभिभाषण में भी तजकिरा आया था कि उसको तरक्की दी जायगी। मुझे एक बात निहायत अदब के साथ कहना है कि पिछले 30 साल के शासन काल में उर्दू पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज जो नई नस्ल है, वह उर्दू नहीं पढ़ सकती। जो उर्दू पिछले तीस सालों में पढ़ाई गयी, वह उर्दू आज यहां पर फारिन लैंग्वेज की हैसियत अख्तियार करती जा रही है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि हमारी जनता सरकार कम से कम उर्दू के बारे में अपनी वाजेह और खास पालिसी का ऐलान करे। जब ऐसा नहीं ऐलान होता है, तो शुबहात पैदा होते हैं। आपने देखा कि 30 साल का शासन किस तरह से हवा में गाले की तरह उड़ गया, जो इस प्रदेश में शासन करता था, वह छोटा सा एक दल बनकर यहां बैठा है।

मैं यह गुजारिश करूंगा अधिष्ठाता महोदय, आपके जरिये कि हमारी जनता सरकार इस पर खासतौर से तवज्जह दे। उर्दू के सिलसिले में जो पालिसी का इस तरह से ऐलान हो, वह यह हो कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिलना चाहिए। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने में कोई रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। उर्दू को तरक्की देने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन देना जरूरी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फजलुलबारी]

ऐसी सूरत में सिर्फ एक हल है, और वह हल है कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि जो नाइंसाफियां कांग्रेसियों के जमाने में होती रहीं उनका इरादा इस सरकार में नहीं होगा। जो कुछ ज्यादतियां पिछली सरकार ने की हैं मैं समझता हूं कि जनता सरकार इनको दोहरायेगी नहीं। क्योंकि आपने देखा कि पहले एक इल्जाम था। हिन्दुस्तान में बसने वाली एक कौम के ऊपर कि इसने पाकिस्तान बनवाया और इस इल्जाम के तहत यह कौम खामोश रही। लेकिन आज से 2 साल पहले मुजफ्फरनगर और सीतापुर के अलावा और बहुत सी जगहों पर यह कौम सीना ठोंक कर मैदान में आई। मस्जिद में नमाज अदा करने वालों पर हमला करने के लिये जब कांग्रेसियों की फौज दाखिल हुई तो वह उनसे खौफजदा नहीं हुए। तो मैं सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस कौम को कुछ शिकायतें हैं, इस कौम को कुछ खतरा है। क्योंकि यह देखा जा रहा है, जब रिजर्वेशन की बात होती है, पिछड़े हुए वर्गों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिये। तो यह रिजर्वेशन इसलिये होता है कि एक तबका जो समाज में दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है और उसकी वजह से पूरे समाज पर असर पड़ने वाला है, तो उसे रिजर्वेशन दिया जाता है। इस मुल्क और प्रदेश में बसने वाली एक कौम जो इकाई की शक्ल में है यह पिछड़ जायगी क्योंकि सरकारी नौकरियों में इसकी तादाद घटती चली जा रही है।

आप देखें, आज पूरे सेक्रेटेरियट में, इस सचिवालय के अन्दर जितने सेक्रेटरीज हैं उनमें से सिर्फ एक ही इस कौम के मर्द हैं और वह भी 31 मार्च को रिटायर हो जायेंगे उसके बाद लाइन साफ। ऐसी सूरत में सोचना पड़ेगा कि पालिसी बनाने में उसका हिस्सा नहीं है तो फिर जो कौम अपने इल्जाम को धो चुकी है कि उसने इस मुल्क का बंटवारा कराया, यह जो इंकलाब हुआ उसमें उसका बराबर का हिस्सा है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मुसलमानों को नौकरियों में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाय वरना यह तबका और पिछड़ जायगा। वैसे भी यह तबका काफी पिछड़ गया है और ज्यादा पिछड़ना तकलीफ का बायस होगा और तरक्की के प्रोग्राम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे।

इस सिलसिले में, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने का इरादा है तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जो जुगराफिया के एतबार से पिछड़े हैं। जो हिमालिया और घाघरा के बीच की बस्ती हैं, वहां की जागरफिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिससे इन इलाकों की तरक्की में रुकावट पड़ती है। इसलिये सरकार को चाहिये कि यह एरिया, जिसमें गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर और देवरिया का अंचल आता है इसके लिये अलग से कमिश्नरी बनाये और अलग से तरक्की के लिये प्रोग्राम बनायें। क्योंकि बाम्बे प्लान को देखते हैं तो पता चलता है कि यह अंचल सबसे पिछड़ा हुआ है। आप कहीं जायं इन्हीं अंचलों के लोग छोटी नौकरियों और कम मजदूरी पर काम करते पाये जायेंगे। तो यह इस मुल्क के लिये और उत्तर प्रदेश के लिये दुर्भाग्य की बात है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री फजलुलबारी—

मैं सिर्फ एक मिनट और चाहता हूं। यह इलाके पिछड़ेपन के शिकार हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि इन अंचलों, गोंडा, बहराइच, बस्ती गोरखपुर, देवरिया की कम से कम एक कमिश्नरी बनाकर इनके वास्ते अलग से फंड्स मुहैय्या करके इनकी तरक्की का इंतजाम किया जाय ताकि यहां पर लोग अपने उद्योग धंधों को स्थापित करके उनको चला सकें। (धन्यवाद)

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन, करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कांग्रेस (ई0) के माननीय सदस्य श्री तिवारी जी ने अभी अपने भाषण में कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। मैं तिवारी जी की उन मूल समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी गांव की ओर चलो के बारे में तिवारी जी ने कहा कि जनता पार्टी गांव की ओर जाना चाहती है, का इरादा रखती है, लेकिन चलना नहीं चाहती है। मैं तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि 30 साल बाद यदि शहर को छोड़कर गांव की ओर चलेंगे तो रास्ता ही नहीं मिलेगा कि गांव में पहुंच जायं। जनता पार्टी ने गांव की ओर जाने के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण करके गांव की ओर चलने के लिये रास्ता खोला है। सारे देश में अपनी अर्थ-व्यवस्था आमूल-चूल परिवर्तन करके जनता पार्टी ने एक दिशा दी है कि हमारा अर्थतन्त्र गांव की दशा पर निर्भर करेगा गांव से ही इस देश में प्रगति की रूपरेखा बनेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक नीति में परिवर्तन के लिये हमारे देश के अन्दर एक बड़ी विषमता की खाई 30 साल में पैदा की जाती रही है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के गार्ड चपरासी के वेतन का वार्षिक मूल्यांकन और 6 एकड़ के काश्तकार की वार्षिक आय का मूल्यांकन किया जाय तो काफी अन्तर मिलेगा, दोनों के जीवन स्तर में। इस देश के दूरस्थ इलाके में 6 एकड़ से 12 एकड़ के काश्तकार की आय उस चपरासी की आय के बराबर नहीं है। यह कितनी बड़ी आर्थिक विषमता है। इसको समानता पर लाने के लिये नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं तिवारी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी नीतियों में परिवर्तन के लिये गांव की ओर ही चलना होगा। आपकी सरकार ने तो उस ओर नहीं सोचा था लेकिन इसको वही लोग कर सकते हैं जो गांव से आये हैं।

मान्यवर, अब मैं कानून और व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था के बारे में बहुत बड़ा हंगामा है जिसको हम स्वीकार करते हैं। मुख्य मंत्री जी यहां नहीं है लेकिन वरिष्ठ मंत्रिगण यहां हैं जिनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये क्या-क्या कदम उठा रहे हैं जिनको देखना होगा। मैं उसमें कुछ व्यवहारिक सुधार की बात कहना चाहता हूं।

इस समय गुन्डा अभियान चल रहा है और उसमें बड़ी पुलिस चल रही है। यह अभियान कुछ पखवाड़े चलेगा। इससे अपराध कम होने चाहिये लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब गुन्डा अभियान चलता है तो सर्वाधिक अपराध बनाये जाते हैं और लोगों को घर से उठाकर बन्द किया जाता है। उनको धारा 109 में बन्द किया जाता है। उसमें वह लोग होते हैं जिनके पास रोजी रोटी के साधन नहीं है। जिन सिद्धांतों के लिये हम लोगों ने लड़ाई लड़ी उसमें धारा 109 अभी भी हमारे शासन में बनी है। जो लोग बेरोजगार हैं और रोजगार के लिये हाथ बढ़ा रहे हैं उनको धारा 109 में बन्द किया जाता है। यह बड़े शर्म की बात है। इसलिये तिवारी जी धारा 109 के जनक आप ही है उसके लिये मैं जनता सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा में परिवर्तन करना चाहिये और इस धारा में बन्द लोग जेल के हकदार नहीं हैं। जिन लोगों ने गुन्डा अभियान में धारा 109 में चालान किये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। हमारी सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन उनको धारा 109 में बन्द किया गया है, इसलिये इस धारा में परिवर्तन होना चाहिये अन्यथा इसको जनता कभी भी बरदाश्त नहीं करेगी।

इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने शांतमय प्रदर्शन की बात की। आपने कहा जनता पार्टी की घोषित नीति है और उन्होंने लोकतन्त्र की लाठी

[श्री रघुबर दयाल वर्मा]

की भी बात कही। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी शांतिमय प्रदर्शन में विश्वास करती है। देश में लोकतन्त्र रहेगा तो उसमें सत्याग्रह, धरना और प्रदर्शन का होना अनिवार्य है क्योंकि यह सत्ता पक्ष के दिमाग को ठीक रखने के यंत्र हैं। डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हमको संयमित अनुशासित प्रदर्शन करना चाहिये। इसके लिये हमको अपने आप में पूर्ण अनुशासित होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर एक आचार संहिता तैयार करें और उसमें सत्याग्रह, धरना और प्रदर्शन की रूप-रेखा क्या हो, यह निश्चित करें।

तिवारी जी ने लोकतन्त्र की लाठी का जिक्र किया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गत 19 महीनों की अर्थात् आपातकाल की बात छोड़ दें। उसके पहले देखें। सन् 1974-75 की घटनाओं को देखें। उन्हीं की हुकूमत में हम इलाहाबाद के क्षेत्र में प्रदर्शन करने गये थे। तब वहां बल्लम लाठी, असलहा लेकर कांग्रेस के आदमी आये। मैंने परगनाधिकारी से कहा कि इनको गिरफ्तार करो क्योंकि जब एक सभा हो रही है तो दूसरा अगर उसको विध्वंस करने आता है तो 151 में गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमको ही पिटना पड़ा, गाली खानी पड़ी। तब उनकी लोकतन्त्र की लाठी में से क्या निकला? इसलिए मेरा सुझाव है कि इन सारी बातों के लिए विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर आचार संहिता का निर्माण करना होगा।

कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। अभी भी पुलिस वाले हर आदमी को पकड़कर ले जाते हैं तो कारतूस, कट्टा या चाकू रख देते हैं। इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कानून के अन्दर सभी समान है। पुलिस वाला यदि इस तरह से हथियार रखता है तो वह भी धारा 25 का मुजरिम है लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि कारतूसों पर नम्बर पड़ने चाहिए और उनकी लाइसेंस से बिक्री पर अंकन हो। जब कारतूसों पर नम्बरिंग होगी तो फिर पुलिस वाला इस तरह से किसी को पकड़ने के पर नहीं रख सकेगा और जो झूठे मुकदमें इस प्रकार के चलाये जाते हैं उनमें कमी होगी और न ही लाइसेंसदार ही बेच सकेगा। अगर जनता पार्टी इस तरह से स्थिति में सुधार कर देती है तो फिर तिवारी जी को जनता में भ्रम का वातावरण पैदा करने का साहस नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में अपने विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, आज इस प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता पार्टी के प्रगतिशील कार्यक्रमों में घबड़ा गये हैं। और इस घबड़ाहट के कारण उनको परेशानी हो गयी है और उस परेशानी के कारण, मान्यवर, तीन तरह के लोग जनता पार्टी से नाराज हैं और वे हैं—

(1) इस देश के पूंजीपति,

(2) इस देश के बड़े अधिकारी,

(3) ऐसे लोग जो वर्षों से कुर्सी पकड़े बैठे हुए थे और इस देश और प्रदेश के गरीबों का शोषण करते रहे और लोगों का खून पीने का काम करते रहे।

तो मान्यवर, ये लोग पूरे देश में पूरी तरह इस प्रशासन को अव्यवस्थित करने के लिये और एक तरह से हंगामा मचाने के लिये षड़यन्त्र चला रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, जहां एक ओर इन नाराज लोगों की सरकार के खिलाफ साजिश है, वहीं पर मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता यह कहने में कि आज केवल कुर्सी बदली है, लेकिन व्यवस्था वही है। इस सिलसिले में आज प्रदेश के अफसरान क्या महसूस करते हैं? इस प्रदेश में केवल अफसरों का राज्य है। केवल अफसरान इस प्रदेश में राज्य करना चाहते हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं।

श्रीमन्, 1957 में एक जे0 पी0 सिंह सुपरवाइजर बस्ती में नियुक्त हुआ। उस समय उसका वेतन 105.50 रु0 था। आज की तारीख में भी वह केवल 105.50 रु0 वेतन पा रहा है। इस विषय में जब मैं श्रम मन्त्री के पास गया तो वे विश्वास नहीं कर रहे थे और कहा कि कहीं झूठ तो नहीं कह रहा। फिर इसमें फाइल मांगी। जब फाइल आयी तो सारा लूपहोल खुल गया। 105 रुपये और 50 पैसे में नियुक्ति हुयी और आज भी 105 रुपये 50 पैसे वेतन पाता है।

दूसरी चीज, श्रीमन्, हमारे प्रदेश में ग्राम्य विकास मंत्री जी और दूसरे मंत्रियों का बयान हुआ कि प्रदेश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायगा। लिंक रोड्स के लिये प्रदेश के विकास खंडों को निर्देश गये। 10 सड़कों का चुनाव हुआ और पांच पर काम करने के लिये निर्देश जारी कर दिये। लेकिन मान्यवर, क्या हुआ? केन्द्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को गेहूं का कोटा इस काम के लिये निर्धारित कर दिया। लेकिन, मान्यवर, आज मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारी पार्टी के मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों को पता नहीं है कि अधिकारियों ने उस गेहूं के कोटे को वापस कर दिया। तो, मान्यवर, आज मैं इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ और अधिकारी वर्ग बरकरार बना हुआ है। तो इस तरह से घबराहट की बात नहीं है।

दूसरी तरफ, श्रीमन्, पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। पुलिस विभाग में आमूल परिवर्तन नहीं हुए। जो अंग्रेजों के जमाने में पुलिस विभाग के नियम और कानून बनाये गये थे, आज भी वे ही नियम और कानून पिछले 30 वर्षों से चल रहे हैं। पी0 ए0 सी0 के छोटे कर्मचारियों ने अपने हकों के लिये हड़ताल की लेकिन माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने उनको कुचल दिया। हमें अफसोस है कि उनमें बहुत से लोग आज भी जेल में पड़े हैं। आज वे अपनी वाणी से कुछ कह नहीं सकते। हमारी सरकार भी उनको न्याय अभी नहीं दे पायी। एक तरफ आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 से लेकर सैकड़ों अधिकारी हैं इस विभाग में तांता लगा हुआ है। प्रदेश में करीब 72 कुत्ते हैं। एक कुत्ते पर करीब 30 रुपये रोज खर्च होते हैं लेकिन श्रीमन्, एक सिपाही की तनख्वाह क्या है? उसके वेतन में और कुत्ते के खर्च में फर्क नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से, जनता पार्टी की सरकार से कि इस पर विचार करें।

श्रीमन्, भूमि के पट्टे दिये जाने की बात कही जाती है। अपराध की स्थिति की बात कही जाती है। अपराध बढ़ने की बात कही जाती है। अपराध बढ़ा कहां है? श्रीमन्, हरिजनों की दुहाई दी जाती है, हरिजनों की चर्चा की जाती है। हमारे महामहिम राज्यपाल ने अपने पिछले अभिभाषण में साफतौर पर कहा था कि अल्पसंख्यकों, हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिये सरकार कृत संकल्प है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार थी जिसने 30 वर्षों तक देश में शासन किया उसी के कारण, उसकी गलत नीतियों के कारण ही हरिजन पर अत्याचार हो रहे हैं। श्रीमन्, मैं 19 फरवरी की बात करना चाहूंगा बटिहार गांव की, जो खीरी लखीमपुर में है। वहां पर एक मिट्ठू है जिसे भूमि का पट्टा मिला था। वहां पर जसवीर सिंह का पांच हजार का फार्म भी है। श्रीमन्, मिट्ठू को भूमि कागज में मिलती है। वह भूमि पर कब्जा कर लेता है।

[श्री हरि केवल प्रसाद]

19 फरवरी को सायंकाल साढ़े सात बजे जसवीर सिंह के गुन्डे पहुंचते हैं और उसको पीटते हैं। उसका लड़का थाने में जाता है लेकिन दरोगा रिपोर्ट नहीं लिखता है। दूसरी घटना श्रीमन्, उन्नाव की है जहां प्रभावशाली आदमी द्वारा दो लाशों को पानी में बहा दिया जाता है। वहां के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मामले में कुछ भी नहीं कर सके।

श्रीमन्, गन्ना उत्पादकों को, अध्यापकों को देने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

श्रीमन, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं अपनी सरकार से कि जिन जगहों पर मंगलदेव विशारद भूमि व्यवस्था समिति थी उन जगहों पर गैर सरकारी समिति की घोषणा करनी चाहिए और गैर सरकारी समिति के माध्यम से मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, कुत्तों के नाम पर, लोकतन्त्र के नाम पर पट्टों में जमीन देकर, वहां से निकाल कर, भूमिहीनों में वितरित कर दी जानी चाहिए।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता जी, मैं आपका मश्कूर हूं कि आपने मुझे अभिभाषण पर चर्चा करने का समय दिया।

मान्यवर, यह जो कौशिक जी का प्रस्ताव है इस पर धन्यवाद का प्रश्न नहीं उठता। जितनी भी सरकार की निन्दा तथा भर्त्सना की जाय, कम है। अभिभाषण के पृष्ठ 7 पर यह लिखा हुआ है "इस वर्ष गन्ने के उत्पादन का भी एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। सरकार किसानों को पूरी कीमत दिलाने तथा पूरा गन्ना पिरवाने के लिये कृत-संकल्प है।" तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है? असल में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं वैसी ही बात इस अभिभाषण में उपरोक्त कथन से प्रतीत होती है। अभी हरी सिंह कह रहे थे कि मुख्य मंत्री इस प्रदेश का उस समाज से आया है जिससे किसानों का उद्धार हो गया जबकि जब से यह चीफ मिनिस्टर आये हैं प्रदेश का किसान लुट गया। मैंने 7, 8 चीफ मिनिस्टर्स को देखा गन्ने की पोजीशन ऐसी खराब कभी नहीं हुई जो इनके जमाने में हो रही है। क्योंकि ये उस जाति से सम्बन्धित थे इसलिये उन्होंने किसानों का गला घोंटा और उनको नुकसान पहुंचाया।

आगे अभिभाषण में लिखा है "सरकार ने खांडसारी को बड़े पैमाने पर खरीदने के लिये भी कदम उठाये हैं ताकि उसका मूल्य स्थिर हो सके और सरकार ने भारत सरकार की मदद से गुड़ की खरीद की व्यवस्था कराई हैं जिससे किसानों को राहत पहुंचे और उचित मूल्य भी मिल सके।" मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि स्टेट में कितने सेंटर स्थापित किये गये हैं और उनमें कितनी गुड़ की खरीद की गयी है? रुहेलखंड डिवीजन में जहां गुड़ का व्यापार होता है वहां कितने सेंटर कायम किये गये? जहां तक मेरे क्षेत्र व जिले का प्रश्न है पीलीभीत में एक भी सेंटर नहीं खोला गया है। एक प्रकार की यह सब लफ्फाजी है और सत्यता से परे है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। गन्ना किसानों को कौन सी राहत पहुंचाई गयी? पिछले साल से उत्पादन ज्यादा हुआ तो फिर आपने साढ़े 6 लाख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टन चीनी ही क्यों निर्यात की, साढ़े 8 लाख टन क्यों नहीं भेजी जैसा कि पिछली सरकार ने किया था जिसको आप हजारों गालियां देते हैं और पानी पी पीकर कोसते हैं।

आज मन्दिर और मस्जिद में दुवाएं हो रही हैं उस कांग्रेसी सरकार को वापस लाने के लिये क्योंकि किसान को, मजदूर को यह सरकार कोई फायदा नहीं पहुंचा पा रही है। कृषि मंत्री नवाबगंज गये बरेली जिले में। किसान मेले का यहां आयोजन था। 5,000 किसान वहां एकत्रित था और बैनर लगाये हुए था "तूफानों में आंधी में विश्वास है इन्दिरा गान्धी हैं।" "गन्ना कृषकों का आदेश है, गद्दी छोड़ो राम नरेश।" ये नारे थे। आप फिर वहां नहीं गये। (व्यवधान)

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

कहां की खबर सुना रहे हैं?

श्री चेतराम गंगवार—

नवाबगंज फार्म की बात कर रहा हूं जिसका आपने उद्घाटन किया था और नवाबगंज में किसान मेले में जाकर उनको एड्रेस करना था जिसको आपने नहीं किया। इस सरकार के जमाने में हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं उसकी पराकाष्ठा है।

(व्यवधान)

मैंने इतने अत्याचार हरिजनों और अकलियतों पर कभी न देखे, न सुने जितने इस सरकार के जमाने में हो रहे हैं। (व्यवधान)

बरेली में हरिजनों पिछड़ी जातियों तथा अकलियतों के लिये एक कालोनी बनी हुई है। जिलाधीश और डी0 एस0 पी0 सांडिल्य जाते हैं। और उनको बुलडोजर से बुरी तरह से कुचल दिया तथा सारी बस्ती उजाड़ दी गई। इसके बदले में हरिजनों को अभी तक कोई जगह नहीं दी गयी। (व्यवधान) यह अभी की बात है। दूसरा एक पत्र मेरे पास सहारनपुर से आया है। इसमें फोटो भी है। एक जिला हरिजन अधिकारी है ..... (व्यवधान) आपको लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं। आपका नाम मानसिंह है। वहां के अधिकारी चपरासियों से क्या-क्या काम करवाते हैं। (फोटो दिखाई)। (एक साथ कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।) मान्यवर, यदि आप इजाजत दें तो मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करके बैठ जाऊंगा। आज ला एन्ड आर्डर की पोजीशन सारे प्रदेश भर में बहुत खराब हो गई है.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन्, मैंने सुना कि एक मन्त्री हमारे सामने बिराजमान हैं। उनको ला एन्ड आर्डर से कोई वास्ता नहीं है। मंत्रि-परिषद् के सदस्य ला एन्ड आर्डर नहीं जानते।

श्री अधिष्ठाता—

समय का ध्यान रखें।

श्री चेतराम गंगवार--

दो मिनट में समाप्त करता हूं। दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा रहता है..... (व्यवधान) । सरकार को शर्म नहीं आती है कि ला एन्ड आर्डर की पोजीशन गिरती जा रही है। "दैनिक जागरण" में लिखा है.....

श्री अधिष्ठाता--

यहां अखबारों की कटिंग से कोई मतलब नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, इसमें लिखा है "पुलिस के घर में चोरी, 24 घंटों में राहजनों ने तीन दम्पत्तियों को लूटा", "लुटेरों ने घर में घुसकर महिला पर गोली चलाई, पति द्वारा पत्नी के प्रेमी की गला काटकर हत्या", "युवती के मामले को लेकर युवक की गोली मार के हत्या", "मैन फाउन्ड डेड इन कानपुर पार्क", "रहस्यमय युवक द्वारा महिला व नौकर की हत्या", यह 19 जनवरी, 1978 की कटिंग है.....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

एक सदस्य--

यह प्रेस रिपोर्ट है या भाषण है?

श्री चेतराम गंगवार--

मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आपका इरादा क्या है? लखनऊ, कानपुर, बनारस, बरेली आदि जगहों में आपने दंगे करवाये। मेरी चुनौती है कि काटन मिल कानपुर में और लखनऊ में आपने सैकड़ों हरिजनों पर गोली चलवाई और पी0 ए0 सी0 ने चलाई। मेरी मांग है कि सरकार फौरन इस्तीफा दे।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ। आप अपने समय से ज्यादा बोल रहे हैं..... (व्यवधान) सत्ता पक्ष के लोगों को संयम से काम करना चाहिए..... (व्यवधान)

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री विक्रमा राय--

मान्यवर, पार्टियों की तरफ से बोलने वालों की लिस्ट भेजी जाती है। एक मेम्बर इधर से बोलता है और एक मेम्बर उधर से बोलता है। मेरा नाम लिस्ट में पहले नम्बर पर था मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या क्राईटेरिया है, क्या विवेक आप इस्तेमाल करते हैं?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांत रहें। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग बैठें जो भी सूची मेरे सामने है उसके आधार पर सही न्याय इधर और उधर, दोनों को दिया जायगा।

श्री विक्रमा राय--

मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया है मैं रोज खड़ा होता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। आपको जरूर समय मिलेगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

मुझे बे सिर करो या मेरी जुबां काटो,
मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय कौशिक जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने का समय दिया। मान्यवर, मैंने माननीय तिवारी जी को भी सुना और भी माननीय सदस्यों को सुना। लगता कुछ ऐसा है कि हरिजनों की पीड़ा का अहसास सिर्फ उस जगह पर बैठने के बाद ही होता है। मैं किसी पर चोट नहीं करता। (व्यवधान) मेरी बात को अगर आप गंभीरता से सुनेंगे तो हम भी आपकी बात गम्भीरता से सुनेंगे। हरिजनों के उत्पीड़न और हरिजनों को समस्याओं की यहां चर्चा हुई। अच्छा होता तिवारी जी जिन्होंने विस्तृत चर्चा की है, उनसे अपेक्षा की जाती थी कांग्रेस (आई0) पार्टी के नेता होने के नात कि वह जरूर कुछ टिप्पणी करेंगे। उस दिन 17 मार्च, को जब दोनों सदनों के सदस्य यहां पर उपस्थित थे और यहां पर जो दृश्य उपस्थित हुआ मैं समझता हूं कि उसकी संसदीय इतिहास में मिसाल नहीं मिलेगी। यह कौन सी संसदीय परम्परा है, कहां का प्रजातांत्रिक तरीका है विरोध करने का। माननीय राज्यपाल के द्वारा सरकार की नीतियों की घोषणा होती है उसके विरोध करने के कई सारे तरीके हैं। यह जो घटना घटी है इसकी मुझे संसदीय इतिहास में कहीं मिसाल देखने को नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांत रहे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

संभवत: कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक जितनी विधान सभायें हैं मैं समझता हूं कि किसी भी विधान सभा में इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी। इसकी भर्त्सना उनको करनी चाहिये थी। स्पीकर को राड्स फेंक कर मारना, डायस पर चढ़ना, राज्यपाल पर अटैक करना, कहां तक उचित है? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता--

गौरी शंकर जी जो बातें सदन में बार-बार दोहराई गई हैं उनको न कह कर अपनी बात कहें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

वह मैं इसलिये कह रहा हूं कि वह एक साजिश थी। वह इसलिए हुई कि यहां के राज्यपाल एक वर्ग विशेष के हैं सोचा कि अच्छा मौका है यह कहने का कि वह सदन के सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर पाये। यह जातिवाद के आधार पर एक नियोजित षड़यंत्र था और उसकी लड़ी और कड़ी यहां से बनारस में पहुंची।

माननीय राज्यपाल का यह हाल हुआ और बाबू जगजीवन राम उच्च नेतृत्व के व्यक्ति हैं यह सब जानते हैं....

[श्री गौरीशंकर एडवोकेट]

और उनमें गरीबों की उनके प्रति जो आस्था है, उसके बारे में, मैं समझता हूं कि किसी की दो राय नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब आप उनको इज्जत नहीं देते अपने बनारस में और वहां पर उस मूर्ति को गंगा जल से इसलिए धोते हैं कि वह अपवित्र हो गई है, तो फिर आप इसके बावजूद हरिजन उत्पीड़न की जो दुहाई देते हैं यह धोखा किसी की समझ में आने वाला नहीं है? इस आपके भ्रम और धोखे में कोई हम में से फंसने वाला नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री करुणापति त्रिपाठी, जो श्री कमलापति त्रिपाठी के सगे भाई हैं और जो सच्चे सामन्ती समाज के पोषक हैं, यह सब उनके इशारे पर हुआ है। यह काण्ड उनके नियोजित षड़यन्त्र की कहानी है। यहां आपको जिक्र करना चाहिए था हड़ौरा कान्ड का, सतिया काण्ड और ऐसे ही तमाम काण्डों को, लेकिन आपने यहां पर इन काण्डों का कोई जिक्र नहीं किया। यदि आपने यह किया होता तो मैं आपको बधाई देता और समझता कि आपके मन में हरिजनों के प्रति हमदर्दी है। आपसे अपेक्षा की जाती थी कि बाबू जगजीवन राम के प्रति बनारस में जो कुछ किया गया, उसके प्रति आप कुछ कहेंगे। ऐसा हमने सोचा था।

बाबू जी मे जो कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी वह कोई राजनैतिक स्टन्ट नहीं था, उनके दिल का दर्द था, लेकिन आपने कह दिया कि चलो अच्छा हुआ मवाद निकल गया। इस बात से पता चलता है कि आप लोग कितने सामन्तवादी विचारधारा के लोग हैं और ऐसे लोग वास्तव में समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के प्रति समाज को कड़ी नजर रखनी चाहिए। मैं कहे देता हूं कि यह गरीब समाज अब बहुत दिनों तक यह सब कुछ बरदाश्त करने वाला नहीं है।

(इस समय 3 बजकर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

सरकार की इस नीति में कि हम गांवों की ओर बढ़ रहे हैं। इनका इरादा साफ है कि हम गांवों की तरक्की करना चाहते हैं। सरकार ने मैदानी इलाके में 1,500, बुन्देलखण्ड में 1,200 और पहाड़ी इलाके में 500 की आबादी के गांवों को जो सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की बात कही है, वह स्वागत योग्य है। यह सड़क से जोड़ने की जो घोषणा है, यह जो लिंक रोड बनाने का अभियान छेड़ा गया है और उसके लिए भारत सरकार ने जो गेहूं दिया था, उसका सही उपयोग नहीं हो सका है। इस पर ध्यान देने की बात है। (व्यवधान) आप योजना तो अच्छी लाए, लेकिन लोग सोचते हैं कि अनाज देने से काम हो सकता है। तो श्रमदान नहीं करना चाहते। अब आप इन रोडों को कम से कम पक्का अवश्य कर दें, तो यह एक अच्छा काम होगा। जैसी कि बजट में घोषणा है, आशा है इन पर खड़न्जे लगाने की तरफ आपका ध्यान जायगा।

हरिजन उत्पीड़न और उनके आचरण की बात कही जाती है। इसमें हमारी सरकार की दशा—"नौ दिन चले अढ़ाई कोस" वाली रही है। आप इतने वर्षों में 4 परसेन्ट भी पूरा नहीं कर सके हैं। राजनैतिक लोगों के साथ एक फैशन हो गया है कि जितने बढ़िया तरीके से हरिजन उत्पीड़न की बात कह दो, उनकी उतनी अच्छी नेतागीरी चलती है और उतन ही अखबारों में छपेगा। मैं उस समाज से आता हूं और कहना चाहता हूं कि मुंशी प्रेमचन्द्र की कहानी को पढ़कर हरिजनों की दशा को समझना और बात है और उनके बीच में रहकर उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना और बात है। इन दोनों में बड़ा भारी अन्तर है। (लाल बत्ती जलने पर) अभी मेरा काफी समय है, मेरे दो मिनट तो बर्बाद हो गये हैं। मैं

अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। आखिर यह जितनी योजनाएं गांवों की तरफ की हैं, उनमें जनता पार्टी का एक बड़ा योगदान है। हरिजन आरक्षण की जो बात कही जाती है, उस पर 4–5 परसेन्ट ही अब तक पूरा कर पाए हैं।

श्री बहुगुणा जी ने अपनी एक कलम से ही 1,500 कांस्टेबुलों को नियुक्त कर दिया था। 180 दरोगाओं को एस0 आई0 बना दिया था। आपको बहुत मजबूत दिल बनाकर बैठना होगा तभी काम चलेगा, वरना काम चलने वाला नहीं है। आप चाहे जितनी घोषणायें करें, घोषणाओं से काम नहीं होगा, जब तक आप का दिल दिमाग साफ नहीं होगा। आप अपना मन साफ रक्खें। एक बात मैं गन्ने के बारे में कहना चाहता हूं कि उसके सिलसिले में आप अपनी नीति घोषित कीजिए। इससे सैकड़ों रुपया सरकार को मिलता है। गन्ने के बारे में जो आपने घोषणा की है उसकी धज्जियां उड़ गयी हैं। लकड़ी की कीमत 25 रुपया कुन्तल है लेकिन गन्ने की कीमत 4 और 5 रुपया कुन्तल है और हालत यहां तक आ गयी है कि उसको भी कोई लेने वाला नहीं है। यह आपकी असफल नीति है। इस तरह से.....

श्री अध्यक्ष––

अब आप कृपया समाप्त कीजिए। बैठिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

वक्त को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठिए। समय आपका समाप्त।

श्री गौरी शंकर एडवोकट––

[× × ×]

श्री अध्यक्ष––

आप बैठिए। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। मैंने श्री राधेश्याम शर्मा को बुला लिया है। आप बैठिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

[× × ×]

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)––

आपने मुझे मौका नहीं दिया। मेरा नाम पिछली सूची में भी था और आज भी है, लेकिन मौका नहीं मिला। (शोर)

श्री अध्यक्ष––

आप बैठिए।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

आप बैठिए न। मुझे मौका मिला।

नोट:––[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

समी को अवसर मिलना चाहिये । मुझे समय नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

श्री राम आसरे जी, मैंने श्री राधेश्याम शर्मा को बुला लिया है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब आदरणीय कुर्सी पर बैठा था तो मैंने श्री नारायण दत्त तिवारी जी के भाषण को सुना।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

उस समय की बात को इन्हें नहीं कहना चाहिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

चूंकि एक-एक बात का जवाब देना इस सदन में निहायत जरूरी है । कुछ बातें यहां पर इसलिये कही जाती हैं केवल विरोध करने के लिए । मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में यह सबसे बड़ी खराब चीज है । जब तिवारी जी सरकार में थे तब 145 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक का ओवर ड्राफ्ट था । ये खाली दुकान, दारुल शफा, और यह कुर्सी छोड़ गये हैं । (शोर) मैं टोका टोकी के बिल्कुल खिलाफ हूं । भाषण का जवाब भाषण से दीजिये । पिछली सरकार के समय उत्तर प्रदेश में जिसने सीरदार थे उनको भूमिधर बना दिया जिससे 63 करोड़ रुपया पुरानी कांग्रेसी सरकार ने वसूल किये थे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।).

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

बैठ जाइये ।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आपको एक-एक बात सुननी पड़ेगी । मैं कहना चाहता हूं कि हमने कानून के द्वारा उत्तर प्रदेश में सीरदारों से 83 करोड़ रुपया एक कलम से माफ कर दिया और सारे प्रदेश के किसानों को भूमिधर बना दिया ।

श्री चेतराम गंगवार—

यह तिवारी जी के समय में हुआ था ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

जी नहीं, इसी सरकार ने किया (व्यवधान) । मैं माननीय मिश्रा जी से कहूंगा कि यह परिपाटी बिल्कुल गलत है । आप इस प्रकार से टोका-टाकी करके मुझे आप बैठा नहीं सकते हैं । 3 1/8 एकड़ 17 बीघे के लगान को हमने माफ किया । इस तरह करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश में किसानों का लगान माफ कर दिया और इसी सरकार ने 8 महीने की सरकार ने, जिसे आप बुरा कहते हैं, किया है । इसके अलावा 17 1/2 करोड़ रुपया विकास कर का माफ किया है । 20 प्रतिशत खाद में छूट दी है । इसी सरकार ने जो आपकी पुरानी सरकार ने 63 करोड़ रुपये का लगान बकाया लगाया था

उसको 29 करोड़ रुपया ही वसूल करने का आदेश दिया है । आज कौन इससे इंकार कर सकता है कि 9 महीने में जो काम इस सरकार ने किया है मैं समझता हूं कि वह 30 साल की कांग्रेसी सरकार सोच भी नहीं सकी, काम करना तो दूर रहा ।

माननीय तिवारी जी ने "गांव की ओर चलो" का बड़ा मजाक उड़ाया है आज जबकि हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या 87 प्रतिशत गांव में बसती है तो हम यदि गांव की ओर नहीं जायेंगे तो कहां जायेंगे । आज इस सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया है 35 करोड़ रुपया लिंक रोड्स में यह सरकार खर्च करने जा रही है और एक-एक इन्डस्ट्री हर अदालती क्षेत्र में खोलने जा रही है जिससे हाई स्कूलों तक पढ़े बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सके । तो यह सरकार सारे के सारे काम करती जा रही है ।

श्री विक्रमा राय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपके आने के पूर्व अधिष्ठाता महोदय, जब उस कुर्सी पर विराजमान थे तब भी मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि सदन की परम्परा यह चली आ रही है कि सत्ता पक्ष से जो सूची दी जायगी, उसमें जिस प्रकार से बोलने वालों का नम्बर होगा, उनको बोलने के लिये इंगित किया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि उसमें विवेक से बुलाने का आधार क्या है डिस्क्रिशन का क्या आधार है? अभी मैं आपके पास सत्ता पक्ष के बोलने वालों की सूची देखने गया था । उसमें माननीय राधेश्याम जी का नाम नहीं था, आपने उनको बोलने का किस आधार पर मौका दिया ? उस सूची में मेरा नाम था और मैं यहां पर बैठा रहा हूं, कोई अनुशासन न तोड़े तो क्या सदन में समय नहीं दिया जायेगा? आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया । यहां पर उन्हीं को बोलने का अवसर दिया जाता जो अनुशासन भंग करते हैं । आपने किस हिसाब से उनको बोलने का मौका दिया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने जो अधिष्ठाता महोदय, के सामने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, वह तो तभी समाप्त हो गया । अब जो प्रश्न आपने उठाया है उसके बारे में मुझे कहना है कि कोई भी पीठासीन अधिकारी किसी सूची से बाध्य नहीं होता है । जो व्यक्ति सामने खड़े होंगे, जिन पर भी नजर जायेगी वह उनको भुला सकते हैं । (व्यवधान), आप बैठिये आप लोग शान्त रहिये ।

एक साथ अगर 10 व्यक्ति खड़े होंगे तो 10 में से एक ही बुलाया जायगा । सूची केवल मदद करने के लिये है । सूची से कोई भी अधिष्ठाता बाध्य नहीं है । इसके माने तो यह हैं कि अधिष्ठाता या स्पीकर महज एक क्लार्क होता है; क्योंकि विभिन्न सूचियां आती है और इतनी लम्बी सूची दी गयी है कि वह तो कल तक भी समाप्त नहीं हो सकती है । और मैं विक्रमा राय जी से कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह से आप विरोधी प्रदर्शन करेंगे कि किसी आतंक और भय में आकर यदि कोई अधिष्ठाता या अध्यक्ष अवसर देता है तो वह अत्यन्त अनुचित होगा । मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आपभी अपने अवसर की प्रतीक्षा करें । ऐसा नहीं है कि पहले आपको अवसर नहीं दिया गया है और यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्यों को कुछ कहना है तो सदन का समय नष्ट न करके मेरे कक्ष में आकर बात कर ली जाय ।

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था करना है । (व्यवधान) आप बैठिये,, मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

इतने समय में जो जनता सरकार की 8 महीने की उपलब्धियां थी, गिन-गिन करके आपको संक्षेप में बता दीं।

माननीय अध्यक्ष जी, जिन बातों से हम स्वयं चिन्तित हैं और हम उनको विरोधी दल के लोगों को मजबूती के साथ कहना चाहते हैं जितनी मजबूती के साथ आप लोग नहीं कह सकते। आप तो यह समझ रहे हैं कि हम यह नहीं देख रहे हैं कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। क्या हमारी आंखें बन्द हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां सारे प्रदेश के अन्दर हिंसा, लूट-मार, राहजनी, डाकेजनी, छुरा भोंकने का सारा दृश्य है वह सब उपस्थित हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं साफ बता देना चाहता हूं कि इसमें तीन कारण हैं। मैं देहात में रहता हूं, मैंने पूरा विश्लेषण किया है। मेरी बात बुरी लगेगी पर बुरी बात भी सुननी पड़ेगी, यह संसदीय मर्यादा है और मैं कभी भी माननीय सदस्यों के भाषण में न टोका-टाकी की है और न करना चाहता हूं। सरकारी पार्टी, जो कांग्रेस 30 साल तक सत्ता में रही, सत्ता से हटने के बाद जब कुर्सी छूटी है तो उनको ऐसा लग रहा है कि जाने किसी दूसरी दुनिया में चल गये। सबके पास कारें थी, पी0 ए0 थे।

मान्यवर, मैं अभी पुराने एक कांग्रेस के मंत्री जी की लड़की की शादी में चला गया था। संयोग से उन्होंने कहा कि 'मेरा शेडो' कहां है? फिर बोले कि मेरे पास शैडो अब कहां है? इस तरह का नशा जो राज सत्ता का लगा है आप लोगों के ऊपर तो आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से ऐसी कोई वारदात करें उत्तर प्रदेश के अन्दर चाहे युवा कांग्रेस के द्वारा, चाहे अपने द्वारा इस विधान सभा के भीतर या विधान सभा के बाहर ऐसा माहौल तैयार करे और जिले-जिले में कुछ ऐसी हरकत कराई जाय जिससे ऐसे लगे कि कोई ला एड आर्डर प्रदेश में नहीं है और यह सरकार नाकारा है। 19 महीने जिस तरह से जनता का मुंह बन्द रखकर आपने सारे देश और प्रदेश को जेलखाना बना दिया तो आप चाहते हैं कि ऐसी अराजकता पैदा कर दें जिससे लोगों को पुनः इमरजेंसी की जरूरत महसूस होने लगे। यह हुआ नम्बर एक।

अभी मान्यवर, विधान सभा की जो घटना हुई, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, जिले-जिले में आज क्या हो रहा है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को कौन मना करता है आप लाखों की तादाद में करें, हमको क्या है? परन्तु इसी 6 तारीख को जो जिले में करने जा रहे हैं हमें यह सूचना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर जिलों के मुख्यालयों पर आप गड़बड़ी पैदा करेंगे और ऐसे कृत्य करेंगे (व्यवधान) मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो रेड्डी कांग्रस में हैं .....

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वे हमेशा यह यह कह रहे हैं कि आपने यह किया, आपने वह किया, आप तोड़-फोड़ करवा रहे हैं, आप अराजकता फैला रहे हैं, तो मान्यवर, आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी माननीय राधेश्याम जी "आप-आप" कह कर आपके लिये यह सब कह रहे हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

इसको आप भी समझते हैं और वे भी समझते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अध्यक्ष जी, दूसरा कारण यह है कि आज सारे प्रदेश में अराजकता की गतिविधियां हो रही है और ला एंड आर्डर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे जिले

के अन्दर ही 15 दिन के अन्दर 25-30 घटनायें हो चुकी हैं । मैं शासन को सुझाव देना चाहता हूं कि वह इस ओर सोचें और सी0 आर0 पी0 सी0 में आवश्यक संशोधन भी करें । एक तो अभी तक यह है कि जब तक किसी केस में हड्डी न टूट जायें, तब तक वह पुलिस का मुकदमा नहीं बनता है । यह गलत चीज है, इसमें संशोधन होना चाहिये । दूसरे जो संगीन से संगीन मुकदमें होते हैं उनमें भी 4–5 दिन बाद जमानत हो जाती है, अपराधी जमानत पर छूट जाते हैं । अगर प्राइमाफेसी केस बन जाय तो जब तक मुकदमा चले जमानत नहीं होना चाहिये । इसको मजबूती के साथ सरकार को करना पड़ेगा । मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी कुरबानी के बाद, जेलों में जाकर, लाठियां खा-खा कर हमने यह सरकार बनायी है । हम इसे बातों में जाने देने वाले नहीं है । अगर इस सरकार का कोई गलत काम होगा तो उसका सबस पहले हम डट कर विरोध करेंगे । जब अच्छा काम होगा तो उसका समर्थन करेंगे, गलत कामों का विरोध करेंगे । मान्यवर, मैंने सदन का काफी समय लिया, इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे 6 माह के अन्दर "ला एण्ड आर्डर" की बिगड़ती हुई स्थिति ठीक हो । ताकतवर लोग और कमजोर लोग साथ-साथ चल सकें ।

एक बात और कहना चाहता हूं । बेरोजगारी की समस्या फैल रही है । हाई स्कूल पास से लेकर एम0ए0पास तक लाखों बेरोजगार बेकार घूम रहे हैं । अन्य प्रदेशों की तरह अपने यहां भी, जो 3-3 साल से बेरोजगार दफ्तर में अपना नाम दर्ज कराये हैं बेकार है, उनको बेरोजगारी का भत्ता मिलना चाहिये । अगर यह काम सरकार करेगी तो अपनी लोकप्रियता में चार चांद लगायेगी । इन शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । विरोध पक्ष के जो भी रचनात्मक और सक्रिय सुझाव आयेंगे उन पर यह सरकार अवश्य विचार करेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा––

अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जब यह बात आती है पिछले 30 सालों में जिस शासन ने लूट और जुल्म का साम्राज्य कायम किया था आज वह किसानों की हमदर्दी करे तो ताज्जुब-सा होता है । आज वह यह कहने की हिम्मत करे कि जनता अहसास करने लगी है कि कांग्रेसी शासन अच्छा था । मैं उनको यह याद दिला दूं कि जिस समय कांग्रेसी शासन था उस समय यह कहा जाता था कि कांग्रेसी शासन से अच्छा तो अंग्रेजी शासन था । . यह कोई बात नहीं है । न मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं । वह दिन अब लद गया । प्रगति का पहिया आगे बडा है, वह पीछे की तरफ नहीं घूमेगा । अगर वह आसमान में उड़ रहे हैं, तो जमीन पर आ जायं, अच्छा होगा ।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ संकेत अच्छे भी है । लेकिन जब उन संकेतों की तरफ हम देखते है, तो इससे पहले जो अभिभाषण हुआ था, उसमें भी कुछ अच्छी बातें कही गयी थीं, किन्तु व्यवहार में कुछ भी देखने को नहीं मिला । इसलिये जो अच्छे संकेत भी है, उनके प्रति हम ज्यादा आश्वस्त नहीं है । लोकतंत्र की प्रतिष्ठा की बात कही गयी, मान्यवर, जब तक प्रदेश के अन्दर एक भी राजनैतिक बन्दी रहता है, उस समय तक प्रतिष्ठा की बात कही जाय, उसका कोई अर्थ नहीं होता । तमाम नक्सलपन्थी राजनैतिक बन्दी है, उनकी रिहाई के बारे में यह सरकार अपना कोई रुख नहीं प्रकट कर रही है, उल्टे उनके साथ जेलों के अन्दर शर्मनाक व्यवहार हो रहे हैं । एक बन्दी फतेहगढ़ जेल के अन्दर इलाज के लिये चिल्लाता रहा, शासन ने प्रशासन ने, कुछ नहीं किया । वाराणसी सेंट्रल जेल में घनश्याम शुक्ला ने एक महीने की भूख हड़ताल की लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ । गोरखपुर जिला जेल के जिस केस के अन्दर वह जल सजा काट रहे हैं, उसी केस का मुख्य अभियुक्त छूट गया मुख्य अभियुक्त जो था, वह इस हमारे माननीय सदन के सदस्य भी हैं, माननीय श्याम नारायण तिवारी लेकिन उसी केस के पोस्ट ग्रेजुएट को आज उच्च श्रेणी देने को तैयार नहीं । यह कोई लोकतंत्र की परम्परा निभाई जा रही हो, ऐसी बात नहीं है ।

[श्री राम आसरे वर्मा]

मान्यवर, तमाम राजनैतिक मुकदमें अभी भी चल रहे है । 188 तक के मुकदमें चल रहे हैं । सदन के अन्दर इंदिरा गांधी का नाम आता है, तो हम सबको बुरा लगता है और सदन के बाहर इमरजेंसी के कुछ पहले इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, के नारे पर मुकदमा बनाया गया था । हरदोई के अन्दर संडीला में जब एक कार्यक्रम था, तो तमाम विद्यार्थियों ने उस समय इंदिरा गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया था उन विद्यार्थियों पर मुकदमा चला और अब भी बहुत से मुकदमें चल रहे हैं । मीसा अभी तक आपने हटाया नहीं, निवारक नजर-बन्दी कानून की बात सोच रहे हैं । शराब पुरानी हैं और बोतल नयी हैं । अगर कांग्रेसी माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर अपने पुराने काले कारनामें, उपलब्धियों के रूप में पेश करते है, तो उनका दोष कम मानते है, आज के शासन का ज्यादा मानते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किये जिससे कांग्रेसियों की जबान खुलने लगी । बात जरूर कही गयी लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के बारे में, लेकिन काम देखने को नहीं मिला ।

हरिजनों की बात कही गयी । हरिजनों का उत्पीड़न कांग्रेसी शासन में होता था और जम कर होता था, आज भी हो रहा है । मैं यह बता दूं कि आज इस उत्पीड़न के लिये जनता पार्टी के शासक तो जिम्मेदार है ही, लेकिन जो कांग्रेसी सदस्य जो पहले शासन में रह चुके हैं, वह कम दोषी नहीं है । देवरिया के अन्दर तीन हरिजन छात्रावासों पर सवर्ण विद्यार्थियों को लेकर हमला कराया गया था, उसकी अगुआई में आज के इंदिरा गांधी गुट के लोग रहे, उनके द्वारा ही कराया गया था । बनारस में सम्पूर्णानन्द की प्रतिमा का अनावरण कराया गया था । मान्यवर, जो हरिजन के प्रति अनादर का भाव देख रहे है, उनके ऊपर हमला देख रहे है, उनके बारे में सख्त रुख अपनायें। अगर सही रुख नहीं अपनाया गया तो सारा कलंक आज के शासन के ऊपर लगेगा काम करने वाले चाहे कोई भी रहे हों । आप ताज्जुब करेंगे कि इन 6 महीनों में 136 हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया । (शेम-शेम की आवाजें) । आप ताज्जुब करेंगे कि जगह-जगह पर, हरिजनों के खिलाफ संगठित रूप से अभियान चलाया गया । यहां पर बालागंज में एक प्रगति आश्रम है । वहां पर 10-10 साल के लड़कों ने कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में और जो अनुदान उसको मिलता रहा उसके दुरुपयोग के संबंध में अपनी आवाज उठाई । 10-11 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं लेकिन उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगा दिया गया । और यहां कहा जा रहा है कि हम निर्बल वर्ग को दबाते नहीं हैं । लड़के जेलों में पड़े हैं, मुकदमों को वापसी लेने के संबंध में कहा जाता हैं कि मुकदमा वापस लेना संभव नहीं है । मानवता का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, अगर मानवता का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तो कांग्रेस की तरह जनता पार्टी का भी ह्रास होगा ।

मान्यवर, किसानों के बारे में जैसे कि अभी वर्मा जी ने मिसाल दी थी, उनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है । वह बहुत तबाह है। किसान इतना तबाह है कि साधारण चपरासी की तनख्वाह उसको साल भर की कमाई से ज्यादा पड़ जाती है । किसान को दैवी आपदाओं का मुकाबला करना पड़ता है, शासन की तरफ से जो उपेक्षा का दृष्टिकोण है उसको उसका मुकाबला भी करना पड़ता है । इसको जीती जागती मिसाल गन्ने की है । मालिकों को छूट दी जा रही है दूसरी तरफ किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है और उसकी निकासी नहीं हो रही है । लखीमपुर-खीरी में 2–3 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना खरीदा जा रहा है । यही हालत बीसलपुर में है । पश्चिमी जिलों में आग लगाने की तैयारी है कुछ लोगों ने गन्ने को जला भी दिया है । इस गन्ने के सवाल को लेकर गहराई के साथ सोचना पड़ेगा ।

जबसे जनता पार्टी शासन में आई है तमाम समस्यायें उठ खड़ी हुयी है । लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान करने में शासन सफल नहीं हुआ है । आज भी फार्मेसिस्ट भूख-हड़ताल कर रहे हैं । कोई उनसे बात करने के लिये तैयार नहीं है । उनकी समस्याओं को कोई सुन नहीं रहा है । 11महीने से होम्योपैथिक छात्र लड़ रहे है उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं

निकाला गया है। आयुर्वेदिक छात्रों का टेंट रातों रात उखाड़ दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ कहा गया कि सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इन समस्याओं का हल निकलाना पड़ेगा। यदि इन समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो मैं कहूंगा कि जिस तरह से 30 साल कांग्रेसी शासन ने अपनी उदासीनता और निकम्मेपन का परिचय दिया, उसी तरह से आप भी अन्याय कर रहे हैं। मान्यवर, पुराने दिनों को भुला दिया जाय। हर बात में पुरानी कहानी को न कहा जाय, इससे काम नहीं चलेगा। इस सिलसिले में मैं आखिरी बात कह करके जो शेर के रूप में है, अपनी बात को खत्म करूंगा।

नशेमन को जलाने में न जाने हाथ किस-किस का,
मगर सब लोग यारो तुम्हारा नाम लेते हैं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

सदरे मोहतरिम गर्वनर साहब के एड्रेस पर जो प्रस्ताव आया है उसकी ताईद में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जनता सरकार के सामने बहुत से मसाइल हैं। जिनमें से एक मसला गन्ने की है। आज किसानों के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है और इसमें दो राय नहीं हैं। कि हम इसका सही हल न कर पायें तो एक महीना मिल लेट होने के कारण और सल्फर प्लांटों की स्ट्राइक के कारण किसानों के सामने जो कठिनाइयां आई हैं वह बरदाश्त के बाहर हैं। मैं इस राय का हूं कि यदि हममें कोई कमी हो तो उसका अहसास होना चाहिये और कमी की तरफ इशारा होने पर उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। जनता सरकार ने जो वायदे आवाम के सामने किये हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार पर हैं कि उनको पूरा करे। इसमें दो राय नहीं हैं कि इस थोड़े समय में जनता सरकार ने जो गरीबों और किसानों के लिये काम किये हैं उनको किसी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जनता सरकार ने देहातों के अन्दर लिंक रोड का अभियान चलाया है। इससे किसानों के अन्दर एक खुशी की लहर दौड़ी है। यह पहला मौका है जबकि देहातों में अर्थ-वर्क हुआ है, कच्ची सड़कें बनी हैं और उनको पक्का कराया जायेगा। यह सरकार का कहना है और हमें उम्मीद है कि सरकार उसको पूरा करेगी। साथ ही साथ मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस के समय में जो अकलियतों के मसाइल थे वह आज भी बरकरार हैं। जहां तक उर्दू का ताल्लुक है कांग्रेस ने हमेशा वायदा किया लेकिन कभी उर्दू को तरक्की देने की कोशिश नहीं की। साथ ही साथ मैं अपनी सरकार से यह भी गुजारिश करूंगा कि वही इल्जाम जो कांग्रेस पर हमेशा आते रहे हैं वह हमारे ऊपर न आने पावें।

उर्दू हमारे देश की जबान है किसी एक फिरके की जबान नहीं है। इस जबान ने इस देश में जन्म लिया है। तो क्यों न इसकी तरक्की के लिये सोचा जाय और उर्दू को हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर दूसरा दर्जा दिया जाय। यह बुनियादी हक है। चूंकि उर्दू के जन्म देने में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई सभी शामिल हैं और उर्दू कोई सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। यदि हम इसके साथ सौतेली मां जैसा सुलूक करते हैं तो उससे प्रदेश को नुकसान पहुंचेगा। जिस तरीके से आदमी का कुल जिस्म यदि तन्दुरुस्त है तो वह सही काम कर सकता है और यदि जिस्म का कोई हिस्सा पेरालाइज हो जाय तो उससे पूरे जिस्म पर असर पड़ता है और, फिर ठीक से काम नहीं किया जा सकता है। इसी तरह कोई भी कौम सही माने में तबतक नहीं रह सकती है जबतक उसकी तरक्की नहीं की जाती है। इसलिये मैं साफ-साफ कहना चाहूंगा कि उसका असर पूरे समाज के ऊपर

[श्री शफीकुर्रहमान वर्क]

पड़ेगा । समाज के अन्दर खुशहाली तभी आ सकती है जबकि सारे तबके के लोगों को चाहे वह हरिजन हो या मुसलमान सभी को तरक्की करने का बराबर मौका मिले । इस देश को बनाने में सभी की कुरबानियां हैं । इमरजेंसी के समय में जिस समय ज्यादतियां की जा रही थीं उस समय सारे लोगों ने मिलकर उस बुराई को दूर करने के लिये और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिये मिलकर प्रयास किया है । इसके साथ ही साथ मैं मुसलमानों के संबंध में एक बात कहना चाहूंगा। चूंकि बहैसियत मुसलमान के मेरा फर्ज है कि मैं उनकी सही नुमायन्दगी करूं और उनकी बात अपनी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूं । मुसलमान कौम में बहुत बड़ी अक्लियत है उनके बच्चों के तालीम और रोजगार का सवाल है । इसलिये मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को नौकरियों में मुनासिब जगहें दी जायं और उनके बच्चों की तालीम का इंतजाम किया जाय । जिस तरह से रिजर्वेशन की फैसीलिटीज हरिजनों को हैं उसी तरह मुसलमानों में जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको भी मिलनी चाहिये । जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया गन्ने का मसला हमारे देश और प्रदेश में बहुत अहम मसला है । पूरब के इलाके में जो मिल लगी हुई है वह काफी तादाद में हैं और उनकी कैपीसिटी भी ज्यादा है लेकिन पश्चिम में जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है मिलों की तादाद कम है और कैपेसिटी भी कम है । पश्चिम के इलाकों में मिल लगनी चाहिये । खास कर मुरादाबाद में दो मिल हैं एक अमरोहा और दूसरी बिलारी में । संभल के किसी इलाके में मिल लगनी चाहिये क्योंकि वहां गन्ना काफी होता है और वह बिलारी और अमरोहा दोनों से दूर पड़ता है। हसनपुर और बहजोई के बीच एक मिल लगायी जानी चाहिये जिससे काश्तकारों को राहत मिल सके । साथ ही साथ में यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि गवर्नर के एड्रेस पर जो मजाहरा इस सदन में हुआ वह बहुत ही अफसोसनाक था और उस पर जितना अफसोस जाहिर किया जाय वह कम है ।

असेम्बली की तवारीख में शायद ही कोई ऐसा हादसा हुआ हो । हमारी आंखों के सामने यहां जंमूहरियत का खून किया गया और इंसानियत और शराफत को बलाये ताक रख दिया गया । उस मजाहरे को जितना भी कंडम किया जाय वह कम है । जनता सरकार के सामने कांग्रेस जो परेशानियां पैदा कर रही है वह मुनासिब नहीं है । इनसे किसी सरकार का काम तो रुकता नहीं । जनता सरकार की पालिसी बिल्कुल क्लीयर है । उसने नारा दिया है कि गांव की ओर चलो । यह नारा कांग्रेस ने कभी नहीं दिया । पहली बार जनता पार्टी की सरकार ने यह नारा दिया है और जो काम लिंक रोड बनाने के छेड़े हैं उनसे यह साफ जाहिर है कि हमारी सरकार गांव की ओर जा रही है और आने वाला वक्त बतलायेगा कि किसानों के जो मसाइल हैं वह हल होंगे । जो परेशानियां जनता के सामने हैं उनको दूर करने की कोशिश जनता सरकार कर रही है । मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को अर्ज कर रहा हूं । इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उनके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और उसी के साथ कुछ रचनात्मक सुझाव भी देना चाहता हूं ।

मान्यवर, 17 मार्च को जो उत्पात इस माननीय सदन में हुआ, वह कोई साधारण बात नहीं है । उस पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । उसकी जड़ में कुछ और हैं । उसकी जड़ में क्या है, जो कि मैंने अनुभव किया है, वह है कि 30 वर्षों में जिन वर्गों ने समाज का शोषण किया है, उन्होंने नियम तो जरूर बनाये, लेकिन उनको लाये घुमाकर अपने ही पक्ष में । उसी का प्रदर्शन देखने को मिला उस दिन सदन में,

मान्यवर, जिन लोगों को, मान्यवर, नाम उत्पात् में आवे, उनकी सम्पत्तियों की भी जांच होनी चाहिये। ये लोग नाजायज लाभ उठाकर आज समाज में उत्पात् पैदा कर रहे हैं। ये ही कत्ल करा रहे हैं, ये ही डाके डलवा रहे हैं। ये ही चोरी करा रहे हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा, मान्यवर, गरीबों के ऊपर अन्याय कराया जा रहा है। इसकी जांच सही मायने में अगर ग्राम्य स्तर से हो, तो पता चलेगा कि यह कहां तक सही है।

मान्यवर, जिस समय गांव समाज की सम्पत्ति घोषित हुयी, जमींदारी टूटने के बाद तो मुआवजा, पुनर्वास और उसके पीछे जो भी लाभ उठाये जा सकते हैं पारिवारिक और हर तरह के, उसे इन्हीं लोगों ने उठाया—चाहे वे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों। जमींदारी टूटने के बाद, मान्यवर, पुनर्वास, मुआवजा खानदानी उन्नति और तरक्की, ऋण और अनुदान, सारे लोन और सारी सम्पत्ति इन्हीं लोगों के बीच में दबी पड़ी हुयी है। अपने परिवार में, नौकरों के नाम और परिवार के लोगों के नाम उसको करा दिया। यही नहीं, भूदान के नाम पर दी गयी सम्पत्ति को भी, मान्यवर, ये ही लोग हड़प हुए हैं। हदबन्दी, चकबन्दी आदि से निकलने वाली सम्पत्ति भी ये ही लोग हड़प बैठे हुये हैं। इसी प्रकार से, नाली, चक रोड और विभिन्न प्रकार से 6-7 प्रकार से गांव समाज की जो सम्पति निकलती है, उसको भी ये ही खुराफाती लोग दबाये बैठे हैं।

मान्यवर, ये खुराफाती तत्व जनता पार्टी की प्रगतिशील नीति से घबड़ा गये। इनके द्वारा ये जो सारे उत्पात् हो रहे हैं, उसके नीचे यही परेशानी की बात हैं। जनता पार्टी की प्रगतिशील नीति से, मान्यवर, ये घबड़ा गये हैं।

मान्यवर, अपने देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है। मैं, मान्यवर, आप के माध्यम से जनता सरकार से मांग करता हूं कि किसी भी विभाग में अब अंग्रेजी नहीं चलनी चाहिये। लेकिन, मान्यवर, अभी भी गांव के आदमियों को जो भी पत्र शासन में जाते हैं, वे अंग्रेजी में जा रहे हैं।

आपके माध्यम से मेरी यह मांग है कि प्रान्तीय सरकार के किसी भी कार्यालय में अंग्रेजी के टाइपराइटर नहीं रहने चाहिए और ये पत्र आगे नहीं जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सवाल जनता सरकार के सामने है। काम करने के लिये अर्थ चाहिए। मेरा यह कहना है कि गांव समाज की सम्पत्ति की यदि ईमानदारी से जांच करायी जाय तो हर न्याय पंचायत के अन्दर कम से कम पचास हजार रुपये सालाना की आमदनी सरकार की घपले में पड़ी हुई है। जांच करा कर देखें और वह है कहां, यही जो खुराफाती तत्व हैं इन्हीं के नीचे दबी पड़ी हुई है, मान्यवर।

अध्यक्ष महोदय कांग्रेसी भाईयों में तो अब आये और गये दोनों में बंटवारा हुआ। इन्होंने देश को अनैतिक, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार में फंसा रखा था। इनको आज बोलते हुए लज्जा नहीं आती है जिस तरीके से आप लोगों ने राष्ट्र के साथ भ्रष्टाचार किया है।

मान्यवर, मैं फिर इन्हीं बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आज गांव स्तर पर जो भी अनाचार अन्याय है उसके लिए आपके माध्यम से शासन से यह मांग करता हूं कि ग्राम स्तर पर जांच कराने के लिये एक कमेटी नियुक्त होनी चाहिए जिला स्तर पर।

एक सदस्य—

आयोग नियुक्त होना चाहिए।

[श्री नाथू राम शिक्षक]

मान्यवर, अगर आयोग है तो वह अयोग्य है। कोई काम नहीं हो रहा है। आज परगना अधिकारी, तहसीलदार बिल्कुल नाकारी हैं। इनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है। मेरा कहना है मान्यवर, की ग्राम स्तर पर जांच होनी चाहिए। गांवों में क्या कठिनाई है उसे हल करने के लिये तरीका क्या हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हर क्षेत्र में प्राकृतिक साधन मौजूद हैं। उन साधनों का इस्तेमाल किया जाय। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय सामग्री के द्वारा हो सकेगा और बाहर से हमें सामग्री ले जाने की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ेगी। मान्यवर, मैं पुनः एक बार शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि गांवों की ओर चलना है तो गांवों से चलना है नीचे से ऊपर की ओर तब वहां की समस्याओं का समाधान हो सकेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो समाज को कष्ट दे रही हैं। ये पांच और दस फीसदी लोग आज समाज की सारी सम्पत्ति, सम्मान, आबरू को समझे नहीं हैं इसलिए इनके खिलाफ काम करने की इनको जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। गांव स्तर पर जांच करने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। सुबह से शाम तक चलने के बाद मौका दिया आपने।

श्री मुफ्ती जलील अहमद (जिला बिजनौर)—

जनाबवाला मैं मश्कूर हूं कि आपने मोहतरम गवर्नर साहब के ऐड्रेस के सिलसिले में बोलने का मौका दिया। मैं इस बात का इन्तिहाई मश्कूर हूं कि गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में जहां गांवों के विकास के सिलसिले में और तरक्की के सिलसिले में कहा वहीं पर उन्होंने उनके बारे में भी कहा है जो अरसे से बहुत बैकवर्ड हैं और कोई तरक्की नहीं कर सकी है। मैं बतलाना चाहता हूं कि बुनकरों के मसायल, उनकी जरूरतों तथा दुश्वारियों को दूर करने के सिलसिले में जो बात कही गयी हैं काफी हद तक इत्मीनान तो आया लेकिन जितनी अहमियत इस मुल्क और सूबे के अन्दर बुनकरों की हैं उस एतबार से उनकी खुशहाली की बात नहीं कही गयी है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि बुनकर इस मुल्क का एक ऐसा अजीम सरमाया है जिस पर सबसे पहले अंग्रेज की भी नजर गयी थी, उसकी सनअत व हिरफत पर उसकी नजर गयी थी और सबसे ज्यादा जुल्म अंग्रेज ने इस बिरादरी पर किया और यहां तक कि उसकी उंगली तरशवा ली। यह बुनकर बिरादरी में बड़ी परेशानी में मुबतिला है। मैं जातीतौर पर बिजनौर के बुनकरों के मुताल्लिक जानता हूं जहां तीन लाख से ज्यादा उनकी आबादी है। कपड़े बनाने के बाद वे मंडियों में उनको फरोख्त करने जाते हैं वहां किस कदर उनकी तबाही और बरबादी का मंजर होता है यह गौरतलब बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूत की महंगाई के कारण कपड़े के दाम बढ़ने से बुनकर तबाहहाल हैं। वह भूखों मर रहा है। बुनकर फेडरेशन की तरफ से इस बात का मताबला किया जा रहा है जिसकी तरफ में माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह सूत के बढ़ते हुए दामों पर कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बुनकर भूखा मर जायगा। सबसे पहली मांग बुनकरों की यह है कि सूत की कीमत कम कराई जाय।

दूसरे बुनकरों की तरक्की के सिलसिले में सरकार ने एक हजार या डेढ़ हजार रुपया दिया था। इस पर सूद की शरह बढ़ी जिससे वह उसका अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। सूत के दाम इतने अधिक बढ़ गये हैं कि हालात काबू के बाहर हैं। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जब वसूलयाबी जारी है तो सूद की शरह खत्म की जायं, सूत पर टैक्स खत्म किया जाय ताकि बुनकर अपनी रोजी कमा सकें और सरकार को रुपया भी अदा कर सकें। मैं सरकार का ध्यान नहटोर मंडी की ओर भी दिलाना चाहता हूं। वहां पर एक हफ्ते के अन्दर तीन बार बाजार लगता है और एक लाख से ज्यादा बुनकर अपने सर पर थान रख के आते हैं।

लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे यह अर्ज करना पड़ रहा है कि उनके बैठने का इतनी बड़ी मंडी में कोई स्थान नहीं है। बारिश आ जाय तो सिर तक नहीं छिपा सकते। वहां मंडी की कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई शेड नहीं है। जहां इतने लोग इकट्ठा होते हैं वहां एक पुख्ता मंडी बनाने का इन्तजाम किया जाय और ज्यादा से ज्यादा बुनकरों को मौका दिया जाय कि वह आराम से अपना कारबार चला सकें। इसके अलावा जो सूत मिलें सूबे में हैं और जो सूत बनाती हैं मुझे मालूम होता है कि वह सूत दूसरे सूबों को मुन्तकिल कर दिया जाता है जिससे सूत की कमी बनी रहती है और सूत की कीमत बढ़ जाती है। लिहाजा मेरा सुझाव है कि जो सूत इस सूबे के अन्दर बनाया जाता है उसको यहीं पर रखा जाय ताकि सूत की कीमतें कम हो सकें और बुनकरों को सूत काफी तादाद में मुहइया हो सके। बहटौर प्रोजेक्ट चल तो रहा है लेकिन अफसोस है कि उस प्रोजेक्ट के होते हुए भी बुनकर को जो सूत सरकार की तरफ से कंट्रोल रेट पर दिया जाना तय हुआ था वह उस रेट पर नहीं दिया जाता और आम बाजारू कीमत उनसे वसूल की जाती है। सरकार को चाहिये कि बुनकरों की इस परेशानी को दूर करें।

दूसरा सुझाव मैं उर्दू के सिलसिले में देना चाहता हूं। उर्दू इस मुल्क की एक ऐसी जबान है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। खुशी इस बात की है कि उर्दू इस मुल्क के अन्दर पैदा हुई, इस मुल्क के अन्दर उसकी तरक्की हुई और इसी के अन्दर वह बढ़ती रहेगी और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उर्दू न सिर्फ इस हिन्दुस्तान की जुबान है बल्कि हर शहरी की जुबान हो सकती हैं। जब हमारा ध्यान महात्मा गांधी जी की इस बात की तरफ जाता है कि किसी मुल्क की जुबान वह हो सकती है जिसे आमतौर पर लोग बोलते हों और बाजारों और चौपालों के अन्दर बैठकर जुबान बोलें और सुनें। उसमें कुछ लफ्ज हिन्दी के भी आ सकते हैं और कुछ लफ्ज अंग्रेजी के भी आ सकते हैं। उर्दू जुबान सिर्फ मुसलमान की ही नहीं बल्कि हर शहरी की है। उर्दू जुबान की तरक्की होनी चाहिए और उसके लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस उर्दू जुबान यहां की दूसरी सरकारी जुबान तसलीम की जाय। इसके साथ ही साथ जब यह दूसरी सरकारी जुबान होगी तो हर शहरी को मौका मिलेगा कि वह इसे बोल सके और समझ सके। इस असेम्बली के अन्दर जहां 425 विधायकों की तादाद है उसी में एक तादाद ऐसे मेम्बरान की भी है जो उर्दू नहीं जानती और एक तादाद ऐसे लोगों की भी है जो हिन्दी नहीं जानती।

मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो यहां पर हमको एजेन्डा दिया जाता है उसे भी उर्दू में देने का इन्तजाम किया जाय ताकि हम आसानी से उसे समझ सकें कि असेम्बली के अन्दर क्या होने जा रहा है। अगर आपने ऐसा तरीका अख्त्यार किया तो मुल्क के अन्दर उर्दू जानने वालों की जमात है वह समझेगी की हमारी तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। इसलिये जनता गवर्नमेंट को चाहिये कि ऐजन्डे को उर्दू में शाये करने की इजाजत देनी चाहिये। पिछली गवर्नमेंट के जमाने में स्कूलों में उर्दू मीडियम चलाने की बात हुई थी और उसके तहत कई हजार टीचर्स भी रख दिये गये थे लेकिन वह काम पूरा नहीं हो सका है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि उर्दू जुबान पढ़ाने के वास्ते स्कूलों में इन्तजाम किया जाय। इससे न सिर्फ मुसलमानों को ही फायदा होगा बल्कि हिन्दी पढ़ने वाले हर बच्चे को उर्दू जुबान पढ़ने का मौका मिलेगा। जिस इलाके में 15 प्रतिशत उर्दू जुबान बोलने वाले लोग रहते हों उसमें उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जायं। खाली उर्दू एकेडेमी कायम करने से उर्दू जुबान की तरक्की नहीं होगी।

मैं अब हैन्डलूम के बारे में कहना चाहता हूं इसमें मुझे खुशी है कि इसमें थोड़ी तरक्की हुई है और इसके लिये जनता गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस ओर उसने कदम उठाया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर मंडी समितियां है वहां पर छोटी-छोटी सड़कें

[श्री मुफ्ती जलील अहमद]

बनायी जा रही है लेकिन मेरे क्षेत्र अफजलगढ़ में एक भी मंडी समिति नहीं है जिससे वहां सड़कें बनायी जा सकें। अफजलगढ़ में उप मंडी समिति को 40 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना इनकम होती है इसलिए उपकार कर वहां पर मुस्तकिल मंडी समिति बनायी जाय ताकि वह जो बैकवर्ड इलाका है उसमें भी सड़कें बन सकें।

इन्डस्ट्रीज के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी तरक्की के लिये इस सरकार ने गांवों में छोटी-छोटी इन्डस्ट्री खोलने का वायदा किया है। इसकी मुझे खुशी है। इसके सिलसिले में मेरी राय है कि घरों मे छोटी-छोटी सनतें कायम की जायं। नगीने के अन्दर आबनूस की सनद है। वह अपने किस्म की एक अजीब चीज है। वह हर घर में पसन्द की जाती है और गैर मुल्क में भी पसन्द की जाती हैं। यहां से दस्तकारी की चीजें बाहर जा रही हैं। लेकिन अफसोस है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं है। नगीने में छोटी-छोटी शीशियां बनती है तथा शेरकोट में बुरुश बनते है जो बाहर देशों को जाते हैं। इन दोनों सनतों की तरक्की में सरकार मदद करे।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री मुफ्ती जलील अहमद--

उस उद्योग को भी मदद करने की जरूरत हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप अब खत्म करें।

श्री मुफ्ती जलील अहमद---

इन अलफाज के साथ में आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष---

अब आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद समाप्त किया जाता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष --

अब मैं नियम 51 के अन्तर्गत सूचना लेता हूं आज 7 सूचनाएं प्राप्त हुयीं थीं जिनमें से एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने दिनांक 24 मार्च, 1978 को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सिपाहियों द्वारा हरदोई में चीनी मिल के सुरक्षा अधिकारी श्री सत्येन्द्र श्रीवास्तव तथा एक अन्य व्यक्ति को गोली मार कर हत्या करने के सम्बन्ध में सूचना दी है। श्री रियासत हुसैन ने भी इसी आशय की सूचना दी हैं। इसको मैंने स्वीकार किया है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में आप क्या आज वक्तव्य देंगे?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)---

मान्यवर, 29 तारीख रख दें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। अब हम उठते हैं और कल दिनांक 28 मार्च, 1978 को फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 46 मिनट पर, अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
27 मार्च, 1978

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 467 पर)

संख्या–बारह-ई–1–49–1(3)-67–191–प-पा–1

प्रेषक,

राजा राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, पशुपालन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन
(1) अनुभाग

226001 : दिनांक : लखनऊ, 28, दिसम्बर 1977।

विषय:—डा0 बी0 बी0 सिंह, शीप एण्ड ऊल डेवलपमेन्ट आफिसर, इलाहाबाद की भूटान सरकार के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति।

महोदय,

भारत सरकार, कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 26/44/72–एफ0 ए0 एस0 दिनांक 19–12–72 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय नियमावली खण्ड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 110 के अन्तर्गत डा0 बी0 बी0 सिंह, शीप एन्ड ऊल डेवलपमेंन्ट आफिसर, इलाहाबाद को निम्नलिखित शर्तों पर भूटान सरकार के अन्तर्गत रीजनल एनिमल हसबेन्ड्री आफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यभार से मुक्त होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिये वाह्य सेवा पर भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) भूटान सरकार के अन्तर्गत डा0 सिंह को वाह्य सेवा की अवधि में निम्नलिखित परिलब्धियां उपलब्ध होंगी:—

(क) राज्य सरकार के अन्तर्गत समय-समय पर प्राप्त होने वाली ग्रेड पे।

(ख) भूटान प्रतिकर भत्ता।

(ग) चिलड्रेन एजूकेशन एलाउन्स।

(घ) विन्टर एलाउन्स।

(ङ) डिफिकल्ट एरिया एलाउन्स।

(2) वाह्य सेवा की अवधि में डा0 सिंह को अवकाश तथा अवकाश वेतन भारत सरकार विदेश मंत्रालय के शासनादेश सं0 ई। IV/551/19-72, दिनांक 5–8–72 के अनुसार ग्रहण होगा। वाह्य सेवा की अवधि राज्य सरकार के अन्तर्गत अवकाश अर्जित करने के लिये डियूटी नहीं मानी जायेगी। वाह्य सेवा की अवधि में डा0 सिंह जो अवकाश अर्जित करेंगे उसका उपभोग वाह्य सेवा काल में अथवा वापसी पर पंतृक विभाग में कार्य ग्रहण करने के पूर्व कर लेंगे, अन्यथा इस प्रकार अर्जित अवकाश समाप्त हो जायगा।

(3) वाह्य सेवा की अवधि में डा0 सिंह को भूटान सरकार के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों को प्राप्त होने वाली निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें एवं यात्रा भत्ता प्राप्त होगी जिसकी व्यवस्था भूटान सरकार द्वारा की जायेगी चाहे श्री सिंह बीमारी के समय भारत में हों या भूटान में।

(4) डा0 सिंह को अपने मुख्यालय से वाह्य सेवा में नियुक्ति के स्थान तक जाने तथा वापसी के लिये एवं वाह्य सेवा की अवधि में की गई यात्राओं के लिये यात्रा भत्ता, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के शासनादेश संख्या-ई IV/551/19/72, दिनांक 5-8-1972 के अनुसार ग्राह्य होगा तथा तत्सम्बन्धी व्यय भूटान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(5) पद ग्रहणकाल का समय तथा पद ग्रहण काल का वेतन, दोनों समय, वाह्य सेवा के प्रारम्भ में तथा उसकी समाप्ति पर राज्य सरकार के नियमानुसार नियमित होने तथा भूटान सरकार द्वारा उनका भुगतान किया जायेगा।

(6) वाह्य सेवा की अवधि में अथवा उसके द्वारा उत्पन्न विकलांगता के आधार पर स्वीकृत किये गये अवकाश, भले ही ऐसी विकलांगता वाह्य सेवा की अवधि की समाप्ति के बाद प्रकट हो, अवकाश वेतन भूटान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यदि भूटान सरकार द्वारा इस विषय में दायित्व स्वीकार नहीं किया जाता तो भी राज्य सरकार द्वारा इस विषय में कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) वाह्य सेवा की अवधि में उत्पन्न हुई विकलांगता अथवा मृत्यु के सम्बन्ध में डा0 सिंह अथवा उनके परिवार का जो भी दावा होगा उसका निबटारा उत्तर प्रदेश (सिविल सर्विसेज एण्ड आर्डिनरी) पेंशन रूल्स के अधीन किया जायेगा तथा तत्संबंधी एवार्ड के पूर्ण व्यय का उत्तरदायित्व वाह्य सेवायोजक को वहन करना पड़ेगा। राज्य सरकार इस प्रकार के किसी दावे की देनदार नहीं होगी भले ही ऐसी विकलांगता सेवा समाप्ति के बाद प्रकट हो।

(8) डा0 सिंह वाह्य सेवा की अवधि में राज्य सरकार के अधीन उन पर लागू प्राविडेन्ट फण्ड से पूर्ववत् अंशदान करते रहेंगे तथा वह निरंतर तत्संबंधी नियमों से शासित होंगे।

(9) वाह्य सेवा की अवधि अथवा उसकी समाप्ति पर लिये गये अवकाश के लिये प्रतिकर भत्ते से संबंधित समस्त व्यय डा0 सिंह द्वारा वहन किया जायेगा।

(10) वाह्य सेवा की अवधि में श्री बी0 बी0 सिंह पर राज्य सरकार के पेंशन नियमों से शासित होते रहेंगे।

(11) भूटान सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति की अवधि में जो अवकाश अर्जित दिया जाता है एवं जिसका उपभोग भूटान सरकार में प्रतिनियुक्ति की अवधि में ही कर लिया जाता है, उसका व्यय भार स्वयं भूटान सरकार द्वारा दिया जायेगा। अतः उक्त सरकार से डा0 बी0 बी0 सिंह के बारे में अवकाश वेतन के अंशदान की वसूली नहीं की जायेगी।

(12) ऐसे केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारी जो भूटान सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर है उनके बारे में पेंशन के अंशदान की वसूली में मूल नियम 119 (ए) के अधीन छूट दे दी गयी है। अतः डा0 सिंह के संबंध में भूटान सरकार से उपर्युक्त के संबंध में कोई वसूली न की जायगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या जी (1) 2580/दस-1977, दिनांक 23 दिसम्बर, 1977 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह० राजा राम,

उप सचिव :

संख्या बारह–ई–1–49–1(3)/67–(1)प–पा–1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) संबंधित अधिकारी।

(3) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक विभाग मंत्री मंडल सचिवालय, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 26/44/72/एफ0ए0एस0, दिनांक 19–12–72 के संदर्भ में।

(4) वित्त सामान्य (1)/(3)/(4) अनुभाग।

आज्ञा से,
ह० राजा राम,
उप सचिव।

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 477 पर)

संलग्नक

(1) श्री हीरालाल गुप्ता, चीनी विक्रेता द्वारा 18,000 रु0 का गबन करने में सचिव, श्री सिद्दीकी का हिस्सा है।

(2) कमासिन, शिवरामपुर तथा पैलानी में कोटे दारों द्वारा क्रमशः 5,000 रु0, 4,000 रु0 तथा 6,000 रु0 का गबन करना।

(3) श्री रवीन्द्र कुमार सक्सेना एकाउन्टेंट, भंडार बांदा द्वारा खन्ना दूकानदार, कानपुर से मशहरी खरीद में अधिक का बिल बनवाकर कमीशन लेना।

(4) अन-कन्ट्रोल्ड कपड़े में कमीशन लेकर बीजक बनवाना।

(5) सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, बांदा को प्रति माह 20 किलो शकर मुफ्त देना।

(6) भंडार के कर्मचारियों की सेवाएं गलत ढंग से समाप्त कर नाजायज ढंग से रुपया लेकर नये कर्मचारी भर्ती करना।

(7) शाखा विक्रेताओं के धन की वापसी न करना तथा उन्हें न ब्याज देना न वतन देना।

(8) पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर कर्मचारियों से सांठ-गांठ करना।

(9) मनमानी अवैध नियुक्तियां करना।

(10) मनमानी रूप से वेतन घटाना।

(11) पी0 सी0 एफ0, बांदा से आयी दो गांठ नियंत्रित वस्त्र का लेखा-जोखा न होना।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 482 पर)

यू0 पी0 ऐग्रो में हुए घाटे के कारण

(1) वर्ष 1974–75 में निजी उर्वरक विक्रेता पद्धति समाप्त करके एग्रो द्वारा सीधे उर्वरक वितरण कराने का निर्णय लिया जाना और तदनुसार ओवरहेड व प्रशासनिक व्यय एवं व्याज की दरों में बढ़ोत्तरी हो जाने, मार्जिन मनी की दरें पूर्ववत रखने, मूल्यों में वृद्धि होने पर वृद्धि की अनुज्ञा न देने तथा कीमतें कम करने के आदेशों के कारण उस पर कोई अनुदान न मिलना।

(2) सेवा केन्द्रों की मशीनों पर वास्तविकता से अधिक 30 प्रतिशत मूल्य की घिसावट लगाने तथा वर्ष के अन्त में मशीनरी क्रय होने पर भी उसका पूर्ण उपयोग में न लाये जाना।

(3) फल संरक्षण फैक्ट्ररियों में क्षति गत वर्षों में विद्युत् संकट, उत्पादन की तुलना में बिक्री का न होना, पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात पर भारी व्यय होना, बिक्री न होने से फैक्ट्री की क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना तथा क्षमता का 25 प्रतिशत उत्पादन होने से प्रशासनिक व्यय में बढ़ोत्तरी होना, इसके अतिरिक्त नई फैक्ट्रियां स्थापित होने पर प्रारम्भिक वर्षों में क्षति का स्वाभाविक रूप में होना। अधिकांश फैक्ट्री का केवल सीजन पर ही चल पाना है।

(4) ऐग्रो से जीटर ट्रैक्टर का संयोजन का कार्य लेकर मेसर्स एच0 एम0 टी0 को देना तथा उनसे मांग के अनुसार ट्रैक्टर न मिलना जिससे कृषि यंत्रों की बिक्री का प्रभावित होना।

(5) पशु सन्तुलित आहार की फैक्ट्रियों में कच्चे माल के मूल्य का अधिक होना तथा पशु आहार पुराने मूल्य पर होने के कारण क्षति का होना। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय में बढ़ोत्तरी और दो नई फैक्ट्रियों का शिशु अवस्था में होना।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 483 पर)

गत पांच वर्षों में कोआपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब, लखनऊ को दी गयी सहायता का वर्षवार विवरण

वर्ष		स्वीकृत धनराशि	किस कार्य हेतु सहायता दी गयी
		रु0	
1972–73	..	4,70,000	रेगुलर सहायक अनुदान।
		27,81,700	हेलीकाप्टर के क्रय के लिये।
1973–74	..	5,00,000	रेगुलर सहायक अनुदान।
		1,75,000	रेडियो फिटिंग, बिक्रीकर, ग्राउंड ट्रेनिंग, हेलीकाप्टर का फेरीचार्ज।
		26,315.99	किंग एयर ए0–90 की जानकारी प्राप्त करने और ग्राउंड ट्रेनिंग हेतु।
1974 –75	..	9,50,000	रेगुलर सहायक अनुदान।
		4,50,000	अतिरिक्त सहायक अनुदान आवश्यक व्यय को वहन करने हेतु।
		15,000	किंग एयर विमान की जानकारी और ग्राउंड ट्रेनिंग हेतु।
		1,07,570	ट्वीन बीच वी0टी0-सी0जे0बी0 और बोनान्जा वी0टी0-सी0आई0 जे0 विमानों की मरम्मत हेतु।
		90,536.11	बीच वैरन वी–55 के लिये कस्टम ड्यूटी तथा अन्य देयों के भुगतान हेतु।
		62,242.97	किंग एयर और ट्वीन बीच के स्पयर पार्ट्स के क्रय और किंग एयर का सी आफ0 ए0 प्राप्त करने हेतु।
		5,497.80	हेलीकाप्टर वी0टी0–ई0सी0एफ0 का सी0 आफ0 ए0 प्राप्त करने हेतु।
		48,557.03	किंग एयर और ट्वीन बीच के स्पेयर पार्ट्स आदि के लिये।
1975–76	..	12,79,500	रेगुलर सहायक अनुदान।
		94,675	हेलीकाप्टर वी0टी0-ई0सी0 एफ0 के मेन गेयर बाक्स की ओवर हालिंग हेतु।

नत्थियां

वष	स्वीकृत धनराशि	किस कार्य हेतु सहायता दी गयी
	रु0	
1976–77 ..	18,73,000	रेगुलर सहायक अनुदान।
	3,17,000	हेलीकाप्टर के फालतू पुर्जे खरीदने के लिये।
	14,00,000	हेलीकाप्टर के लिये एक नये इंजन और फालतू पुर्जों के क्रय तथा पुराने इंजन की ओवरहालिंग के लिये।
	50,00,000	एक नये एलौटी–III हेलीकाप्टर के क्रय क लिय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 486 पर)

विकास खंड रामपुर कारखाना (देवरिया) के न्याय पंचायत कुशेहरी के माह नवम्बर, 1977 में कृषकवार उर्वरक वितरण सूचना ।

क्रम-संख्या	कृषक का नाम	ग्राम	माह	डी0 ए0 पी0	एन0 पी0 के0 15:15:15	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1	चन्दन	.. पांडेपुर	नवम्बर, 77	0–050–000	—	—
2	बसंतराय	.. जलपरवा	"	0–050–000	—	—
3	बंका	.. विशुनपुर कला	"	0–050–000	—	—
4	तीरथ राज	.. "	"	0–050–000	—	—
5	नगीन	.. "	"	0–050–000	—	—
6	सरजू पान्डे	.. किसुनपाली	"	0–050–000	—	—
7	गनेश	.. "	"	0–050–000	—	—
8	अंशराज	.. महुआबारी	"	0–050–000	—	—
9	रामचन्दर	.. पोखरामिडा	"	0–050–000	—	—
10	राम अवध	.. "	"	0–100–000	—	—
11	राम चन्दर	.. "	"	0–050–000	—	—
12	पूर्णमासी	. "	"	0–100–000	—	—
13	रूदल प्रसाद यादव ..	. "	"	0–100–000	—	—
14	मिट्ठू	.. "	"	0–050–000	—	—
15	कोकिल	.. "	"	0–050–000	—	—
16	विश्वनाथ	.. "	"	0–050–000	—	—
17	मनेश्वर दूबे ..	.. "	"	0–050–000	—	—
18	अशिक तिवारी ..	.. "	"	0–050–000	—	—

अनुपूरक विधान सभा

19	शिवशंकर मिश्र	..	..	"	"	0–050–000	—	—
20	बद्री ..	..	..	"	"	0–050–000	—	—
21	सवास नाथ त्रिपाठी	..	..	पान्डेपुर	"	—	0–050–000	—
22	राधेश्याम ..	..	..	पांडेपुर	"	—	0–050–000	—
23	अक्षयवर पांडे ..	..	..	किशुनपाली	"	—	0–200–000	—
24	कमला ..	..	..	"	"	—	0–050–000	—
25	राम गुलाम	..	..	"	"	—	0–050–000	—
26	सदानन्द पांडे ..	..	..	"	"	—	0–050–000	—
27	केदार नाथ पांडे	..	..	"	"	—	0–050–000	—
28	सिंहासन ..	..	..	पोखरमिडा	"	—	0–050–000	—
29	अशोक कुमार ..	..	..	किसनुपाली	"	—	0–050–000	—

दिसम्बर, 77

1	सिंहाशन	..	..	..	पांडेपुर	"	0–100–000	—	—
2	ब्रजकिशोर	..	..	..	डीहा बसंत	"	0–050–000	—	—
3	रामनरेश	..	..	..	पोखरभिड	"	0–100–000	—	—
4	महेश मिश्र	..	..	..	"	"	0–050–000	—	—
5	रामबख्श	..	..	..	किशुनपाली	"	—	0–050–000	—
6	बद्री सिंह	..	..	..	डीहाबसंत	"	—	0–100–000	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 493 पर)

सहकारी गन्ना विकास समिति गौर, जिला बस्ती के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायती पत्रों और कृत कार्यवाही की सूचना

क्र0 शिकायत कर्ताओं का नाम एवं तिथि शिकायती प्रार्थना-पत्र	शिकायती पत्र किस स्तर पर प्राप्त हुए	नाम कर्मचारी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है	शिकायती प्रार्थना-पत्र का विषय	जांच कार्यवाही	दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम	कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1–श्री प्रभूदयाल विद्यार्थी विधायक	गन्ना आयुक्त	श्री गिरिशन्त पांडे तत्कालीन सहायक लेखाकार	समिति का धन का दुरुपयोग एवं कृषकों के नाम पर फर्जी खाद वितरण, करने में जांच में दोषी पाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही न किया जाना।	अनुशासनिक कार्यवाही के अंतर्गत अन्तिम निर्णय हेतु पत्रावली क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण (पू0क्षे0) गोरखपुर को प्रस्तुत है।	श्री गिरिशन्त पांडे तत्कालीन सहायक लेखाकार	अन्तिम निर्णय होना शेष है।
2–श्री महादेव शुक्ल प्रबन्धक कृषक डिग्री कालेज गौर	शासन	जिला ग0 अ0 बस्ती	कृषक डिग्री कालेज गौर जिला बस्ती से संबंधित वर्ष 1973 से 21-9-75 तक के गन्ना समिति गौर से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु	जांचदल मुख्यालय से जांच कराई गई।	श्री जितेन्द्र सिंह तत्कालीन प्रबन्धक कृषक डिग्री कालेज गौर एवं अध्यक्ष गन्ना समिति गौर	डिग्री कालेज के वर्तमान प्रबन्धक श्री महादेव शुक्ल एवं जि0 ग0 अ0 बस्ती को लिखा गया है। कार्यवाही प्रगति में है।

3 श्री बाबूराम विधायक द्वारा अग्रसारित श्री जयन्ती प्रसाद शुक्ल ग्राम प्रसडीह की शिकायत।	शासन	गन्ना ग्राम सेवक ग्राम परसडीह	श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल ग्राम परसडीह के भूमिहीन होने पर भी गन्ना समिति का सदस्य और डेलीगेट बनाया जाना।	जि0 ग0 अ0 से जांच कराई गई।		श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल को खातेदार पाया गया। शिकायत सारहीन पाई गई।
4 श्री महादेव शुक्ल प्रबन्धक कृषक इण्टर कालेज गौर।	शासन	नाम निर्दिष्ट नहीं है	कृषक इण्टर कालेज को उधार खाद उपलब्ध कराने हेतु।	जि0 ग0 अ0 बस्ती से जांच कराई गई।	श्री मक्शन सिंह ग0 ग्रा0 से0	स्थानान्तरण किया गया और खाद दिलाई गयी।
5 सर्वश्री परमात्मा प्रसाद मिश्र, प्रधान, गौर, महादेव शुक्ल, भवानीभीख शुक्ल, चन्द्रबली शुक्ल, रामदुलारे सिंह, नरपत सिंह आदि।	शासन	नाम निर्दिष्ट नहीं हैं।	समिति भवन में विद्युत् वायरिंग कराने और पंखे आदि खरीदने में की गई अनियमितता के विरुद्ध।	जि0 ग0 अ0 बस्ती एवं बाद में जांचदल से जांच कराई गई।	1—श्री जितेन्द्र सिंह तत्कालीन अध्यक्ष 2—श्री धरनरायण सचिव। 3—श्री नरपत सिंह तत्कालीन समिति लेखाकार एवं पारसनाथ स0 लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष।	प्रत्यक्ष प्रमाणों के अभाव में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश दिए जा चुके हैं।
6 सर्वश्री भवानीभीख; मानीकराम चतुर्वेदी एवं श्री महादेव शुक्ल सदस्यगण ग0 स0 गौर	शासन	नाम निर्दिष्ट नहीं हैं।	सड़क निर्माण में अनियमितता कृषक डिग्री कालेज गौर के गन्ना समिति से सम्बन्धित सभी वित्तीय अभिलेख उपलब्ध कराने, स्टेशनरी का फर्जी वितरण, अनपेड पर्चियों का भुगताना,	जांच दल से जांच कराई गई।	1—श्री जितेन्द्र सिंह अध्यक्ष। 2—श्री श्री धरनायण सचिव। 3—श्री विश्वनाथ सिंह तत्कालीन सहायक अभियन्ता	प्रमाणों के अभाव में कर्यवाही सम्भव नहीं है। अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	2	4	5	6	7
			अनावश्यक नक्शे और खसरे बनवाने, अध्यक्ष को दिये अग्रिम धन का समायोजन न करना, गन्ना मूल्य भुगतान बंद रहने कटौतियां छोड़ दिये जाने प्र0 क0 बैठकें समय से न बुलाने और बिना स्वीकृति के धन व्यय किये जाने समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा कैश रूम का ताला तोड़े जाने पर कार्यवाही न किये जाने तथा उसी समिति में गत 14 वर्षों से नियुक्त रहने पर भी स्थानांतरित न किये जाने, तथा समिति कर्मचारियों को उत्पीड़ित किये जाने के विषय में ।		4—श्री नरपत सिंह तत्कालीन समिति लेखाकार। 5—पारसनाथ पांडे सहायक लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष। 6—श्री मनमोहन नाथ तत्कालीन सचिव। 7—जगदम्बा प्रसाद तत्कालीन सचिव, श्री दीपनाथ राम तत्कालीन सचिव 9—मोंहनलाल अवर अभियन्ता 10—श्री राममिलन सिंह जि0ग0अ0 बस्ती।	अनुशासकि आर्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। स्पष्टीकरण प्राप्त करने के आदेश दिये गये हैं। इन्हें शिथिल नियंत्रण हेतु दोषी पाया गया है। और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की गयी है।
7—श्री भवानीभीख ग0आ0		नाम निर्दिष्ट नहीं है।	फर्जी खाद का ऋण वसूले जाने के विरुद्ध।	जि0ग0अ0 से जांच कराई गई।	1—श्री मिश्रीसिंह पर्यवेक्षक।	निलम्बन के पश्चात् दण्डित करके पदारूण कर दिये गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

					2—श्री जगदम्बा प्रसाद पाठक 4 ग0 ग्रा0 से0 3—श्री कीर्तिराज-सिंह, खाद लिपिक	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत मामला अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित है।
8—श्री शांतिस्वरूप शुक्ल 4, ग्राम बहादुरपुर।	जि0ग0अ0	समिति कार्यालय के विरुद्ध।	बैंक ऋण हेतु वसूल किये गये धन को देर में भेजने, के फलस्वरूप अधिक सूद मांगे जाने के विरुद्ध।	जि0ग0अ0 बस्ती	1—श्री श्रीधरनारायण शर्मा। 2—श्रीरामनरायन सिंह, समिति लेखाकार।	अधिक देय व्याज का धन दोषी पायें गये कर्मचारियों से वसूलने की कार्यवाही की जा रही है।
9—श्रीमती शंकरदेवी पत्नी श्री कमला प्रसाद चौबे ग्राम बढ़नी चौबे।	जि0ग0अ0	नाम निर्दिष्ट नहीं है।	फर्जी ऋण वसूली के विरुद्ध।	जि0ग0अ0 द्वारा जांच कराई गई है।	कोई दोषी नहीं पाया गया।	ऋणी श्रीमती शंकरदेई द्वारा ऋण की धनराशि समिति में जमा की जा चुकी है।

पी0एस0यू0पी0ए0पी0 30 वि0सभा—20—7—78—(1237)—1978—843—(हि0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा